अगस्त 2017

मध्यप्रदेश पंचायिका

पंचायतों की मासिक पत्रिका

संरक्षक
गोपाल भार्गव
मंत्री, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण, मध्यप्रदेश

प्रबंध सम्पादक
शमीम उद्दीन

समन्वय
मंगला प्रसाद मिश्रा

परामर्श
शिवानी वर्मा
डॉ. विनोद यादव

सम्पादक
रंजना चितले

सहयोग
अनिल गुप्ता

वेबसाइट
आत्माराम शर्मा

आकल्पन
आलोक गुप्ता
विनय शंकर राय

एक प्रति : बीस रुपये
वार्षिक : दो सौ रुपये

सम्पर्क
मध्यप्रदेश पंचायिका
मध्यप्रदेश माध्यम
40, प्रशासनिक क्षेत्र, अरेरा हिल
भोपाल-462011
फोन : 2764742, 2551330
फैक्स : 0755-4228409
Email : panchayika@gmail.com

कृपया वार्षिक ग्राहक बनने के लिए अपने ड्राफ्ट/मनीआर्डर मध्यप्रदेश माध्यम, भोपाल के नाम से भेजें।

मध्यप्रदेश पंचायिका में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं, इसके लिए सम्पादक की सहमति अनिवार्य नहीं है।

इस अंक में...

संकल्प से सिद्धि : हम ऐसे भारत का निर्माण करेंगे जिसकी ओर पूरी दुनिया देखेगी 5
आयोजन : सामाजिक, आर्थिक परिवर्तन का आंदोलन बनें महिला स्व-सहायता समूह 8
संकल्प से सिद्धि-लेख : भारत को स्वस्थ, स्वच्छ, समृद्ध और स्वर्णिम बनाने की शपथ 10
संकल्प से सिद्धि : एक राष्ट्र, एक संकल्प और एक सार्थक पहल 13
प्रशिक्षण : स्व-सहायता समूहों का प्रशिक्षण और उन्मुखीकरण 24
आयोजन : दिव्यांग कलाकारों का एक अभिनव आयोजन 25
सम्मान : मनरेगा में श्रेष्ठ कार्यों के लिए मंडला जिला, सीतामऊ ब्लॉक और... 26
आजीविका-कृषि : जैविक खेती से ज्यादा लाभ मिल रहा है समूह सदस्यों को 27
स्वच्छ भारत अभियान : खुले में शौच से मुक्ति के लिए अभिनव नवाचार 28
मनरेगा : पंचायत भवनों से मिलने लगीं लोक सुविधाएँ 30
विभागीय : अपर मुख्य सचिव द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंस में दिए गए निर्देश 31
खास खबरें : शत-प्रतिशत टीकाकरण के लिये दिया जायेगा पुरस्कार 32
साक्षात्कार : सरपंच, दलौदा चौपाटी, जिला मंदसौर 33
पंचायत गजट : संकल्प वर्ष के रूप में मनाया जायेगा स्वतंत्रता दिवस 35

संपादक जी,

मध्यप्रदेश पंचायिका का माह जून और जुलाई का संयुक्तांक पढ़ा। मध्यप्रदेश में ग्रामीण विकास के क्षेत्र में हो रहे अभिनव प्रयासों को म.प्र. पंचायिका में उत्तम रूप से प्रस्तुत किया गया है। मध्यप्रदेश में पंचायतीराज व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए राज्यों के पंचायतीराज मंत्रियों का सम्मेलन आयोजित किया गया था। पत्रिका में इस कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी प्रकाशित की गई, जिससे लोगों को शासन द्वारा किये जा रहे कार्यों की सम्पूर्ण जानकारी मिली है।

- विशाल चौहान
बैतूल (म.प्र.)

संपादक जी,

मध्यप्रदेश पंचायिका का विभागीय परिपत्रों का विशेष संकलन अंक मिला। इस अंक में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा जारी आदेशों को बहुत ही शानदार तरीके से संकलित किया गया है। एक ही अंक में कई महत्वपूर्ण आदेशों के प्रकाशन से यह अंक संग्रहणीय हो गया है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवाओं, पंचायत प्रतिनिधियों और ग्रामीणों के लिए यह अंक बेहद महत्वपूर्ण और उपयोगी है।

- सचिन मोरे
सनावद रोड, खरगौन (म.प्र.)

संपादक जी,

मध्यप्रदेश पंचायिका का संयुक्तांक मिला। अंक में पंचायत एवं ग्रामीण विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रमों, विभागीय आदेशों एवं परिपत्रों की जानकारी प्रकाशित की गई है। सरकार द्वारा विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं। इन योजनाओं का मैदानी क्रियान्वयन प्रभावी हो, इसकी मॉनीटरिंग विभागीय मंत्री और आला अधिकारियों द्वारा नियमित रूप से की जा रही है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए योजनाओं के ग्रामीण स्तर पर क्रियान्वयन में तेजी आ रही है। इसका प्रभाव ग्रामीण अंचलों पर दिखने लगा है। यह सरकार का एक सराहनीय कदम है, इसे निरंतर जारी रखना आवश्यक है।

- रविन्द्र सिंह बघेल
हजीरा, ग्वालियर (म.प्र.)

संपादक जी,

मध्यप्रदेश पंचायिका का जून और जुलाई का संयुक्तांक अंक मिला। विभागीय परिपत्रों और आदेशों को समग्र रूप में प्रकाशित किया है, इससे यह अंक न केवल पठनीय, अपितु संग्रहणीय बन गया है। इन परिपत्रों में सबसे प्रमुख है- प्रधानमंत्री आवास योजना और निर्माण कार्यों संबंधी निर्देश। इन आदेशों के जरिए निर्माण से जुड़े तकनीकी पहलू भी लोगों के सामने लाए गए हैं। ये मार्गदर्शन का कार्य करेंगे। ये आदेश ग्रामीणजनों को शासन की लाभकारी योजनाओं का लाभ उठाने में मददगार भी साबित होंगे।

- मोती सिंह राजपूत
आष्टा, सीहोर (म.प्र.)

मंत्री जी का मार्गदर्शन

अब संकल्प सिद्धि का संकल्प लें

प्रिय पाठकगण,

बहुत हर्ष का विषय है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्रीजी के आह्वान और मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के मार्गदर्शन में पूरे मध्यप्रदेश में नये भारत को गढ़ने के लिए न्यू इंडिया मंथन का आयोजन किया गया। भारत छोड़ो आंदोलन की 75वीं वर्षगांठ पर आयोजित इस संकल्प से सिद्धि हेतु प्रदेश के सभी 51 जिलों में 23 अगस्त से 30 अगस्त तक आयोजन किये गये, जिसमें सभी जनप्रतिनिधियों, शासकीय अमले और आमजन ने बहुत उत्साह से हिस्सा लिया।

यह आयोजन नये भारत को गढ़ने का एक उद्घोष है। किसी ने कहा है, "एक बेहतर आरम्भ सफलता की पचास प्रतिशत गारंटी होता है।" मैं मानता हूँ कि जिस प्रकार मध्यप्रदेश में विशेषकर पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने अब तक जितने काम हाथ में लिए, उनमें ज्यादातर सफलता के शीर्ष पर पहुंचे हैं। यह अभियान भी पहुंचेगा।

लेकिन इसके लिए आवश्यक है कि हमारा समूचा प्रशासन और जन प्रतिनिधि परस्पर समन्वय और समरसता के साथ गाँव के एक-एक व्यक्ति को जोड़ें।

राष्ट्र की बुनियाद स्वच्छता से ही मजबूत होती है। यदि स्वच्छता है तो मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य सुन्दर होगा। और यही व्यक्ति की, परिवार की और राष्ट्र की संपन्नता का बीज मंत्र है। स्वच्छता केवल गाँव, गली और घर तक सीमित न हो यह हमारे दैनिक जीवन और प्रशासन का भी हिस्सा बने, जिसकी झलक हमारे आचरण में मिलनी चाहिए, हमारे व्यवहार में मिलना चाहिए और हमारे प्रशासन में भी मिलना चाहिए। जिस प्रकार गाँव, गली और घर की गंदगी जीवन को बीमार बनाती है, उसी प्रकार व्यवहार और प्रशासन का कदाचार राष्ट्र को बीमार बनाता है। हमें स्वस्थ भारत, स्वच्छ भारत, श्रेष्ठ भारत, समरस भारत और समृद्ध भारत का यदि निर्माण करना है, तो जातिवाद, संप्रदायवाद, भ्रष्टाचार और गरीबी से भी भारत को मुक्त करना होगा और यह काम केवल अकेले प्रशासन से, समाज से या अकेले जन प्रतिनिधि से नहीं होगा। इसमें सबको भागीदार होना होगा। समाज को, प्रशासन को, जन प्रतिनिधियों को और एक-एक व्यक्ति को परस्पर तालमेल के साथ काम करने की जरूरत है। जन प्रतिनिधियों को चाहिए कि वे समाज और सरकार के बीच में एक महत्वपूर्ण धुरी और कड़ी के रूप में काम करें। तभी हमारा वह संकल्प जो हमारे माननीय प्रधानमंत्रीजी के आह्वान पर व्यक्त किया है वह पूरा हो सकेगा। संकल्प से सिद्धि का यह आयोजन केवल आयोजन भर नहीं है यह अभियान का आरंभ है और इस संकल्प सिद्धि यज्ञ को हमें संकल्प के साथ ही पूरा करना होगा।

भविष्य में यह संवाद निरन्तर रहेगा। पंचायिका में प्रकाशित योजनाओं का लाभ अवश्य लें।

शुभकामनाओं सहित।

(गोपाल भार्गव)
मंत्री, पंचायत एवं ग्रामीण विकास,
सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण, मध्यप्रदेश

संकल्प सिद्धि से नये भारत का निर्माण

प्रिय पाठको,

माननीय प्रधानमंत्री जी ने 9 अगस्त 2017 को भारत छोड़ो आंदोलन के 75 वर्ष पूर्ण होने और इस वर्ष आजादी के 70 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में 'संकल्प से सिद्धि' अभियान का आह्वान किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने सभी देशवासियों से गरीबी, गंदगी, जातिवाद, भ्रष्टाचार, साम्प्रदायवाद और आतंकवाद से मुक्ति पाने का संकल्प लेने की अपील की है। देश के सभी नागरिकों को वर्ष 2022 तक एक नए भारत के निर्माण के लिए अपनी-अपनी भूमिका निभाने के लिए कहा है। उनका मानना है कि 1942 से 1947 के पाँच वर्ष संकल्प से सिद्धि के निर्णायक वर्ष थे, जिसमें सिद्धि मिली और हम आजाद हुए। ठीक ऐसे ही 2022 तक के 5 वर्ष निर्णायक वर्ष हैं। इसमें यदि संकल्प को सार्थक कर लिया, तो नये भारत का निर्माण हो सकता है। प्रधानमंत्री जी की इस मंशा के तहत देश भर में संकल्प से सिद्धि अभियान चलाया गया। मध्यप्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के आह्वान पर पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा विभागीय मंत्री माननीय श्री गोपाल भार्गव के मार्गदर्शन अनुसार प्रदेश के सभी जिलों में 23 अगस्त 2017 से 30 अगस्त 2017 के मध्य 'संकल्प से सिद्धि' अभियान सम्मेलन आयोजित किये गये।

इन सम्मेलनों में प्रत्येक जिले में लगभग 2200 से 2500 सम्माननीय जन प्रतिनिधि तथा आम जन उपस्थित रहे। सभी ने एक साथ संकल्प से सिद्धि से नये भारत के निर्माण का संकल्प लिया। प्रत्येक ग्राम में ग्राम सभा का आयोजन किया गया, प्रभात फेरियां निकाली गयीं।

सम्मेलन में माननीय प्रधानमंत्री जी के संदेश वाचन और नये भारत निर्माण का संकल्प लिया गया। वर्ष 2022 तक 'भारत कैसा हो' विषय पर परिचर्चा, विकास और कल्याणकारी योजनाओं और स्वच्छ भारत मिशन पर चर्चा हुई। समग्र ग्राम विकास पर अतिथियों द्वारा मार्गदर्शन दिया गया। क्षेत्र में किये गये उत्कृष्ट कार्यों की जानकारी साझा की गयी। मार्गदर्शन के लिए ग्रामीण विकास से संबंधित लघु फिल्मों का प्रदर्शन किया गया। कार्यक्रम के बाद प्रत्येक स्तर पर कार्यों की समीक्षा की गयी। यह समीक्षा शासन-प्रशासन सभी स्तरों पर हुई। अच्छी बात यह है कि सम्मेलनों की इस श्रृंखला में सभी की भागीदारी रही। उम्मीद है संकल्प से सिद्धि अभियान माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में नये मध्यप्रदेश के निर्माण में सफल साबित होगा और मध्यप्रदेश नये भारत के निर्माण में सहभागी बनेगा।

पंचायिका का यह अंक हमने आपकी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए 'संकल्प से सिद्धि' अभियान पर केन्द्रित किया है, साथ ही इसमें भोपाल में आयोजित स्व-सहायता समूहों के सम्मेलन की विशेष रिपोर्ट भी समाहित है। शासन के निर्देश पंचायत गजट में प्रकाशित किये जा रहे हैं।

उम्मीद है यह अंक आपके लिए मार्गदर्शी व उपयोगी होगा।

हमें आपकी प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा है। अपनी प्रतिक्रिया पत्रों के माध्यम से अवश्य भेजें।

(शमीम उद्दीन)
संचालक, पंचायत राज

हम ऐसे भारत का निर्माण करेंगे

जिसकी ओर पूरी दुनिया देखेगी

विगत दिनों ग्वालियर में न्यू इंडिया मंथन 'संकल्प से सिद्धि' के तहत पंचायत राज संस्थाओं के पदाधिकारियों का सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में केन्द्रीय विधि, न्याय एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद, पंचायतीराज, ग्रामीण विकास, स्वच्छता, पेयजल एवं शहरी विकास मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर तथा प्रदेश की नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्रीमती माया सिंह उपस्थित थीं। ग्वालियर में मेला स्थित फेसिलिटेशन सेंटर में न्यू इंडिया मंथन- 'संकल्प से सिद्धि' कार्यक्रम के तहत आयोजित पंचायत राज संस्थाओं के पदाधिकारियों के सम्मेलन में जिले की पंचायतराज संस्थाओं के पदाधिकारियों को केन्द्रीय मंत्री द्वय श्री रविशंकर प्रसाद व श्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने 'संकल्प से सिद्धि' के तहत भारत के नव निर्माण के लिये संकल्प दिलाए। मंत्री द्वय ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने भारत के नव निर्माण के लिये भारत छोड़ो आंदोलन की 75वीं वर्षगांठ और आजादी के 70वें वर्ष में इसी अपेक्षा के साथ संकल्प से सिद्धि का मंत्र दिया है कि वर्ष-2022 तक हम एक समृद्ध राष्ट्र के रूप में भारत का नव निर्माण मुकम्मल करेंगे। मंत्री द्वय ने कहा कि भारत छोड़ो आंदोलन के ठीक 5 वर्ष बाद 1947 में भारत को आजादी मिली थी। संकल्प से सिद्धि के पीछे भी यह भाव है कि वर्ष-2017 में संकल्प लेने के बाद हम कई बुराईयों से मुक्त होकर वर्ष-2022 में नए भारत के निर्माण का लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे।

ग्वालियर में आयोजित इस कार्यक्रम में केन्द्रीय विधि, न्याय एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि अगले पाँच साल तक संकल्पबद्ध होकर भारत के नव निर्माण के लिये कमर कसें। सरकार समाज के साथ मिलकर वर्ष-2022 तक ऐसे भारत का निर्माण करेगी, जिसकी ओर पूरी दुनिया देखेगी।

केन्द्रीय विधि एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि 'संकल्प से सिद्धि' के तहत विकास के सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर भारत का नव निर्माण करने का बीड़ा भारत सरकार ने उठाया है। इसी सोच के साथ सरकार ने देश के 30 करोड़ लोगों के जन धन खाते खोले हैं। इन खातों में ही सरकार द्वारा अब पूरी पारदर्शिता के साथ विभिन्न प्रकार के अनुदान व मनरेगा आदि का भुगतान किया जा रहा है। सरकार ने जन धन खातों में राशि भेजकर लगभग 57 हजार करोड़ रुपए बचाए हैं, जो पहले बिचौलिए हजम कर जाते थे।

श्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि भारत तेजी से डिजिटल देश बनने की ओर अग्रसर है। उन्होंने कहा गाँव-गाँव में कॉमन सर्विस सेंटर खोले गए हैं, जिनके जरिए लोगों को घर बैठे विभिन्न प्रकार के भुगतान व बैंकिंग सुविधायें मुहैया कराई जा रही हैं। ग्वालियर जिले में भी 203 सीएससी काम कर रहे हैं। श्री प्रसाद ने विभागीय अधिकारियों को इन सेंटरों को सशक्त बनाने के निर्देश दिए। साथ ही ग्वालियर कलेक्टर से कहा कि ग्वालियर जिले में भी डिजिटल सेवाओं को और बढ़ायें। केन्द्र सरकार की ओर से इसमें हर संभव सहयोग मिलेगा।

सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री ने इस अवसर पर पंचायत राज संस्थाओं के पदाधिकारियों का आह्वान किया कि वे अपने-अपने गाँव में समाज सेवा व नवाचार का काम कर रहे क्षमतावान लोगों की पहचान करें, सरकार ऐसे महानुभावों को सम्मानित करेगी। उन्होंने पश्चिम बंगाल के एक समाजसेवी श्री करीम उल हक का जिक्र किया, जिन्होंने 2 हजार लोगों को अस्पताल पहुँचाकर उनकी जान बचाई है। प्रधानमंत्री ने स्वयं करीम उल हक से बात की और उन्हें पद्मश्री से सम्मानित करने का फैसला किया। श्री रविशंकर प्रसाद ने ग्वालियर को खुले में शौचमुक्त जिला बनने के लिये सभी पंचायत पदाधिकारियों व सरकारी अमले को बधाई दी। साथ ही कहा कि बनाए गए शौचालयों का उपयोग भी हो।

केन्द्रीय पंचायतीराज एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कहा कि सरकार का मानना है कि गाँव उठेगा तो देश भी उठेगा। इसी बात को ध्यान में रखकर प्रधानमंत्री जी ने गाँवों के विकास के लिये ज्यादा से ज्यादा पैसा देने का फैसला किया है। सरकार ने 2 लाख 292 करोड़ रुपए की राशि सीधे ग्राम पंचायतों के खातों में पहुँचाई है। सरकार हर पंचायत को 20 लाख रुपए की राशि मुहैया कराने जा रही है, जो मनरेगा की राशि के अलावा होगी। इस धनराशि से गाँवों को कचरा मुक्त बनाया जायेगा। स्वयं सहायता समूह के माध्यम से यह काम कराया जा सकेगा। प्रयास ऐसे होंगे कि गाँव के कचरे का वैज्ञानिक प्रबंधन हो और यह कचरा ग्राम पंचायत की आय का साधन बने। उन्होंने सरपंचों का आह्वान किया कि वे केवल सीसी रोड निर्माण तक सीमित न रहें, बल्कि अपनी पंचायत में पर्यावरण सुरक्षा, बेहतर शिक्षा व चिकित्सा आदि सेवायें भी बेहतर रूप में मुहैया कराने में मददगार बनें।

प्रदेश की नगरीय विकास एवं आवास

मंत्री श्रीमती माया सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने दृढ़ संकल्प एवं दूरदृष्टि के साथ देश के नव निर्माण का संकल्प लिया है। आप सबकी सहभागिता से ही इसके शतप्रतिशत परिणाम सामने आयेंगे। प्रदेश सरकार पूरी शिद्दत के साथ केन्द्र सरकार की योजनाओं को अमलीजामा पहना रही है।

कार्यक्रम में विधायक श्री भारत सिंह कुशवाह एवं जिला पंचायत के उपाध्यक्ष श्री शांतिशरण गौतम ने भी विचार व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए मंत्र को अपनाकर और सही प्लानिंग कर हम गाँवों की तस्वीर बदल सकते हैं।

कलेक्टर श्री राहुल जैन ने बताया कि खुले में शौच मुक्त बनाने के बाद अब ग्वालियर जिले को कीचड़ और कचरा मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है और इस दिशा में काम भी शुरू कर दिया गया है। जिले की पंचायतों को डिजिटल बनाया जा रहा है।

आरंभ में अतिथियों ने दीप प्रज्ज्वलित कर और राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी के चित्र पर माल्यार्पण कर समारोह का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में साडा अध्यक्ष श्री राकेश जादौन, जिला अंत्योदय समिति के उपाध्यक्ष श्री बज्जर सिंह गुर्जर तथा जिला पंचायत व जनपद पंचायत के पदाधिकारी, पुलिस अधीक्षक डॉ. आशीष उपस्थित थे। अंत में जिला पंचायत सीईओ श्री नीरज कुमार सिंह ने सभी के प्रति आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम का संचालन श्री एस बी ओझा ने किया।

सरपंचों ने भी विचार रखे

पंचायतीराज संस्थाओं के सम्मेलन में विभिन्न ग्राम पंचायतों के सरपंचों ने भी विचार रखे। ग्राम पंचायत पाटई के सरपंच श्री दिलीप रावत का कहना था कि पहले हम सोचते थे कि पूरे गाँव के जरूरतमंदों को घर और शौचालय मुहैया कराने के लिये हमें दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। मगर भारत सरकार द्वारा शुरू की गई प्रधानमंत्री आवास योजना और स्वच्छ भारत मिशन से अब यह लक्ष्य प्राप्त करना आसान हो गया है। इसी तरह बड़ेराबुजुर्ग की सरपंच श्रीमती सुनीता ने सुझाव दिया कि हर घर में डस्टबिन भी

रखवाए जाना चाहिए। बिल्हेटी के सरपंच का सुझाव था कि वर्ष-2022 तक ग्राम पंचायतों के कार्यालयों को कागज मुक्त बनाया जाए। अर्थात पंचायतों का सारा काम ऑनलाइन होना चाहिए।

यह संकल्प दिलाए

केन्द्रीय मंत्री द्वय ने ग्वालियर फेसिलिटेशन सेंटर में मौजूद पंचायत प्रतिनिधियों को वर्ष-2022 तक भारत के नव निर्माण, स्वच्छ भारत, गरीबी मुक्त भारत, भ्रष्टाचार मुक्त भारत, आतंकवाद मुक्त भारत, संप्रदायवाद मुक्त भारत, हर गरीब को घर दिलाने, हर हाथ को कुशल बनाने, गाँवों को वृक्षों से आच्छादित करने, हर गाँव तक सड़क बनवाने, मिशन अंत्योदय को सफल बनाने, समूहों के जरिए आत्मनिर्भर बनाने के संकल्प दिलाए।

प्रदर्शनी भी देखी और ओडीएफ में योगदान देने वालों को किया सम्मानित

फेसिलिटेशन सेंटर में लगाई गई स्वच्छता पर केन्द्रित प्रदर्शनी का भी केन्द्रीय मंत्री द्वय ने जायजा लिया। श्री रविशंकर प्रसाद ने प्रदर्शनी में लगे बायोटॉयलेट की सराहना की।

जिले को ओडीएफ बनाने में योगदान देने वाले ग्राम पंचायत सरपंचों, सचिवों, ग्राम रोजगार सहायकों, स्वच्छता समन्वयकों तथा प्रधानमंत्री आवास योजना और डिजिटल पेंशन भुगतान करने वाले अधिकारियों-कर्मचारियों को सम्मानित भी किया गया।

महिला स्व-सहायता समूहों का सम्मेलन

सामाजिक, आर्थिक परिवर्तन का आंदोलन बनें
महिला स्व-सहायता समूह

भोपाल में 28 अगस्त को मुख्यमंत्री निवास पर महिला स्व-सहायता समूहों के सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मध्यप्रदेश में आजीविका मिशन के तहत एक लाख 69 हजार स्व-सहायता समूह कार्य कर रहे हैं। ये समूह प्रदेश से गरीबी दूर करने की दिशा में अहम भूमिका निभा सकते हैं। मध्यप्रदेश में स्व-सहायता समूह सामाजिक, आर्थिक परिवर्तन के आंदोलन का नेतृत्व करें। महिला स्व-सहायता समूहों को महिला सशक्तिकरण का आंदोलन बनाया जायेगा। इन समूहों की महिला सदस्यों को रोजगार से जोड़कर उनकी गरीबी को दूर किया जायेगा। इस सम्मेलन में मध्यप्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत गठित स्व-सहायता समूहों की महिला सदस्यों ने भाग लिया। सम्मेलन में पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री गोपाल भार्गव भी

महिला स्व-सहायता समूहों के सम्मेलन में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में महिला स्व-सहायता समूह सामाजिक, आर्थिक परिवर्तन के नेतृत्व का आंदोलन बनें। महिला स्व-सहायता समूहों को महिला सशक्तिकरण का आंदोलन बनाया जायेगा। इन समूहों की महिला सदस्यों को रोजगार से जोड़कर गरीबी को दूर किया जायेगा। प्रदेश में महिला स्व-सहायता समूह सामाजिक, आर्थिक परिवर्तन के अगुवा बन गये हैं।

प्रदेश में आजीविका मिशन के तहत काम कर रहे एक लाख 69 हजार स्व-सहायता समूह प्रदेश से गरीबी के कलंक को मिटाने के संकल्प से काम करें। मध्यप्रदेश के महिला स्व-सहायता समूहों का आंदोलन पूरी दुनिया में उदाहरण बनेगा। आजीविका मिशन में स्व-सहायता समूहों की महिलाओं ने नेतृत्व की क्षमता विकसित की है। प्रदेश की सभी गरीब महिलाओं को स्व-सहायता समूहों से जोड़ा जायेगा। स्व-सहायता समूहों द्वारा बनाये गये उत्पादों के वितरण और उनके प्रचार की रणनीति बनाई जायेगी। इन स्व-सहायता समूहों को स्कूल गणवेश निर्माण का कार्य देने पर विचार किया जायेगा। सरकारी खरीदी में स्व-सहायता समूहों के उत्पादों की खरीदी की व्यवस्था की जायेगी। बड़े शॉपिंग मॉल में स्व-सहायता समूहों के उत्पादों के लिये स्थान तय किया जायेगा। स्व-सहायता समूहों को माइक्रो फाइनेंस कम्पनियों और बैंकों से ऋण लेने में होने वाली दिक्कतों को दूर किया जायेगा। मुख्यमंत्री ने महिला सदस्यों से आग्रह किया कि अपने बच्चों की शिक्षा पर विशेष ध्यान दें। राज्य सरकार ने बारहवीं की परीक्षा में 75 प्रतिशत से अधिक अंक लाने और उच्च शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश लेने वाले बच्चों

स्व-सहायता समूहों की महिला सदस्यों ने खुलकर अपनी बात रखी

- **प्रदेश में महिला स्व-सहायता समूह सामाजिक, आर्थिक परिवर्तन के अग्रणी बन गए हैं।**
- **स्व-सहायता समूहों को माइक्रो फाइनेंस कंपनियों और बैंकों से ऋण लेने में आने वाली दिक्कतों को दूर किया जायेगा ।**
- **शॉपिंग मॉल में स्व-सहायता समूहों के उत्पाद के लिए स्थान होंगे तय।**
- **महिला स्व-सहायता समूहों के उत्पादों की सरकारी खरीदी की व्यवस्था की जायेगी।**
- **सभी जिलों में आयोजित किये जायेंगे महिला स्व-सहायता समूहों के सम्मेलन।**
- **स्व-सहायता समूहों को स्कूल गणवेश निर्माण का कार्य देने पर विचार किया जायेगा।**

की फीस भरने के लिये मेधावी विद्यार्थी योजना लागू की है। उन्होंने बताया कि सभी जिलों में महिला स्व-सहायता समूहों के सम्मेलन आयोजित किये जायेंगे।

कार्यक्रम में स्व-सहायता समूहों की महिलाओं ने अनौपचारिक बातचीत में खुलकर अपनी बात रखी, महिला स्व-सहायता समूहों की गतिविधियाँ और कठिनाइयाँ बताईं तथा सुझाव भी दिये। महिला सदस्यों ने कहा कि स्व-सहायता समूहों की बैठक के लिये ग्रामों में भवन निर्माण किया जाये। बैंकों में एक दिन स्व-सहायता समूहों की महिलाओं के लिये राशि निकालने के लिये तय हो। सभी बैंकों में बैंक सखियाँ नियुक्त की जायें। बाजार में आजीविका मिशन के उत्पाद विशिष्ट नाम से जाने जायें। भूमि अधिकार में बेटियों का नाम भी जोड़ा जाये। स्व-सहायता समूहों के लिये कम्प्यूटर प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाये। शॉपिंग मॉल में स्व-सहायता समूहों के उत्पादों के लिये विक्रय की व्यवस्था हो। स्व-सहायता समूहों की ओवरड्राफ्ट लिमिट बढ़ाई जाये। गाँवों में बीज भण्डारण केन्द्र प्रस्तावित किये जायें। महिलाओं के प्रस्ताव पर ग्राम पंचायतों में कार्रवाई कर ग्राम सभा में बताया जाये। शासकीय छात्रावासों में बेडशीट प्रदाय करने का काम स्व-सहायता समूहों को दिया जाये।

कार्यक्रम में अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास श्री आर.एस. जुलानिया, राज्य आजीविका मिशन के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री एल.एम बेलवाल सहित बड़ी संख्या में प्रदेशभर से आयी महिला स्व-सहायता समूहों की सदस्य उपस्थित थीं।

● के.के. जोशी
(सहायक संचालक, जनसंपर्क विभाग, म.प्र.)

नये भारत का संकल्प

स्वतंत्रता दिवस पर भारत के हृदयप्रांत मध्यप्रदेश में भारत को स्वर्णिम बनाने की शपथ ली गई और संकल्प पत्र भरे गए। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के 'नया भारत मंथन मिशन 2022' को साकार करने के लिए भारत सरकार का पंचायती राज मंत्रालय और मध्यप्रदेश के ग्रामीण विकास मंत्रालय के संयुक्त अभियान के अंतर्गत पूरे प्रदेश के गांवों को स्वच्छ बनाने, बेरोजगारी से मुक्त करने, जातिवाद, समुदायवाद के विचारों से ऊपर उठकर गरीबी मुक्त प्रदेश बनाने का संकल्प व्यक्त किया गया, जिसमें न केवल ग्राम पंचायतों और ग्राम सभाओं के एक-एक प्रतिनिधि ने हिस्सा लिया, बल्कि प्रशासन तंत्र और जन प्रतिनिधियों ने एक साथ मिलकर सामूहिक आयोजन किया और कदम से कदम मिलाकर साथ चलने की योजना बनाई। प्रदेश की सभी पंचायतों ने प्रस्ताव पारित कर संकल्प उठाया है कि 2022 तक भारत न केवल स्वस्थ, स्वच्छ, सुन्दर, समृद्ध, आत्मनिर्भर, बेरोजगारी मुक्त होगा, बल्कि भारत का प्रत्येक गांव किसी भी तनाव, विवाद, विभेद और वैमनस्य से ऊपर उठकर देश की अग्रिम पंक्ति में भी सबसे पहले होगा।

भारत को स्वस्थ, स्वच्छ, समृद्ध और स्वर्णिम बनाने की शपथ

इस साल स्वतंत्रता दिवस पर भारत के हृदयप्रांत मध्यप्रदेश में भारत को स्वर्णिम बनाने की शपथ ली गई और संकल्प पत्र भरे गए।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के 'नया भारत मंथन मिशन 2022' को साकार करने के लिए भारत सरकार का पंचायती राज मंत्रालय और मध्यप्रदेश के ग्रामीण विकास मंत्रालय के संयुक्त अभियान के अंतर्गत पूरे प्रदेश के गांवों को स्वच्छ बनाने, बेरोजगारी से मुक्त करने, जातिवाद, समुदायवाद के विचारों से ऊपर उठकर गरीबी मुक्त प्रदेश बनाने का संकल्प व्यक्त किया गया जिसमें न केवल ग्राम पंचायतों और ग्राम सभाओं के एक-एक प्रतिनिधि ने हिस्सा लिया, बल्कि प्रशासन तंत्र और जन प्रतिनिधियों ने एक साथ मिलकर सामूहिक आयोजन किया और कदम से कदम मिलाकर साथ चलने की योजना बनाई।

पिछले तेरह सालों से मध्यप्रदेश में ग्रामीण विकास की एक नई इबारत लिखी जा रही है। नया रास्ता, नई उमंग और नए विचार का ही परिणाम है कि मध्यप्रदेश न केवल बीमारू प्रांत के अभिशाप से मुक्त हुआ, बल्कि राष्ट्र निर्माण के अनेक मार्गों में अग्रणी होने का भी हरेक पंचायत ने काम किया है, जिससे गांव उन्नत हुए और कृषि उत्पादन के कीर्तिमान बने। अब प्रदेश की सभी पंचायतों ने प्रस्ताव पारित कर संकल्प उठाया है कि 2022 तक भारत न केवल स्वस्थ, स्वच्छ, सुन्दर, समृद्ध, आत्मनिर्भर, बेरोजगारी मुक्त होगा, बल्कि भारत का प्रत्येक गांव किसी भी तनाव, विवाद, विभेद और वैमनस्य से ऊपर उठकर देश की अग्रिम पंक्ति में भी सबसे पहले होगा।

किसी भी राष्ट्र की बुनियाद उसके गांवों में होती है। फल-फूल, सब्जी, अनाज ही नहीं, औषधियों का उत्पादन भी वहीं होता है। यदि गांव समृद्ध, सुखी, निर्भय होंगे तो देश की तरक्की को कौन रोक पायेगा। इसीलिए सरकार ने ग्रामों के रूप में देश की बुनियाद मजबूत करके एक स्वर्णिम राष्ट्र बनाने का कार्यक्रम आरंभ किया है।

मूलतया यह आह्वान भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का है, जिसे भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय और मध्यप्रदेश के ग्रामीण विकास मंत्रालय ने संयुक्त रूप से आरंभ किया है। इस साल 15 अगस्त से पूरे प्रदेश में इसकी शुरुआत हो गई है। अभियान में अतीत के प्रति आभार व्यक्त करके वर्तमान को सक्रिय करना है, ताकि भविष्य उज्ज्वल हो सके। इसीलिए पंचायत राज संचालनालय द्वारा परिपत्र के अनुरूप पूरे प्रदेश में लगभग सभी पंचायतों ने अपने कार्यक्रम की शुरुआत उन शहीदों को श्रद्धांजलि से आरंभ की, जिनकी कुर्बानियों के कारण आज पूरा देश खुली हवा में सांस ले रहा है। स्वतंत्रता के सुप्रभात में अपनी दिनचर्या आरंभ कर रहा है। इसमें विशेषकर भारत छोड़ो आंदोलन में हुए शहीदों का विशेष उल्लेख किया गया। इसका कारण यह है कि इससे पहले हिंसक और अहिंसक दोनों प्रकार के अभियान भारतीय स्वतंत्रता के लिए चले, लेकिन उनमें एक संगठित स्वरूप का अभाव रहा। दो आंदोलन अलग-अलग रहे, लेकिन 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन पूरे देश में एक साथ आरंभ हुआ। सभी विचार, सभी संगठन एक साथ आए, जिससे अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए विवश होना पड़ा। इसमें सभी लोग साथ थे। धर्म, भाषा, वर्ग, वर्ण, ऊंच-नीच, संपन्नता, विपन्नता, जैसे कोई भेद न थे। गांधी जी के आह्वान पर पूरा देश एक साथ उठ खड़ा हुआ और अंग्रेजों को जाना पड़ा।

उत्कृष्ट कार्यों के लिए पंचायतों को पुरस्कृत किया जायेगा

भारत सरकार ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा वर्ष 2016-17 में किये गये उत्कृष्ट कार्यों के लिए जिला पंचायत, जनपद पंचायत और ग्राम पंचायत को पुरस्कृत किया जायेगा। इन पुरस्कारों में दीन दयाल उपाध्याय, पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार, नानाजी देशमुख, राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार एवं महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में उत्कृष्ट कार्य पुरस्कार प्रदान किये जायेंगे। इन पुरस्कारों के लिए जिला पंचायत, जनपद पंचायत और ग्राम पंचायत से नामांकन ऑनलाइन प्राप्त किये जायेंगे।

ऑनलाइन नामिनेशन की प्रश्नावली, प्रक्रिया तथा अन्य जानकारी हेतु पंचायती राज मंत्रालय की वेबसाइट लिंक http://panchayataward.gov.in पर लॉगिन करके जानकारी डाउनलोड करायी जा सकती है। यूजर नेम और पासवर्ड पूर्व में NIC द्वारा उपलब्ध कराये अनुसार ही होगा।

दीनदयाल उपाध्याय पुरस्कार अंतर्गत एक-तिहाई पुरस्कार विशेष रूप से 9 विषयों पर आधारित होगा, जिसमें स्वच्छता, सिविल सर्विस (पेयजल, स्ट्रीट लाइट, आधारभूत संरचना), प्राकृतिक संसाधनों का सदुपयोग, सर्विस मार्जिन्लाइज्ड (महिला, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, विकलांगता, वरिष्ठ नागरिक), सामाजिक सेवाओं के प्रदाय की उपलब्धता, विपदा प्रबंधन, CBO's/Individuals taking Voluntary Actions to Support Gram Panchayats, पंचायतों द्वारा स्वयं के आय स्त्रोतों में वृद्धि हेतु प्रयास और ई-गवर्नेंस पर आधारित सेवायें उपलब्ध करने वाली पंचायतों को दिया जायेगा। नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार ग्राम पंचायत क्षेत्र में सामाजिक-आर्थिक विकास में ग्राम सभाओं को विशेष सहभागिता हेतु दिया जायेगा। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण योजना पुरस्कार मनरेगा में उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया जायेगा।

नामांकन ऑनलाइन प्रक्रिया के लिए जिले की NIC से आवश्यकतानुसार प्रोसेस हेतु सहयोग लिया जा सकता है। इसके अलावा पुरस्कार से संबंधित जानकारियों के लिए Awards mopr@nic.in और joshi.sk@nic.in से संपर्क कर सकते हैं। राज्य स्तर पर समन्वय के लिए नोडल अधिकारी श्रीमती शिवानी वर्मा, संयुक्त संचालक (9424083938) एवं श्री दीपक गौतम, प्रोग्रामर (9424491909) से भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

इसलिए नए भारत को गढ़ने के इस अभियान को 1942 के शहीदों को नमन करके आरंभ किया गया।

मध्यप्रदेश की सभी 22824 पंचायतों में भारत छोड़ो आंदोलन के इन बलिदानियों को स्मरण किया गया, जिसमें जिला, जनपद और ग्राम पंचायतों के अमले के अलावा स्थानीय जन प्रतिनिधि शामिल हुए। पहले विशेषज्ञों ने स्वतंत्रता की लड़ाई की जानकारी दी और गांवों के युवाओं को, विभिन्न योजना के हितग्राहियों, स्वसहायता समूहों, विद्यालयों के समस्त छात्रों को 6 प्रकार के शत्रुओं से सावधान किया गया और उनसे मुक्ति की शपथ दिलाई गई है। ये 6 प्रकार के शत्रु हैं, गंदगी, गरीबी, भ्रष्टाचार, आतंकवाद, जातिवाद और समुदायवाद। ये शत्रु देश को कमजोर कर रहे हैं समाज को खोखला कर रहे हैं। इनसे मुक्त करने के लिए उपस्थित ग्रामजनों और पंचायत प्रतिनिधियों ने संकल्प व्यक्त किया। शपथ उठाई। कार्यक्रम में न केवल संकल्प और शपथ उठाई। बल्कि ऐसे संकल्प पत्रक भी तैयार किए गए, जिन्हें लोगों ने भरा। ताकि स्मरण रहे, समर्पण रहे कि उन्हें क्या काम करना है।

यह अभियान पूरे प्रदेश में, सभी पंचायतों में एक साथ शुरू किया गया। इसकी तैयारी के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने सभी संभागायुक्तों और जिला अध्यक्षों की बैठक ली। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री गोपाल भार्गव ने विभिन्न अधिकारियों एवं जिला पंचायत के प्रतिनिधियों से चर्चा की। इसके साथ ही विभाग की ओर से परिपत्र भी जारी किए गए।

शासन द्वारा की गई इस मशक्कत का कारण यह है कि कोई भी योजना, कोई भी संकल्प जनता की भागीदारी और उत्साह के बिना पूरा नहीं होता इसलिए मुख्यमंत्री जी, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री तथा विभाग के प्रमुख अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के बीच बेहतर तालमेल के कारण ही यह अभियान सार्थकता के साथ संपन्न हुआ। जिसमें प्रत्येक व्यक्ति ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया।

इस अभियान की पूर्ति के लिए प्रत्येक ग्राम में ग्राम सभा का भी आयोजन किया गया। प्रभात फेरियां निकाली गईं और इस विषय पर विचार हुआ कि प्रदेश की प्रत्येक पंचायत में जन प्रतिनिधि, पंचायत प्रतिनिधि और गांवों में रहने वाला व्यक्ति अपना योगदान कैसे दे सकता है। सभा, संकल्प और चर्चाओं में हिस्सा लेने आए व्यक्तियों ने अपने-अपने योगदान की चर्चा की। इसके लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने न केवल वीडियो कांफ्रेंस के जरिए इस आयोजन की महत्ता, भारत और प्रदेश सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों का विवरण दिया, बल्कि समस्त प्रदेशवासियों से अपना-अपना योगदान देने की अपील भी की।

इस अभियान की दूसरी विशेषता यह है कि कार्यक्रम के बाद प्रत्येक स्तर पर कार्यों की समीक्षा की गई। अधिकारी स्तर पर तथा जन प्रतिनिधि स्तर पर भी समीक्षा की गई। मध्यप्रदेश में इस आयोजन के क्रियान्वयन का जो स्वरूप सामने आया है उससे यह उम्मीद की जा सकती है कि जिस तरह मध्यप्रदेश अन्य योजनाओं के क्रियान्वयन में अग्रणी रहा है वह इस नए भारत को गढ़ने के अभियान में भी अग्रणी होगा।

● रमेश शर्मा

(लेखक वरिष्ठ पत्र एवं स्तंभकार हैं)

एक राष्ट्र, एक संकल्प और एक सार्थक पहल

यदि हमारे पास दृढ़ संकल्प है और एक दृढ़ संकल्पित जीवन लक्ष्य की शक्ति है, तो सफलता हासिल करने से हमें कोई नहीं रोक सकता। हालांकि कुछ लोगों को यह गुण उपहार में मिला होता है और कुछ लोगों को इस गुण को अभ्यास से विकसित करना पड़ता है लेकिन हमारे पास अगर दृढ़ संकल्प है, तो कोई भी हमें जीवन में सफल होने से नहीं रोक सकता है। एक बात स्पष्ट है कि उपलब्धि का प्रकार उस लक्ष्य पर निर्भर करता है, जिसे हमने खुद अपने लिए निर्धारित किया है। एक बार जब हम अपने लक्ष्य को, संकल्प को निर्धारित कर, अपने मन को अनुशासित कर लेते हैं तो हम अपने आप में परिवर्तन देखते हैं। कुछ इस तरह का ही संकल्प 'संकल्प से सिद्धि' अभियान के तहत प्रत्येक देशवासी और प्रदेशवासी ने लिया है। यह संकल्प नये भारत के निर्माण के लिये है, एक विकसित समाज के लिये है। जिसे आत्मसात् करके एक सुविकसित समाज तथा समृद्ध राष्ट्र का निर्माण किया जा सकता है।

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने 9 अगस्त 1942 को अंग्रेजों के शासन से मुक्त होने के लिये समस्त भारतवासियों से भारत छोड़ो आंदोलन का संकल्प लेने का आह्वान किया था। उस समय इस आह्वान का सम्पूर्ण देश में व्यापक असर हुआ था और हम अंग्रेजों के शासन से स्वतंत्र हो गये। इसी आह्वान से प्रेरणा लेकर माननीय प्रधानमंत्री जी ने समस्त देशवासियों से गरीबी, गंदगी, जातिवाद, भ्रष्टाचार, सम्प्रदायवाद और आतंकवाद से मुक्ति पाने का संकल्प लेने की अपील की है। भारत छोड़ो आंदोलन के 75 वर्ष एवं देश की स्वतंत्रता के 70 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री जी द्वारा 'संकल्प से सिद्धि' का अभियान चलाये जाने के लिये आह्वान किया गया। चूंकि महात्मा गांधी ने 9 अगस्त को अंग्रेजों से भारत को मुक्त करने का भारतवासियों से संकल्प दिलाया था इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने 9 अगस्त, 2017 को 'संकल्प से सिद्धि' अभियान को अपनाने के लिए आह्वान किया कि देश के सभी नागरिक वर्ष 2022 (05 वर्ष में) तक एक नए भारत के निर्माण में अपनी भूमिका निभाएं। प्रधानमंत्री जी ने 30 जुलाई को मन की बात कार्यक्रम में कहा था कि 1942 से 1947 के बीच के 5 वर्ष संकल्प से सिद्धि के निर्णायक वर्ष थे। यह संकल्प देश को आजाद कराने का आधार बना। इसीलिये इस संकल्प से सिद्धि अभियान में अगले पांच साल में देश को फिर से बदलने का संकल्प लिया गया। मध्यप्रदेश में भी इस अभियान को आत्मसात् करते हुए गाँव-गांव, शहर-शहर में गरिमामय कार्यक्रम आयोजित हुए और लोगों ने अभियान अंतर्गत संकल्प लिये। इस अभियान का सार्थक पहलू यह रहा कि हर एक कार्यक्रम में लोगों ने बढ़-चढ़कर भाग लिया।

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा दिनांक 23 अगस्त 2017 से 30 अगस्त 2017 के मध्य सम्पूर्ण प्रदेश में संकल्प से सिद्धि अभियान सम्मेलनों का आयोजन

किया गया। प्रत्येक जिले में लगभग 2200 से 2500 सम्मानीय जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने 'संकल्प से सिद्धि' अभियान को लेकर कहा है कि अभियान के तहत नये भारत के निर्माण के लिये नये मध्यप्रदेश का निर्माण किया जायेगा। इसके लिये नये मध्यप्रदेश निर्माण का रोडमेप बनाया जायेगा और इसे आगामी 01 नवम्बर 2017 को मध्यप्रदेश स्थापना दिवस पर जारी किया जायेगा। इसके पहले आगामी 25 अक्टूबर 2017 तक नये मध्यप्रदेश के निर्माण के लिये समाज के हर वर्ग से सुझाव लिये जायेंगे। उन्होंने कहा कि नये भारत के निर्माण के लिये नये मध्यप्रदेश के निर्माण के रोडमेप का क्रियान्वयन समाज और सरकार द्वारा मिलकर किया जायेगा। नये मध्यप्रदेश के निर्माण के लिये सुझाव प्राप्त करने के लिये ग्राम सभा कार्यक्रम आयोजित कर सुझाव लिये जायेंगे। आगामी 01 नवम्बर को प्रदेश के हर गाँव और शहर में नये मध्यप्रदेश के निर्माण का संकल्प लिया जायेगा। नये मध्यप्रदेश के निर्माण का रोडमेप प्रदेश के नागरिकों के सुझावों के आधार पर तैयार किया जायेगा।

'संकल्प से सिद्धि' अभियान अंतर्गत शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन में समाज की भूमिका

गरीबी- गरीबी को दूर करने के लिये शासन द्वारा कई कार्यक्रम, अधिनियम, योजनायें संचालित हैं, जैसे- महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून, प्रधानमंत्री आवास योजना, मध्यप्रदेश ग्रामीण आजीविका मिशन, मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास मिशन, भवन और निर्माण श्रमिकों के लिए 22 कल्याणकारी योजनाएं, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन योजना, राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना, मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजना, आम आदमी बीमा (जनश्री बीमा) योजना आदि संचालित की जा रही है। इन योजनाओं के अंतर्गत पात्र व्यक्ति को लाभ दिलवाने हेतु ग्राम पंचायत अथवा जनपद पंचायत को जिम्मेदारी दी गई है।

समाज की भूमिका- लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए गरीबी उन्मूलन संबंधी शासकीय योजनाओं के बारे में लोगों को जागरूक करना, भूमिहीन, बेरोजगार व्यक्तियों को आजीविका की योजनाओं से जोड़ने में सहयोग करना, गरीब परिवारों, व्यक्तियों का नाम गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवारों की सूची में जुड़वाना, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना का प्रचार-प्रसार एवं पात्र को लाभ दिलवाना, योजनाओं के अन्तर्गत ग्राम पंचायत में जमा किये गये आवेदनों का फॉलोअप करने हेतु ग्रामवासियों को जागरूक करना तथा सहयोग करना, स्व-सहायता समूहों, सामुदायिक संस्थाओं के माध्यम से ग्रामीण हितग्राहियों को रोजगार से जोड़ने के लिए तकनीकी एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण दिलवाना आदि। गरीबी उन्मूलन एवं स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन हेतु शासन के विभिन्न विभागों द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी लोगों को उपलब्ध कराना।

गंदगी- गंदगी दूर करने हेतु शासन द्वारा समग्र स्वच्छता अभियान का संचालन किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य खुले में शौच से मुक्ति हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता सुविधाओं को व्यापक बनाना तथा लोगों के स्वास्थ्य एवं जीवन स्तर को बेहतर बनाना है। अभियान के अंतर्गत शासन द्वारा ग्रामीण जनजीवन के स्तर में गुणात्मक सुधार लाने, समुदाय व पंचायती राज संस्थाओं में जागरूकता बढ़ाकर स्वास्थ्य शिक्षा के माध्यम से निरंतर स्वच्छता को प्रोत्साहित करने के लिए प्रेरित करने एवं स्वच्छता का कवरेज बढ़ाकर शत-प्रतिशत करने के लिए विभिन्न गतिविधियां संचालित की जा रही हैं।

समाज की भूमिका- सामान्यतः 80 प्रतिशत बीमारियां खुले में मल त्याग करने से फैलती हैं। साथ ही डायरिया, मलेरिया, डेंगू इत्यादि दूषित एवं ठहरे जल से फैलते हैं तथा पोलियो खुले में मल त्याग करने से ही फैलता है। विश्व में करोड़ों लोग स्वच्छता के अभाव में पेट के रोग से ग्रसित हो जाते हैं। अतः ग्रामवासियों को व्यक्तिगत और आस-पास की गंदगी से होने वाले दुष्परिणामों के बारे में जागरूक कर स्वच्छ जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित करना। स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत शौचालय बनवाने के लिए लोगों को प्रेरित करना तथा जिन लोगों ने शौचालय बनवा लिये, उन्हें शौचालय का उपयोग करने के लिए प्रेरित करना। ग्राम पंचायत के सभी ग्रामों को ओ.डी.एफ. ग्रामों के रूप में परिवर्तित करने के लिए सहयोग से प्रयास करना शामिल है। समाज को ग्राम एवं नगरों में गंदगी के कारणों को चिन्हित कर उसके उन्मूलन के लिये लोगों को संगठित कर कार्य करना चाहिये। ग्राम एवं नगरों में निकलने वाले कचरे, जो गंदगी का वर्तमान समय में प्रमुख कारण है, से खाद बनाने की इकाईयां स्थापित करें, जिससे लोगों को रोजगार मिले तथा ग्राम में खेती के लिए रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम हो। व्यक्तिगत स्वच्छता जैसे- भोजन के पहले एवं शौच के बाद हाथ

धोना, रोज स्नान करना, साफ-सुथरे कपड़े पहनना, नाखून छोटे व साफ रखना आदि के संबंध में भी लोगों को जागरूक करना। स्थानीय स्तर पर जलाशयों जैसे- नदी, कुआं, तालाब आदि के संरक्षण तथा शुद्ध पेयजल के उपयोग के लिए लोगों को प्रशिक्षित कर ऐसा करने हेतु प्रेरित करें। धरातल के साथ-साथ आकाश की शुद्धता भी जरूरी है। आजकल कचरे में आग लगाना आदत सी बनती जा रही है। गेहूं की फसल काटने के पश्चात नरवाई में आग लगाई जा रही है, जो आकाश में गंदगी का प्रमुख कारण है। ऐसा न करने हेतु लोगों को प्रेरित किया जाये। खुले में गंदा पानी न बहायें, गंदगी तथा गंदे पानी के प्रवाह को दफनाया जाये। ऐसे छोटे-छोटे प्रयोग किये जाने की आवश्यकता है। अत्यधिक धुआं छोड़ने वाले पुराने वाहनों का उपयोग न हो, इस दिशा में भी लोगों को जागरूक किये जाने की आवश्यकता है। लकड़ी एवं कंडे के स्थान पर गोबर गैस अथवा एल.पी.जी. का उपयोग किया जाये, इस विषय पर भी लोगों को जागरूक किये जाने की आवश्यकता है। मृत पशुओं को खुले में न फेंका जाये, अपितु सामूहिक प्रयास से पशु मुक्ति धाम बनाने की दिशा में प्रयास किया जाये। पॉलिथीन एवं प्लॉस्टिक के उपयोग से बचा जाये। खुले में थूकने से बचा जाये। इन सब विषयों पर लोगों को प्रेरित करने से ही गंदगी से मुक्ति मिल सकती है।

भ्रष्टाचार- शासन द्वारा भ्रष्टाचार के निवारण के लिए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (The Prevention of Corruption Act) 1988 लागू किया गया है। शासन द्वारा भ्रष्टाचार से निपटने के लिए लोकायुक्त संगठन तथा आर्थिक अपराध शाखा (ECONOMIC OFFENCE WING) की स्थापना की गई है।

समाज की भूमिका- भ्रष्टाचार का हमारे समाज और राष्ट्र में व्यापक रूप से असर हो रहा है, जिससे संपूर्ण व्यवस्था में असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो रही है। राजनैतिक, धार्मिक, आर्थिक व प्रशासनिक आदि सभी क्षेत्र इसके दुष्प्रभाव से ग्रसित हैं।

भ्रष्टाचार किसी व्यक्ति विशेष या समाज की नहीं, अपितु संपूर्ण राष्ट्र की समस्या है। इसका निदान केवल प्रशासनिक स्तर पर हो सके ऐसा संभव नहीं है। इसका समूल विनाश सभी के सामूहिक प्रयास के द्वारा ही संभव है। इसीलिये सामाजिक स्तर पर यह आवश्यक है कि हम ऐसे तत्वों को बढ़ावा न दें, जो भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं या उसमें लिप्त हैं तथा आमजन को भ्रष्टाचार न सहने तथा उसके खिलाफ संघर्ष करने के लिये प्रेरित करें। साथ ही भ्रष्टाचारियों का बहिष्कार किया जाये। जब तक कि वे नीति के मार्ग पर नहीं चलने लगें। ईमानदारी से कार्य करने वाले लोगों को सम्मानित किया जाये। जनता के साथ भ्रष्टाचार करने वाले शासकीय पदाधिकारियों, अधिकारियों तथा शासकीय धन के दुरुपयोग एवं शासन की योजनाओं में हेराफेरी करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही हेतु समाज को पहल करना चाहिये। शासन द्वारा संभाग स्तर पर लोकायुक्त संगठन तथा आर्थिक अपराध शाखा की स्थापना की गई है। लोकायुक्त संगठन तथा आर्थिक अपराध शाखा की कार्यप्रणाली से परिचित होकर समाज को जागरूक बनाने की दिशा में कार्य करना चाहिये।

जातिवाद- सबसे पहले संविधान की प्रस्तावना में भारत के लिये धारणा है कि भारत ऐसा राष्ट्र है जहां सामाजिक, आर्थिक न्याय हो। जहां अवसरों और स्तर में समानता हो और जहां वैयक्तिक गरिमा सुनिश्चित हो। संविधान समानता की गारंटी देता है (अनुच्छेद 14), साथ ही राज्यों में भी इस बात को सुनिश्चित करता है कि किसी के भी साथ जाति के आधार पर भेदभाव न हो (अनुच्छेद 15 (1) व छूआछूत का उन्मूलन कर दिया गया है और इसका किसी भी रूप में व्यवहार में प्रयोग में लाना निषिद्ध है (अनुच्छेद 17)। संविधान ये निर्देश देता है कि कोई भी नागरिक, केवल जाति या धर्म के आधार पर किसी भी अयोग्यता या निषेधता का विषय न बनाया जाये। इसके अलावा, सामाजिक अन्याय और शोषण के सभी रूपों से भी संविधान सुरक्षा की गारंटी देता है (अनुच्छेद 46)।

समाज की भूमिका- जाति व्यवस्था समाज में एक अभिशाप है, इसने समाज को कई हिस्सों में बांट दिया है। जाति व्यवस्था को धर्म के साथ जोड़ा गया, ताकि धर्म के डर से मजबूरी में इस व्यवस्था को स्वीकार करें। कई लोग इस व्यवस्था का फायदा लेने में लगे हैं। ये जातीय संगठन अपने-अपने स्तर पर एक दूसरे से अलग होकर कार्य करते हैं, जिसके कारण समाज संगठित नहीं हो पाता।

'संकल्प से सिद्धि' अभियान की झलकियां

मध्यप्रदेश ग्रामीण बाहुल्य प्रदेश है। समस्त 51 जिलों में जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में दिनांक 23 अगस्त 2017 से 30 अगस्त 2017 के मध्य सम्मेलनों का आयोजन संपन्न हुआ।

- प्रत्येक जिले में लगभग 2200 से 2500 सम्मानीय जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे।
- ग्वालियर जिले में राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें केन्द्रीय विधि, न्याय एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद, केन्द्रीय पंचायत राज, ग्रामीण विकास, स्वच्छता, पेयजल एवं शहरी विकास मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर, नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्रीमती माया सिंह उपस्थित रहीं।
- प्रत्येक सम्मेलन में सांसद, विधायक, अध्यक्ष, जिला पंचायत/जनपद पंचायत तथा सदस्य जिला पंचायत, जनपद पंचायत, सरपंच, पंच के साथ विभागीय अधिकारी तथा कर्मचारी उपस्थित रहे।
- सम्मेलनों में प्रधानमंत्री जी के संदेश का वाचन किया गया तथा प्रतिभागियों द्वारा 2022 तक नव भारत निर्माण के लिए संकल्प लिया गया।
- 2022 तक भारत कैसा होगा, इस विषय पर माननीय अतिथियों द्वारा प्रतिभागियों को संबोधित किया गया।
- पंचायत राज एवं ग्रामीण विकास से संबंधित योजनाओं से लाभांवित ऐसे व्यक्तियों की फिल्में दिखायी गईं, जिन्होंने समाज में परिवर्तन लाकर दूसरों के लिए प्रेरणादायक संदेश दिया।
- सम्मेलन में प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन, पंच परमेश्वर, कुपोषण से मुक्ति, मध्यान्ह भोजन तथा अन्य योजनाओं के सफल क्रियान्वयन पर चर्चा की गयी।
- आयोजनों में विभिन्न सफलता की कहानियां, नवाचार, अच्छी पहलें और उत्कृष्ट कार्य को प्रदर्शित किया गया।
- आयोजनों में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का अमला, जनप्रतिनिधि और आमजनों ने भाग लिया।
- 15 अगस्त को समस्त ग्रामों में प्रभात फेरी निकाली गयी, स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में समस्त शालाओं के छात्रों को, स्थानीय युवाओं को, स्व-सहायता समूहों के सदस्यों को, ग्रामीण विकास विभाग की योजनाओं के हितग्राहियों को 6 शत्रुओं (गरीबी, गंदगी, भ्रष्टाचार, जातिवाद, सम्प्रदायवाद और आतंकवाद) से मुक्त करने तथा नव भारत के निर्माण की शपथ दिलवाई गई। समस्त ग्राम सभाओं में संकल्प पत्र वितरित कर भरवाये गये।
- स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और शहीदों की मूर्तियों का माला पहनाकर सम्मान किया गया, युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित की गई तथा युवाओं को भारत के गौरवशाली इतिहास के संबंध में जानकारी दी गई। देश के महापुरुषों महात्मा गांधी, डॉ. भीमराव अंबेडकर, वीर सावरकर और शहीद भगत सिंह पर आधारित फिल्मों का प्रदर्शन किया गया।

देश एवं प्रदेश को विकसित बनाना है तो इस जातिवाद जैसी बीमारी को जड़ से मिटाना होगा। इसीलिये यह आवश्यक है कि समाज में विघटित विभिन्न जातियों को जागरूक कर एकजुट किया जाये, तभी समाज विकसित हो पायेगा। इसके लिये सभी सामाजिक कार्यक्रमों, आयोजन में सभी जाति वर्ग के लोगों को आमंत्रित किया जाये तथा उनकी सहभागिता की जाये। समाज के प्रतिष्ठित लोगों को सभी जाति के लोगों को एक साथ जोड़कर जातिवाद के उन्मूलन के लिए सामूहिक गतिविधियों का संचालन करना चाहिये। जातिवाद को बढ़ावा देने वाले लोगों को हतोत्साहित करने के लिए लोगों को प्रेरित करें।

सांप्रदायिकता- भारतीय संविधान की प्रस्तावना- "हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सबमें व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुरक्षा सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ई. (मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत् 2006 विक्रम) को एतद् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित, और आत्मार्पित करते हैं"। प्रस्तावना से स्पष्ट है देश का संविधान धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करता है तथा सांप्रदायिकता से निपटने हेतु शासन द्वारा कई अधिनियम जैसे- साम्प्रदायिकता हिंसा निवारण अधिनियम तैयार किये। भारतीय दण्ड संहिता में भी धर्म के आधार पर अपराधों से निपटने हेतु प्रावधान हैं।

समाज की भूमिका- साम्प्रदायिकता एक अभिशाप है, हम सभी को इससे बचना चाहिए क्योंकि इससे किसी का भला नहीं हो सकता। अगर भाषा की दृष्टि से देखें तो

इसका मतलब होता है सांप्रदायिकता अर्थात किसी एक ही संप्रदाय, जाति, धर्म, क्षेत्र, रंग अथवा भाषा के प्रति रूढ़िवादी हो जाना। जब ऐसा होता है तो हमारे मन में एक-दूसरे के प्रति दुर्भावना पैदा हो जाती है और परिणामतः हम सभी एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं, जो कि किसी भी सभ्य समाज के लिए, देश के लिए, राष्ट्र के लिए खतरा है। अतः किसी भी व्यक्ति को साम्प्रदायिकता के भ्रम में नहीं पड़ना चाहिए, बल्कि सभी लोगों को अपना मानना चाहिए, क्योंकि ईश्वर ने पृथ्वी पर केवल दो ही लोगों को बनाया है। एक पुरुष और एक नारी को तो ऐसे में गोरा-काला, छोटा-बड़ा, अमीर-गरीब, ऊँचा-नीचा, हिन्दू-मुस्लिम, सिख-इसाई, बौद्ध-पारसी, जैन या कोई और यह सब केवल नाम हैं। इनका कोई और मतलब नहीं है। अतः हम सभी को समाज में भाईचारा बनाकर रखना चाहिए ताकि एक सभ्य समाज का, एक सभ्य देश का, एक विकसित देश का निर्माण हो सके।

आतंकवाद- देश में आतंकवाद पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से टाडा के स्थान पर एक नया आतंकवाद निरोधी अधिनियम (POTA) लागू किया गया तथा भारतीय दण्ड संहिता में भी देशद्रोही जैसी गतिविधियों में लिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने के लिए पर्याप्त प्रावधान हैं।

समाज की भूमिका- आतंकवाद वर्तमान समय में विश्व व्यापी समस्या बन गया है। यह समस्या न केवल भारत में ही है, बल्कि अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भी यह समस्या विकराल रूप धारण कर चुकी है। आतंकवाद ने हमारी आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक परिस्थितियों को प्रभावित किया है। अतः इसे दूर करना अत्यधिक आवश्यक है। समाज में यदि कोई व्यक्ति असामाजिक एवं संदिग्ध गतिविधियों में संलिप्त लगता है तो उसकी सूचना तत्काल पुलिस में देना चाहिये तथा ऐसी गतिविधियों में लिप्त व्यक्तियों को प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी परिस्थिति में सहयोग नहीं देना चाहिये।

● **नवीन शर्मा**
(लेखक स्तंभकार हैं)

आर्थिक स्वावलम्बन की ओर काली बाई

मध्यप्रदेश के श्योपुर जिले के ब्लॉक कराहल में सिलपुरी नामक एक गांव है, जिसकी दूरी जिले से लगभग 54 किलोमीटर है। इस ग्राम का मजरा है बनार, जो ग्राम से भी 3 किलोमीटर दूरी पर है। इसमें 92 परिवार निवास करते हैं, जो आदिवासी जाति के हैं। म.प्र. राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत 5 स्वसहायता समूहों का पुनर्गठन किया गया तथा 3 नये समूहों का गठन किया गया। 92 परिवारों में से 86 परिवार 8 समूहों से जुड़ चुके हैं। इन स्व-सहायता समूहों में से एक समूह है सरस्वती स्वसहायता समूह। इस समूह का गठन फरवरी 2012 में किया गया, इसकी अध्यक्ष हैं काली बाई पटेलिया।

काली बाई पटेलिया की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, पति की मौत के बाद परिवार की सारी जिम्मेदारी काली बाई के कंधों पर आ गई। वह तीन बच्चों का पालन-पोषण करने के साथ समूह का भी नियमित रूप से संचालन करती रहीं। दिसंबर 2016 तक सरस्वती समूह की कुल बचत राशि 23440 रुपये हो गयी। समूह को आर.एफ., सी.आई.एफ. और सी.सी.एल. की राशि भी प्राप्त हो गयी। सबसे पहले काली बाई ने 2000 रुपये का ऋण लिया जो 4 किश्तों में वापस भी कर दिया। काली बाई ने पुनः 20000 रुपये का ऋण लिया, कुछ राशि घर से मिलाई और आटा चक्की लगाई। पिसाई का कार्य शुरू किया, ग्राम में एक ही चक्की होने से काली बाई का काम अच्छा चल पड़ा और आमदनी होने लगी। वह स्वसहायता समूह को ऋण वापसी भी करती रहीं और परिवार भी चलाती रहीं। साथ ही अपनी खेती पर भी ध्यान दिया और समूह से और ऋण लेकर कृषि कार्य को भी व्यवस्थित किया। काली बाई जिस झोपड़ी में रह रही थीं, उसमें आटा चक्की चलाने के साथ-साथ अन्य छोटा-मोटा सामान रखकर बेचना शुरू कर दिया। आटा चक्की और दुकान से प्रतिदिन लगभग 500 से 600 रुपये आमदनी के अलावा 300 रुपये मासिक आमदनी अन्य सामान से होने लगी। काली बाई अब तक कुल 4 बार में 59,600 रुपये का ऋण ले चुकी हैं। उन्होंने अपनी आय से बच्चों की शादियां कीं और एक पक्का मकान भी बनवा लिया है। ग्राम में कन्वर्जेंस से 11 बोर कराये गये, उस समूह से भी काली पटेलिया जुड़ी हैं जिससे वह अपनी खेती का काम भी बेहतर तरीके से कर रही हैं। आज काली बाई पटेलिया और उनका परिवार खुश हैं। उनका कहना है कि जब मैं अकेली असहाय थी, तब समूह से जुड़कर मुझे समय-समय पर आर्थिक सहयोग मिला और आज मैंने चक्की चलाकर अपनी आर्थिक स्थिति सुधार ली है और पक्का मकान भी बनवा लिया है। खेती के लिए बैंक से ट्रैक्टर भी फायनेंस करवाया है।

● **दिनेश दुबे**
(सहायक राज्य परियोजना प्रबंधक, संचार, म.प्र. राज्य आजीविका मिशन)

प्रदेश के विभिन्न जिलों में संपन्न 'संकल्प से सिद्धि' अभियान अंतर्गत प्रमुख गतिविधियों का बिंदुवार संक्षिप्त विवरण

झाबुआ

उपस्थित लोगों की संख्या- 3150
अतिथियों की उपस्थिति- विधायक, अध्यक्ष जनपद पंचायत।

प्रमुख गतिविधियां-

- मान. प्रधानमंत्री जी का संदेश वाचन तथा 2022 तक नए भारत निर्माण का संकल्प, अतिथियों का उद्‌बोधन तथा पंचायत एवं ग्रामीण विकास से संबंधित लघु फिल्मों का प्रसारण।
- स्थानीय एजेण्डा अंतर्गत- प्रत्येक घर में बिजली, शुद्ध पेयजल, प्रत्येक घर में शौचालय, कीचड़मुक्त/गंदगीमुक्त ग्राम, शत-प्रतिशत साक्षरता, शत-प्रतिशत टीकाकरण, बैंक में शत-प्रतिशत खाते, हर खेत में पानी, हर एक पात्र के लिए आवास, बैंक सखी, वृक्षारोपण आदि पर चर्चा।

खण्डवा

उपस्थित लोगों की संख्या- 1514
अतिथियों की उपस्थिति- विधायक, खण्डवा, पंधाना, मांधाता, अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष जनपद पंचायत।

प्रमुख गतिविधियां-

- मान. प्रधानमंत्री जी द्वारा दिये गये संदेश का वाचन एवं संकल्प की शपथ।
- डाक्यूमेंट्री फिल्मों का प्रसारण।
- वर्ष 2022 का भारत कैसा हो, विषय पर परिचर्चा।
- शासन की महत्वाकांक्षी योजनाओं जैसे- स्वच्छ भारत मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, मनरेगा, पंच परमेश्वर, सीसी रोड निर्माण आदि के क्रियान्वयन के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई एवं समीक्षा की गई।

श्योपुर

उपस्थित लोगों की संख्या- 821
अतिथियों की उपस्थिति- प्रभारी जिला मंत्री, सांसद, विधायक एवं जिला पंचायत अध्यक्ष।

प्रमुख गतिविधियां-

- प्रधानमंत्री जी का संदेश एवं संकल्प का वाचन।
- 2022 में भारत कैसा हो, पर चर्चा।
- मुख्य अतिथियों द्वारा उद्‌बोधन।
- लघु फिल्मों का प्रदर्शन एवं क्षेत्र में किए गए उत्कृष्ट कार्यों की जानकारी साझा की गई।
- प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन, स्वच्छता एवं अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं पर चर्चा।
- किसानों की आय कैसे बढ़ाई जावे, के संबंध में चर्चा।

देवास

उपस्थित लोगों की संख्या- 3030
अतिथियों की उपस्थिति- सांसद, विधायक बागली, खातेगांव, अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष जिला पंचायत, जिला पंचायत सदस्य, अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष जनपद पंचायत टोंकखुर्द, देवास, बागली, कन्नौद, खातेगांव, सोनकच्छ, जनपद पंचायत सदस्य, सोनकच्छ, खातेगांव, अध्यक्ष मार्केटिंग सोसायटी सोनकच्छ, भूतपूर्व कृषि मण्डी अध्यक्ष सोनकच्छ, अंत्योदय समिति अध्यक्ष विकासखण्ड बागली, मण्डल अध्यक्ष बागली, सांसद प्रतिनिधि खण्डवा।

प्रमुख गतिविधियां-

- जिला पंचायत अध्यक्ष द्वारा मान. प्रधानमंत्री जी का संदेश वाचन एवं संकल्प दिलाया गया।
- उपस्थित अतिथियों द्वारा वर्ष 2022 का भारत कैसा हो, विषय पर चर्चा।
- पंचायत राज एवं ग्रामीण विकास से संबंधित 10 लघु फिल्में दिखाई गईं एवं क्षेत्र में किए गए उत्कृष्ट कार्यों की जानकारी भी सरपंच, जनपद सदस्य एवं जिला सदस्यों द्वारा परस्पर साझा की गई।
- मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत एवं अतिथिगणों द्वारा सम्मेलन के अंत में ग्रामीण विकास की विभिन्न महत्वपूर्ण योजनाओं/कार्यक्रमों की समीक्षा की गई।
- जनपद पंचायत बागली में आयोजित सम्मेलन में स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत समीक्षा के दौरान मान. विधायक बागली द्वारा जनपद पंचायत बागली की प्रत्येक पंचायत को विकास कार्य हेतु आगामी तीन माह में ओडीएफ होने पर क्रमशः 5.00 लाख, 3.00 लाख एवं 2.00 लाख देने की घोषणा की गई।

नीमच

उपस्थित लोगों की संख्या- 203
अतिथियों की उपस्थिति- विधायक नीमच एवं मनासा, जिला पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष नीमच, जनपद पंचायत अध्यक्ष जावद, मनासा, जनपद पंचायत उपाध्यक्ष नीमच।

प्रमुख गतिविधियां-

- मान. प्रधानमंत्री जी का संदेश वाचन एवं संकल्प का वाचन।
- पंचायत राज की फिल्मों का प्रदर्शन।
- उपस्थित अतिथियों का उद्‌बोधन।

शाजापुर

उपस्थित लोगों की संख्या- 3389
अतिथियों की उपस्थिति- विधायक शुजालपुर, कालापीपल, अध्यक्ष, जनपद पंचायत शाजापुर, बड़ोदिया, शुजालपुर, कालापीपल।

प्रमुख गतिविधियां-

- जिले के प्रत्येक जनपद पंचायत मुख्यालय पर 'संकल्प से सिद्धि' अभियान का आह्‌वान अन्तर्गत सम्मेलन आयोजित किये गये। सम्मेलनों में जिला पंचायत एवं जनपद पंचायत के सदस्य, जिला स्तरीय अधिकारी, खण्ड स्तरीय अधिकारियों के साथ समस्त ग्राम पंचायतों के सरपंच, सचिव एवं रोजगार सहायकों आदि ने सहभागिता की।
- जिले के समस्त सम्मेलनों में जिला

कलेक्टर एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत उपस्थित रहे। कलेक्टर द्वारा सम्मेलनों उपस्थित प्रतिभागियों के साथ कार्यक्रम की रूपरेखा एवं समसामयिक महत्व को उल्लेखित करते हुए बिन्दुवार विषयों के साथ ही कार्यक्रम के स्वरूप पर चर्चा की गयी ।

- कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधायक द्वारा प्रधानमंत्री जी का संदेश वाचन एवं संकल्प दिलवाने के साथ ही संकल्प 2022 तक नए भारत के निर्माण विषय पर बोलते हुए कहा कि प्रत्येक संकल्प हमें अपने कर्तव्यों एवं दायित्वों का बोध कराता है, क्योंकि देश का विकास तभी संभव है, जब गांव का विकास होगा और ग्रामों का विकास तभी होगा जब वहां की ग्राम सभाएं सशक्त होंगी। लोग अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक एवं संवेदनशील होंगे। ग्रामों को खुले में शौच से मुक्त कर स्वच्छता का वातावरण निर्मित करना होगा।
- सम्मेलनों में जिले की सर्वोच्च प्राथमिकता वाली योजना स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण योजना अन्तर्गत 31 अगस्त 2017 तक जिले को पूर्ण रूप से खुले से शौच मुक्त किया जाने का आह्वान किया गया।
- प्रधानमंत्री आवास योजना अन्तर्गत लक्ष्य के सापेक्ष अद्यतन प्रगति एवं उनमें आ रही कठिनाइयों के बारे में विस्तृत चर्चा कर प्रगतिरत आवासों को अभियान के रूप में पूर्ण करवाने का संकल्प लिया गया।
- उपस्थित जनप्रतिनिधियों द्वारा पंचायतों में ग्रामीण विकास की योजनाओं के क्रियान्वयन सम्बन्धी फीड बैंक लेकर योजनाओं के क्रियान्वयन में क्या सुधार किया जावे, पर चर्चा की गयी।
- दिनांक 24 अगस्त 2017 को केन्द्रीय विद्यालय के नवनिर्मित भवन के लोकार्पण पर मुख्य अतिथि के रूप में केन्द्रीय मंत्री, सामाजिक न्याय श्री थावरचन्द्र गेहलोत का आगमन हुआ। स्थानीय कृषि विज्ञान केन्द्र ग्राम गिरवर में मंत्री द्वारा उपस्थित किसानों एवं जनसमूह को हाथ उठाकर संकल्प दिलाया गया। उक्त कार्यक्रम में विधायक विधानसभा क्षेत्र शाजापुर, शुजालपुर, कालापीपल, सुसनेर, आगर (जिला आगर मालवा) भी उपस्थित रहे।

भिण्ड

उपस्थित लोगों की संख्या- 540
अतिथियों की उपस्थिति- अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, जिला पंचायत भिण्ड।

प्रमुख गतिविधियां-

- मान. प्रधानमंत्री जी का संदेश वाचन एवं जनप्रतिनिधियों द्वारा नये भारत निर्माण का संकल्प।
- वर्ष 2022 तक भारत कैसा हो, विषय पर चर्चा। विकास एवं कल्याणकारी योजनाओं पर चर्चा।
- ग्रामीण विकास से संबंधित लघु फिल्मों का प्रदर्शन।
- समग्र ग्रामीण विकास पर उपस्थित गणमान्य अतिथियों एवं प्रतिभागियों द्वारा चर्चा।
- क्षेत्र में किये गये उत्कृष्ट कार्यों की जानकारी साझा की गई।
- स्वच्छ भारत मिशन पर चर्चा एवं मिशन को सफल बनाने का संकल्प लिया गया।

बुरहानपुर

उपस्थित लोगों की संख्या- 607
अतिथियों की उपस्थिति- श्रीमती अर्चना चिटनिस, मंत्री, महिला एवं बाल विकास विभाग, विधायक सुश्री मंजू दादु नेपानगर बुरहानपुर, अध्यक्ष, सदस्य, जिला/जनपद पंचायत, सरपंच, पंच एवं सचिव।

प्रमुख गतिविधियां-

- मुख्य अतिथियों द्वारा आयोजित सम्मेलन में मान. प्रधानमंत्री जी के संदेश एवं संकल्प का वाचन।
- ग्रामीण विकास से संबंधित लघु फिल्में दिखाई गई।
- विभिन्न विकास एवं जनकल्याणकारी योजनाओं/कार्यक्रमों के क्रियान्वयनों पर विस्तार से चर्चा की गई।

इंदौर

उपस्थित लोगों की संख्या- 812
अतिथियों की उपस्थिति- अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, जिला पंचायत इंदौर, सांवेर, महू, अध्यक्ष, जनपद पंचायत इंदौर, उपाध्यक्ष जनपद पंचायत देपालपुर, विधायक प्रतिनिधि, अध्यक्ष, कृषि स्थायी समिति, जनपद सदस्य एवं सरपंच।

प्रमुख गतिविधियां-

- मान. प्रधानमंत्री जी के संदेश का वाचन एवं उपस्थित लोगों द्वारा 'संकल्प से सिद्धि' अभियान के विषयों पर संकल्प।
- वर्ष 2022 का भारत कैसा हो, पर चर्चा।
- प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन में ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन, पंच परमेश्वर एवं 14वां वित्त आयोग की जानकारी एवं समीक्षा।
- बारिश एवं अन्य मौसम में होने वाली बीमारियों के उन्मूलन पर चर्चा।
- सफलता की कहानियां एवं स्वच्छता से संबंधित चलचित्रों का प्रदर्शन।
- कुपोषण एवं महिला एवं बाल विकास की समस्त योजनाओं की जानकारी दी गई।
- नामांतरण, बंटवारा पर चर्चा।

ग्वालियर

उपस्थित लोगों की संख्या- 15,670
अतिथियों की उपस्थिति- केन्द्रीय विधि, न्याय एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद, केन्द्रीय पंचायतराज, ग्रामीण विकास, स्वच्छता, पेयजल एवं शहरी विकास मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर, नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्रीमती माया सिंह, श्री राकेश जादौन, चेयरमैन साडा, श्री भरत सिंह कुशवाह, विधायक, श्री शांति शरन गौतम, उपाध्यक्ष, जिला पंचायत।

प्रमुख गतिविधियां-

- मान. प्रधानमंत्री जी के संदेश का वाचन एवं उपस्थित लोगों द्वारा 'संकल्प से सिद्धि' अभियान के विषयों पर संकल्प।
- स्वच्छ भारत अभियान, सांसद एवं

प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम एवं मनरेगा के तहत हुए उत्कृष्ट कार्यों पर प्रदर्शनी।

- वर्ष 2022 का भारत कैसा हो, पर चर्चा।
- उपस्थित मुख्य अतिथियों द्वारा उद्बोधन।
- उत्कृष्ट कार्य करने वाले पंचायत कर्मियों को पुरस्कार।
- कैशलैस, डिजिटल इंडिया पर चर्चा।

शिवपुरी

उपस्थित लोगों की संख्या- 1115

अतिथियों की उपस्थिति- विधायक विधानसभा क्षेत्र पोहरी, कोलारस, अध्यक्ष, सदस्यगण, जिला पंचायत शिवपुरी, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य, जनपद पंचायत, सरपंच व पंचगण।

प्रमुख गतिविधियां-

- मान. प्रधानमंत्री जी के संदेश का वाचन एवं 'संकल्प से सिद्धि' के विषयों पर संकल्प।
- वर्ष 2022 का भारत कैसा हो, पर मंथन, चर्चा।
- मिशन अंत्योदय, स्वच्छ भारत मिशन, स्व-सहायता समूहों का सशक्तिकरण, सद्भावना एवं एकता, कृषि विकास पर चर्चा व्याख्यान।

होशंगाबाद

उपस्थित लोगों की संख्या- 1222

अतिथियों की उपस्थिति- श्री उदय प्रताप सिंह, सांसद, होशंगाबाद-नरसिंहपुर क्षेत्र, श्री सीताशरण शर्मा, अध्यक्ष विधान सभा, श्री विजयपाल सिंह, विधायक विधानसभा क्षेत्र, सोहागपुर, श्री ठाकुरदास नागवंशी, विधायक विधानसभा क्षेत्र पिपरिया, श्री सरताज सिंह, विधायक, विधानसभा क्षेत्र सिवनी मालवा, अध्यक्ष, सदस्य, जिला पंचायत होशंगाबाद, अध्यक्ष समस्त जनपद पंचायत/समस्त जनपद पंचायत सदस्य, मंडी अध्यक्ष, सिवनी मालवा, नगर पालिका अध्यक्ष, नगर पंचायत अध्यक्ष, मंडी अध्यक्ष होशंगाबाद एवं ग्राम पंचायतों के सरपंच/पंच।

प्रमुख गतिविधियां-

- मान. प्रधानमंत्री जी के संदेश का वाचन एवं संकल्प दिलाया गया।
- वर्ष 2022 का भारत कैसा हो, के संबंध में आपसी परिचर्चा।
- मुख्य अतिथि एवं अन्य उपस्थित जनप्रतिनिधियों का उद्बोधन।
- पंचायत राज एवं ग्रामीण विकास विभाग से लघु फिल्मों का प्रदर्शन एवं जिले में विभाग द्वारा की गई उल्लेखनीय गतिविधियों का पॉवर पाईन्ट प्रजेन्टेशन दिया गया।
- विभागीय योजनाओं एवं विकास कार्यों के क्रियान्वयन में स्थानीय जनप्रतिनिधियों की जिज्ञासाओं एवं समस्याओं का समाधान किया गया।

अशोकनगर

उपस्थित लोगों की संख्या- 281

अतिथियों की उपस्थिति- श्री गोपाल सिंह चौहान, विधायक चंदेरी, कलेक्टर, जिला अशोकनगर, श्रीमती राजकुमारी जनपद पंचायत अध्यक्ष, ईसागढ़।

प्रमुख गतिविधियां-

- सम्मेलन में उपस्थित प्रतिनिधियों को संकल्प दिलाया गया।
- मुख्य अतिथि द्वारा उद्बोधन दिया गया।
- ग्राम पंचायतों में किए गये उत्कृष्ट कार्यों के बारे में वाचन किया गया।
- विभिन्न विकास एवं कल्याणकारी योजनाओं/कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की समीक्षा की गई।

सीधी

उपस्थित लोगों की संख्या- 793

अतिथियों की उपस्थिति- श्री केदार नाथ शुक्ला, विधायक, विधानसभा सीधी, श्री अभ्युदय सिंह, अध्यक्ष, जिला पंचायत, सीधी, श्री शेषमणि पनिका, जनपद पंचायत सदस्य, कुसुमी।

प्रमुख गतिविधियां-

- कार्यक्रम में प्रधानमंत्री के संदेश का वीडियो के माध्यम से वाचन किया गया। सभी उपस्थित लोगों को 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी करने की एवं नव भारत निर्माण की शपथ दिलायी गयी।
- दिनांक 29 अगस्त 2017 को कृषि विज्ञान केन्द्र के सभागार में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि श्री अभ्युदय सिंह अध्यक्ष, जिला पंचायत, विधायक प्रतिनिधि श्री अमरकांत सिंह व अध्यक्षता कृषि महाविद्यालय रीवा के श्री के.डी. आलम, अधिवक्ता डॉ. गौतम व डॉ. रजनीश तिवारी, पशुपालन विभाग सीधी के श्री अवधेश सिंह, श्री शेषनारायण मिश्रा महिला एवं बाल विकास एवं विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।
- उप संचालक कृषि ने किसानों को सरकारी योजनाओं से अवगत कराया गया। डॉ. आलम ने अच्छे बीज का प्रयोग कर फसलों में रोग एवं कीट प्रबंध की जानकारी दी।
- कृषि वैज्ञानिक डॉ. अलका सिंह ने किसानों को पोषण एवं स्वच्छता अभियान के बारे में बताया। विशिष्ट अतिथि श्री अमरकांत सिंह ने कहा कि किसान भाइयों की आय तभी दोगुनी हो सकती है, जब वे कृषि वैज्ञानिकों के सलाहानुसार खेती का कार्य करेंगे। समय-समय पर कृषि विज्ञान केन्द्र में पहुंचकर मार्गदर्शन लेना उचित होगा। मुख्य अतिथि ने कहा कि किसानों को आर्थिक रूप से मजबूती प्रदान करने के लिये केन्द्र और प्रदेश सरकार की ओर से जो योजनाएं संचालित हैं, उनका वास्तविक लाभ उठाने के लिये किसानों को सजग रहना चाहिए तथा 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य को पूरा करने के लिये वैज्ञानिक तौर पर अमल करना चाहिए।
- 2022 तक भारत कैसा हो, इसके संबंध में जनप्रतिनिधियों द्वारा विस्तार से चर्चा की गई।
- पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित लघु फिल्में भी आमजनों को दिखायी गयीं।
- 2022 तक हर गरीब को घर दिलाने, हर गांव में वृक्ष लगाने, गांव-गांव तक सड़क पहुंचाने एवं स्व सहायता समूहों

द्वारा को आत्मनिर्भर बनाने के लिये सरपंच/सचिव एवं ग्रामीणजनों द्वारा संकल्प लिया गया।

- मानस भवन में युवा सांसद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में श्री केदारनाथ शुक्ल नगर पालिका अध्यक्ष, श्री देवेन्द्र सिंह मीसा बंदी, श्री यदुनाथ सिंह, रामपाल तिवारी, कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक एवं अन्य वरिष्ठ समाजसेवी, गणमान्य नागरिक, विभिन्न विभागों के अधिकारीगण, महाविद्यालयों एवं विद्यालयों के छात्र-छात्रायें उपस्थित रहे। विधायक श्री केदारनाथ शुक्ल ने भारत छोड़ो आंदोलन एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के योगदान और निःस्वार्थ सेवा समर्पण को नमन किया तथा उनके योगदान के लिये स्मरण किया। भारत निर्माण के लिये विशेष कर युवाओं से आगे आकर हाथ बंटाने का आह्वान किया।

डिण्डौरी

उपस्थित लोगों की संख्या- 761
अतिथियों की उपस्थिति- श्री गौरीशंकर बिसेन, प्रभारी मंत्री जिला डिण्डौरी, श्री ओमकार मरकाम, विधायक डिण्डौरी, श्रीमती ज्योति प्रकाश धुर्वे, अध्यक्ष जिला पंचायत डिण्डौरी, डॉ. हरीश दीक्षित, वैज्ञानिक कृषि विज्ञान केन्द्र डिण्डोरी, जिला पंचायत के समस्त सदस्य, अध्यक्ष नगर परिषद डिण्डौरी, शहपुरा, जनपद पंचायत अध्यक्ष, डिण्डौरी जिले के समस्त अधिकारीगण।

प्रमुख गतिविधियां-

- किसानों की आय 2017 से 2022 तक दोगुनी करना मुख्य उद्देश्य है। जिसके अंतर्गत निम्नलिखित बातों पर जानकारी प्रस्तुत की गई- कृषि उत्पादन में वृद्धि, गुणवत्ता में वृद्धि, उपज के बाद नुकसान कम करना, जोखिम में कमी, सहायक गतिविधियां (उद्योग विकास, डेयरी विकास, मत्स्य पालन आदि गतिविधियों को कृषि के साथ सामंजस्य कर आय को अधिक बढ़ाया जा सकता है)।
- जातिवाद उन्मूलन पर चर्चा, नशामुक्ति अभियान को कारगर करने पर चर्चा, भ्रष्टाचार उन्मूलन, उपरोक्त समस्त बिंदुओं पर उपस्थित समुदाय द्वारा शपथ ली गई।

विदिशा

उपस्थित लोगों की संख्या- 623
अतिथियों की उपस्थिति- श्री तोरण सिंह दांगी, अध्यक्ष, जिला पंचायत विदिशा।

प्रमुख गतिविधियां-

- मान. प्रधानमंत्री जी के संदेश का वाचन एवं संकल्प।
- शासन द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के संदर्भ में अवगत कराया एवं विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा कर अवगत कराया।

सागर

उपस्थित लोगों की संख्या- 1948
अतिथियों की उपस्थिति- श्री गोपाल भार्गव, मंत्री, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, श्री भूपेन्द्र सिंह, मंत्री, गृह एवं परिवहन विभाग, श्री प्रदीप लारिया, विधायक नरयावली, श्रीमती पारुल साहू, विधायक सुरखी, श्री महेश राय, विधायक, बीना, श्री हर्ष यादव, विधायक, देवरी, श्रीमती दिव्या अशोक सिंह, अध्यक्ष, जिला पंचायत, श्री अतुल डेवडिया, अध्यक्ष जनपद पंचायत, श्रीमती आशा सिंह, सदस्य, जिला पंचायत, श्री हरवंश सिंह राठौर विधायक बंडा।

प्रमुख गतिविधियां-

- मान. प्रधानमंत्री जी का संदेश वाचन एवं सामूहिक रूप से संकल्प लिया गया।
- वर्ष 2022 तक ग्राम एवं ग्राम पंचायतों के विकास तथा 2022 तक ग्राम पंचायत कैसी हो, पर चर्चा।
- उपस्थित जनप्रतिनिधियों द्वारा अपने क्षेत्र में कराये गये उत्कृष्ट कार्यों की जानकारी दी गई।
- लघु फिल्मों का प्रदर्शन।
- मुख्य अतिथि एवं कार्यक्रम के अध्यक्ष का उद्बोधन।

सीहोर

उपस्थित लोगों की संख्या- 378
अतिथियों की उपस्थिति- श्रीमती उर्मिला मरेठा, अध्यक्ष, जिला पंचायत सीहोर, श्री मोहनलाल पंवार उपाध्यक्ष, जिला पंचायत, श्री धारा सिंह, अध्यक्ष, जनपद पंचायत आष्टा, श्री ओमप्रकाश वर्मा, अध्यक्ष, जनपद पंचायत इछावर, श्रीमती दुलारी देवी, अध्यक्ष, जनपद पंचायत नसरुल्लागंज, श्रीमती चिंतामणि, उपाध्यक्ष, जनपद पंचायत नसरुल्लागंज।

प्रमुख गतिविधियां-

जिला सीहोर के जनपद पंचायत इछावर में दिनांक 25.08.17, जनपद पंचायत सीहोर में दिनांक 26.08.17, जनपद पंचायत बुधनी एवं नसरुल्लागंज में 28.08.2017 एवं जनपद पंचायत आष्टा में दिनांक 29.08.17 को सम्मेलनों का आयोजन किया गया। जिसमें निम्नलिखित गतिविधियां सम्पन्न की गईं-

- मान. प्रधानमंत्री के संदेश का वाचन किया गया। संकल्प का वाचन करते हुये उपस्थित निर्वाचित जन प्रतिनिधियों को संकल्प दिलाया गया।
- वर्ष 2022 का भारत कैसा हो, विषय पर परिचर्चा की गई, उपस्थित जनप्रतिनिधियों ने अपने विचार रखे।
- मुख्य अतिथि द्वारा न्यू इंडिया मंथन संकल्प सिद्धि तथा भारत छोड़ो आंदोलन की 75वीं वर्षगांठ एवं वर्ष 2022 का भारत कैसा हो, पर उद्बोधन दिया गया।
- जिला पंचायत में आयोजित सम्मेलन में लघु फिल्में दिखाई गईं।
- सभी जन प्रतिनिधियों द्वारा अपने-अपने क्षेत्र में किये गये उत्कृष्ट कार्यों पर परस्पर चर्चा की गई।

दतिया

उपस्थित लोगों की संख्या- 781
अतिथियों की उपस्थिति- श्री विनय यादव, उपाध्यक्ष, जिला पंचायत दतिया, श्री भागीरथ प्रसाद, सांसद, श्रीमती रीता सतीश यादव, अध्यक्ष, जनपद पंचायत, श्री घनश्याम पिरौनिया, विधायक भांडेर।

प्रमुख गतिविधियां-

- मान. प्रधानमंत्रीजी के संदेश का वाचन एवं संकल्प।
- 2022 तक भारत कैसा हो, इस पर चर्चा।
- मुख्य अतिथियों द्वारा उद्‌बोधन।

जबलपुर

उपस्थित लोगों की संख्या- 2173
अतिथियों की उपस्थिति- समस्त विधायक, जिला पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सांसद प्रतिनिधि, सदस्य जिला पंचायत, जनपद पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सरपंच व अन्य जनप्रतिनिधि।

प्रमुख गतिविधियां-

- मान. प्रधानमंत्री जी के संदेश का वाचन एवं संकल्प लिया गया।
- वर्ष 2022 का भारत कैसा हो, विषय पर चर्चा की गई।
- मुख्य अतिथि द्वारा उद्‌बोधन दिया गया।
- पंचायत एवं ग्रामीण विकास से संबंधित लघु फिल्म दिखाई गई एवं क्षेत्र में किये गये उत्कृष्ट कार्यों की जानकारी भी दी गई।
- समग्र ग्रामीण विकास पर चर्चा करते हुए विभिन्न विकास एवं कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की भी समीक्षा की गई।

बालाघाट

उपस्थित लोगों की संख्या- 1695
अतिथियों की उपस्थिति- श्री बोध सिंह भगत, सांसद, श्री योगेन्द्र निर्मल, विधायक, श्री प्रदीप जायसवाल पूर्व विधायक, श्रीमती मंजुषा विक्रांत राय, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत बालाघाट, श्री अखिल सहाय श्रीवास्तव, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, वारासिवनी, श्री चिंतामन नगपूरे, जनपद पंचायत अध्यक्ष, श्री हीरालाल ताम्रकार, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, श्री जितेन्द्र सिंह राजपूत सरपंच एवं पार्षदगण, श्री के.डी. देशमुख, विधायक, कटंगी, श्रीमती अरुणा गजभिये, जिला पंचायत सदस्य बालाघाट, श्रीमती मधु ऋषि शुक्ला, उपाध्यक्ष जनपद पंचायत खैरलांजी, श्री गुलाब बिसेन उपाध्यक्ष, जनपद पंचायत बैहर, जनपद सदस्य जनपद पंचायत बैहर, श्रीमती प्रभा बिसेन, अध्यक्ष जनपद पंचायत कटंगी, श्री उमेश देशमुख, जिला पंचायत सदस्य बालाघाट, श्रीमती सविता धुर्वे, अध्यक्ष, जनपद पंचायत बिरसा, श्री भगत सिंह नेताम पूर्व विधायक बैहर, जनपद अध्यक्ष, जनपद पंचायत बालाघाट, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत बालाघाट एवं समस्त सरपंच, श्री दलसिंह, सदस्य जिला पंचायत बालाघाट, श्रीमती जशोदा, सदस्य जिला पंचायत बालाघाट, श्री. टी.आर. काजले, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत बिरसा, जनपद सदस्य एवं सरपंच गण ग्राम पंचायत तथा उपस्थित अधिकारी एवं कर्मचारी।

प्रमुख गतिविधियां-

- मान. प्रधानमंत्री जी के संदेश का वाचन एवं संकल्प लिया गया।
- मान. मुख्यमंत्री जी के संकल्प का वाचन।
- वर्ष 2022 का भारत कैसा हो, विषय पर चर्चा की गई।
- मुख्य अतिथि द्वारा उद्‌बोधन दिया गया।
- ग्रामीण विकास योजनांतर्गत किये गये निर्माण कार्यों एवं किये जाने वाले निर्माण व विकास कार्यों पर चर्चा की गई।
- संकल्पित विषयों पर चर्चा एवं मंथन किया गया।
- शासन की योजनाओं के बारे में जानकारी प्रदान की गई।
- भारत छोड़ो आंदोलन के संबंध में चर्चा।
- कार्यालय जनपद पंचायत बिरसा में दिनांक 29 अगस्त 2017 को मान. प्रधानमंत्री जी के वाचन एवं संकल्प से सिद्धि के बिंदुओं पर मुख्य अतिथि एवं प्रशासनिक अधिकारियों तथा अन्य जनप्रतिनिधियों एवं कर्मचारियों द्वारा शपथ ली गई।

अलीराजपुर

उपस्थित लोगों की संख्या- 731
अतिथियों की उपस्थिति- जिला पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य, सरपंच व अन्य।

प्रमुख गतिविधियां-

- मा. प्रधानमंत्री जी के संदेश का वाचन एवं संकल्प लिया गया।
- वर्ष 2022 का भारत कैसा हो, विषय पर चर्चा की गई।
- मुख्य अतिथि द्वारा उद्‌बोधन किया गया।
- पंचायत राज एवं ग्रामीण विकास से संबंधित लघु फिल्में दिखाई गईं एवं क्षेत्र में किए गए उत्कृष्ट कार्यों की जानकारी भी परस्पर साझा की गई।

रायसेन

उपस्थित लोगों की संख्या- 1234
अतिथियों की उपस्थिति- श्री सुरेन्द्र पटवा, पर्यटन एवं संस्कृति, कृषि विकास एवं किसान कल्याण राज्यमंत्री, श्री रामकिशन पटेल, विधायक, उदयपुरा, श्री वीरेन्द्र सिंह चौहान, अध्यक्ष, जनपद पंचायत, उदयपुरा, विशेष अतिथि, श्री मकरंद सिंह पटेल, अध्यक्ष जनपद पंचायत बाड़ी, श्री घनश्याम पवैया, उपाध्यक्ष, जनपद पंचायत उदयपुरा, अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, सरपंच एवं उप सरपंच जनपद पंचायत बेगमगंज, अध्यक्ष, मान. सदस्य, सरपंचगण जनपद पंचायत सिलवानी।

प्रमुख गतिविधियां-

- मान. प्रधानमंत्री जी के संदेश का वाचन एवं सभी लोगों द्वारा संकल्प।
- वर्ष 2022 का भारत कैसा हो, विषय पर चर्चा की गई।
- मुख्य अतिथि द्वारा उद्‌बोधन दिया गया।
- पंचायत राज एवं ग्रामीण विकास अंतर्गत किये गये उत्कृष्ट कार्यों की जानकारी भी परस्पर साझा की गई।
- उपस्थित लोगों को क्षेत्र में हुये विकास कार्यों की जानकारी दी गयी।

रतलाम

उपस्थित लोगों की संख्या- 539
अतिथियों की उपस्थिति- श्री जितेन्द्र गेहलोत, विधायक, श्रीमती संगीता चारेल विधायक, श्रीमती संगीता मुकेश मालवीय, अध्यक्ष, जनपद पंचायत, उपाध्यक्ष, जनपद पंचायत, जिला पंचायत सदस्य।

प्रमुख गतिविधियां-

- मान. प्रधानमंत्री जी के संदेश का वाचन, संकल्पों की शपथ दिलवायी गयी।
- स्वच्छ भारत मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, बालिका शिक्षा, मनरेगा के कार्यों के संबंध में, सी.सी. रोड एवं नाली का निर्माण, श्मशान घाट निर्माण आदि पर चर्चा।

शहडोल

उपस्थित लोगों की संख्या- 1816
अतिथियों की उपस्थिति- श्री नरेन्द्र सिंह मरावी, जिला पंचायत अध्यक्ष, विधायकगण, जिला पंचायत सदस्य, जनपद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य, ग्राम पंचायत के सरपंच और पंच।

प्रमुख गतिविधियां-

- मान. प्रधानमंत्री जी के संदेश का वाचन एवं संकल्प लिया गया।
- वर्ष 2022 तक भारत कैसा हो, इस विषय पर चर्चा की गई।
- मुख्य अतिथि द्वारा उद्बोधन किया गया।
- पंचायत एवं ग्रामीण विकास से संबंधित किये गये उत्कृष्ट कार्यों की जानकारी प्रस्तुत की गई।

कटनी

उपस्थित लोगों की संख्या- 989
अतिथियों की उपस्थिति- जिला पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, जनपद पंचायत अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष एवं जिला पंचायत सदस्य।

प्रमुख गतिविधियां-

- मान. प्रधानमंत्री जी के संदेश का वाचन एवं संकल्प लिया गया।
- 2022 का भारत कैसा हो, पर चर्चा।
- जनपद पंचायत अंतर्गत किये गये उत्कृष्ट कार्यों की फिल्म/वीडियो का प्रदर्शन।
- आजीविका के लिए समूहों के गठन के एलआरएलएम की टीम द्वारा चर्चा।

आगर-मालवा

उपस्थित लोगों की संख्या- 2150
अतिथियों की उपस्थिति- श्रीमती कलाबाई पर्वतलाल, अध्यक्ष जिला पंचायत आगर मालवा, श्री गोपाल परमार विधायक, आगर, श्री मुरलीधर पाटीदार, विधायक सुसनेर, श्री देवकरण गुर्जर, उपाध्यक्ष जिला पंचायत आगर मालवा, श्रीमती श्याम बाई देवी सिंह चौहान, जनपद पंचायत अध्यक्ष आगर, बड़ौद, नलखेड़ा, सुसनेर एवं समस्त जिला पंचायत सदस्य।

प्रमुख गतिविधियां-

- मान. प्रधानमंत्री जी के संदेश का वाचन एवं संकल्प लिया गया।
- वर्ष 2022 का भारत कैसा हो, पर चर्चा की गयी।
- उपस्थित सरपंच, सचिव, ग्राम रोजगार सहायक के साथ सभी योजनाओं पर समीक्षा की गयी।
- मुख्य अतिथि द्वारा सम्मेलन के विषय में उद्बोधन दिया गया और शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं के विषय में बताया गया।
- पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित लघु फिल्म दिखाई गई। साथ ही 'टॉयलेट एक प्रेमकथा' का विशेष प्रदर्शन किया गया।
- आगर जिले में जनपदवार प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण के लक्षित आवासों को 31 अक्टूबर 2017 के पूर्व पूर्ण करने की शपथ सभी सरपंच/सचिव/सहायक सचिव ने ली। यह शपथ मुख्य अतिथि, अध्यक्ष जिला पंचायत, विधायक, कलेक्टर, सीईओ जिला पंचायत के द्वारा दिलवाई गयी।

छतरपुर

उपस्थित लोगों की संख्या- 1302
अतिथियों की उपस्थिति- श्री वीरेन्द्र कुमार, सांसद, मान. श्री मानवेन्द्र सिंह, विधायक, महाराजपुर, श्री पुष्पेन्द्रनाथ पाठक, विधायक, श्री राजेश प्रजापति, अध्यक्ष, जिला पंचायत छतरपुर, श्रीमती उषा अहिरवार, जनपद पंचायत अध्यक्ष राजनगर, श्रीमती सुधा यादव, अध्यक्ष, जनपद पंचायत नौगांव, अध्यक्ष, जनपद पंचायत गौरिहार, श्रीमती अनीता राय, अध्यक्ष, जनपद पंचायत बड़ामलहरा, श्रीमती मीना राजा परमार, जिला पंचायत सदस्य, श्रीमती अनीता अहिरवार, जनपद पंचायत सदस्य बकस्वाहा, श्रीमती अर्चना पाण्डेय, अध्यक्ष, जनपद पंचायत बिजावर, श्री भूपेन्द्र गुप्ता अध्यक्ष नगर पंचायत बिजावर, श्री राजेन्द्र सिंह यादव, अध्यक्ष, जनपद पंचायत छतरपुर, जनपद पंचायत, उपाध्यक्ष छतरपुर एवं सरपंच अन्य जनपद प्रतिनिधि।

प्रमुख गतिविधियां-

- मान. प्रधानमंत्री जी का संदेश वाचन एवं संकल्प लिया गया।
- प्रत्येक ग्राम में खुले में शौच मुक्त ग्राम बनाना।
- विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया गया।
- ग्रामीण विकास के अंतर्गत समग्र स्वच्छता पर लघु फिल्म प्रदर्शन।
- वर्ष 2022 का भारत कैसा हो, पर चर्चा।

हरदा

उपस्थित लोगों की संख्या- 121
अतिथियों की उपस्थिति- विधायक, विधानसभा क्षेत्र हरदा, अध्यक्ष जनपद पंचायत टिमरनी, अध्यक्ष जनपद पंचायत खिरकिया।

प्रमुख गतिविधियां-

- मान. प्रधानमंत्री जी का संदेश वाचन एवं संकल्प लिया गया।
- लघु फिल्मों का प्रदर्शन।
- उपस्थित जनप्रतिनिधियों को विभिन्न विकास एवं जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई।
- स्वतंत्रता संग्राम पर चर्चा।
- वर्ष 2022 का भारत कैसा हो, पर चर्चा।
- शासन की विभिन्न शासकीय जन कल्याणकारी योजनाओं से जन प्रतिनिधियों को अवगत कराया गया।

टीकमगढ़

उपस्थित लोगों की संख्या- 642
अतिथियों की उपस्थिति- सांसद, जिला पंचायत अध्यक्ष।

प्रमुख गतिविधियां-

- शासन द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन किया गया।

● **प्रस्तुति : रुचि शर्मा**
(लेखिका स्तंभकार हैं)

स्व-सहायता समूहों का प्रशिक्षण और उन्मुखीकरण

पचास लाख की लागत से आजीविका भवन बनेंगे

विगत 11 अगस्त को भोपाल में मध्यप्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की महिलाओं के स्व-सहायता समूहों के प्रशिक्षण एवं उन्मुखीकरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री गोपाल भार्गव ने कहा कि प्रदेश में स्व-सहायता समूहों के लिए विकासखण्ड स्तर पर 50 लाख की लागत से आजीविका भवन बनाये जायेंगे। इन आजीविका भवनों को सुसज्जित तरीके से बनाया जायेगा, जिसमें ट्रेनिंग सेन्टर के लिए हॉल, कम्प्यूटर, कुर्सियां, दरी, टी.वी. इत्यादि की पूरी व्यवस्था रहेगी। इन भवनों में बाहर से आयी बहनों के रुकने के लिए कमरे और मार्केटिंग के लिए दुकानें बनाई जायेंगी, ताकि स्व-सहायता समूह अपने उत्पाद का विक्रय भी कर सकें।

आजीविका भवन निर्माण की राशि स्व-सहायता समूहों को उनके बैंक खाते में सीधे उपलब्ध करवाई जायेगी। स्व-सहायता समूह द्वारा ही इसका निर्माण किया जायेगा। प्रत्येक विकासखण्ड में बाजार के पास या जहाँ से बस एवं रेल्वे स्टेशन नजदीक हो ऐसी जगह आजीविका भवन के लिए चिन्हित की जायेगी। श्री गोपाल भार्गव ने कहा कि महिलायें स्व-सहायता समूह से जुड़कर स्वावलंबी बनें और अपने-अपने जिले से संबंधित उद्योग जैसे अगरबत्ती निर्माण, शरबती गेहूँ का आटा, सेनेटरी नेपकिन, हेण्डलूम चादरें, साबुन इत्यादि सामग्री का उत्पादन बड़े स्तर पर करें। सरकार इसमें पूरी मदद करने का प्रयास करेगी। स्व-सहायता समूह अपने प्रोडक्ट बढ़ायें, जिनका प्रचार-प्रसार भी सरकार करेगी। इस प्रकार के आयोजन से महिलाओं को नये-नये उत्पादन करने की सलाह आपस में एक दूसरे को मिलती है। नारी शक्ति से ही प्रदेश आगे बढ़ेगा इसीलिए वे खुले आकाश में पक्षी की तरह उड़ान भरें। हम सभी आपके पंख बनेंगे और बहुमूल्य सुझावों को पूरा करवाने का प्रयास करेंगे। श्री भार्गव ने विभिन्न जिला एवं विकासखण्डों के स्व-सहायता समूह के वैश्विक उत्पादन की प्रदर्शनी में स्टॉल का भी अवलोकन किया और उत्पादों के बारे में जानकारी ली। महिलाओं ने आर्थिक प्रगति एवं कार्य में आने वाली कठिनाइयों के संबंध में उन्हें बताया। श्री भार्गव ने कठिनाइयों को दूर करने का आश्वासन दिया। कार्यक्रम में पंचायत एवं ग्रामीण विकास के अपर मुख्य सचिव श्री राधेश्याम जुलानिया, मिशन के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री एल.एम. बेलवाल, नाबार्ड एवं बैंक के अधिकारी तथा ग्रामीण स्व-सहायता समूहों की अध्यक्ष एवं सदस्य उपस्थित थे।

● **के.के. जोशी**
(सहायक संचालक, जनसंपर्क विभाग, म.प्र.)

दिव्यांग कलाकारों का एक अभिनव आयोजन

पंचायत एवं ग्रामीण विकास तथा सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण मंत्री श्री गोपाल भार्गव ने कहा कि दिव्यांगता शारीरिक नहीं होती है, वह मानसिक होती है। जो व्यक्ति दिव्यांग नहीं है और वह परमार्थ के कार्य नहीं करता है, तो सही मायने में वह दिव्यांग है।

श्री भार्गव ने कहा कि बहादुरी और नेतृत्व के मामले में दिव्यांगता आड़े नहीं आती है। इस समर्थ आयोजन में दिव्यांगजनों को अपनी कला का प्रदर्शन करने और सीखने का मौका मिला, जिससे हमारे प्रदेश के दिव्यांगजन के जीवन में खुशहाली आयेगी और प्रगति के पथ पर आगे बढ़ेंगे। मध्यप्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश में स्पर्श अभियान के माध्यम से 6 लाख से ज्यादा दिव्यांगजनों को ब्लॉक और मुख्यालय पर प्रमाण-पत्र प्रदान किये गये हैं, जिससे पात्रता के अनुसार हितग्राही लाभ ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि हजारों की संख्या में प्रदेश में दिव्यांगजनों को नौकरी दी गई है और दिव्यांगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए आई.टी.आई. ट्रेनिंग भी दी जा रही है, जिसका लाभ दिव्यांगों को मिल रहा है। आने वाले वर्ष में अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर पर और आयोजन सम्पन्न किये जायेंगे, जिससे दिव्यांगों की बहुमुखी प्रतिभा को आगे आने का मौका मिलेगा।

भोपाल में अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग कलाकारों की रचनाशीलता पर आधारित समारोह का आयोजन किया गया। देश और प्रदेश में इस तरह का पहला आयोजन सम्पन्न हुआ। यह 5 दिवसीय आयोजन संस्कृति विभाग और सामाजिक न्याय विभाग के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित किया गया था, जिसमें दिव्यांगजनों ने संगीत, नृत्य, गायन, नाटक और वक्तव्य पर आधारित कार्यक्रम प्रस्तुत किये। इससे जहां दिव्यांगजन प्रेरित हुए, उनका आत्मविश्वास बढ़ा, वहीं समाज में इस तरह के आयोजन की नवीन परिपाटी प्रारंभ हुई।

कार्यक्रम में प्रदेश के समस्त संभागों से आये दिव्यांगजनों को मंत्री श्री भार्गव द्वारा स्मृति चिन्ह और प्रमाण-पत्र प्रदान किये गये। संस्कृति विभाग द्वारा इन दिव्यांगों की कला को निखारने के लिए और सही मंच मिले, इसके लिए विषय-विशेषज्ञों की एक टीम भी आमंत्रित की गई थी। कार्यक्रम में संस्कृति विभाग के प्रमुख सचिव श्री मनोज श्रीवास्तव, सामाजिक न्याय विभाग की प्रमुख सचिव नीलम शमी राव और दिव्यांगजन उपस्थित थे।

मनरेगा में श्रेष्ठ कार्यों के लिए मंडला जिला, सीतामऊ ब्लॉक और मोरपानी पंचायत को राष्ट्रीय पुरस्कार

मनरेगा में श्रेष्ठ कार्यों के लिए प्रदेश के मण्डला जिला, मंदसौर जिले के सीतामऊ ब्लॉक और होशंगाबाद जिले की केसला जनपद की मोरपानी ग्राम पंचायत को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में 19 जून 2017 को आयोजित एक कार्यक्रम में केन्द्रीय पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। वर्ष 2015-16 में प्रदेश के मण्डला जिले में मनरेगा में श्रेष्ठ कार्य करने वाले तत्कालीन कलेक्टर श्री लोकेश जाटव, सीतामऊ जनपद के सी.ई.ओ. श्री डी.एस. मसराम एवं मोरपानी ग्राम पंचायत की सरपंच श्रीमती संगीता ठाकुर ने पुरस्कार ग्रहण किये।

प्रदेश के मण्डला जिले में वर्ष 2015-16 में मनरेगा के तहत 1 लाख 31 हजार से अधिक परिवारों को 54 लाख 24 हजार दिनों का रोजगार दिया गया तथा बंजर भूमि को उपजाऊ बनाने और वृक्षारोपण के माध्यम से ग्रामीणों को आजीविका के साथ-साथ विकास के विभिन्न कार्य संपादित किये गये। मंदसौर जिले के सीतामऊ में मनरेगा सृजित परिसंपत्तियों को जियो टैगिंग करने का कार्य किया गया तथा मोरपानी में ग्राम पंचायत के अंतर्गत काम करने वाले परिवारों को नौ हजार से अधिक दिनों तक रोजगार उपलब्ध कराया गया।

प्रदेश में एक लाख चौंसठ हजार से अधिक ग्रेवल सड़कें बनीं

मनरेगा योजना में प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में बनाई गई ग्रेवल सड़कें अब पूरे साल लोगों को सुगम यातायात मुहैया कर रही हैं। दूरस्थ क्षेत्रों के दुर्गम इलाकों में इन ग्रेवल सड़कों पर वाहन दौड़ते नजर आ रहे हैं। ग्रेवल सड़कों के बन जाने से ग्रामीणों का आवागमन सुगम होने के साथ-साथ बरसात के दिनों में बच्चों का स्कूल पहुँचना भी आसान हुआ है। मध्यप्रदेश में मनरेगा योजना में अब तक गाँवों की आबादी को मुख्य मार्गों तक जोड़ने के लिए तकरीबन 1 लाख 64 हजार 941 सड़कों का काम पूरा कराया जा चुका है। वर्तमान में 22 हजार 473 सड़क निर्माण कार्य प्रगति पर हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन की सुविधा के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में न्यूनतम 500 तक की आबादी के हिसाब से सड़कें बनायी गयी थीं। जिन गांवों-मजरे-टोले की आबादी 500 से कम थी, उन ग्रामों के रहवासियों को मुख्य मार्गों तक आने के लिए पगडंडी-नुमा दुर्गम रास्तों से काफी परेशानी का सामना करना पड़ता था। खासकर बरसात के दिनों में जब बच्चों का स्कूल पहुंचना और

मध्यप्रदेश में मनरेगा योजना में अब तक गाँवों की आबादी को मुख्य मार्गों तक जोड़ने के लिए तकरीबन 1 लाख 64 हजार 941 सड़कों का काम पूरा कराया जा चुका है। वर्तमान में 22 हजार 473 सड़क निर्माण कार्य प्रगति पर हैं।

वाहनों का मुख्य मार्गों तक आवागमन लगभग बंद-सा रहता था, मनरेगा से बनी ग्रेवल सड़कों से ग्रामीणों की यह समस्या समाप्त हो गई है। अब छोटे मजरे-टोले को सुदूर सड़कों के माध्यम से बारहमासी कनेक्टिविटी मिल जाने से पूरे साल आवागमन सुगम हो गया है।

मनरेगा से बनायी गयी ग्रेवल सड़कों से ग्रामीणों को मिली आवागमन सुविधा का ही नतीजा है कि अब इन गाँवों के बच्चे स्कूल तक पहुँच रहे हैं। ग्रामीणों को खेतों तक पहुँचने के लिए भी ये सड़कें उपयोगी साबित हुयी हैं। किसानों को आधुनिक कृषि यंत्र को अपने खेतों तक ले जाने में आसानी हो गई है। वाहनों के आवागमन से फसल, सब्जी आदि आसानी बाजार में पहुंचने से उचित दाम मिलने लगा है। इससे ग्रामीणों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में बदलाव आने के साथ ही नगरों के साथ कनेक्टिविटी हो जाने से ग्रामीणों के जीवन स्तर में भी सुधार आया है। इतना ही नहीं, इन सड़कों के निर्माण के दौरान ग्रामीणों को मनरेगा से समुचित रोजगार भी मिला है।

जैविक खेती से ज्यादा लाभ मिल रहा है समूह सदस्यों को

स्व सहायता समूह सदस्यों को कम लागत में अधिक मुनाफा दिलाने के लिए जैविक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। म.प्र. राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत प्रशिक्षित 4200 से अधिक स्व-सहायता समूह सदस्यों को उन्नत बीज, कीट उपचार, जैविक खाद उत्पादन एवं उपयोग, फसलों में नवाचार तथा आधुनिक कृषि पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है।

प्रदेश में लगभग 11 लाख 30 हजार से अधिक ग्रामीण निर्धन परिवारों को आजीविका मिशन द्वारा कृषि आधारित गतिविधियों से जोड़ा जा चुका है।

जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश में समूह सदस्यों द्वारा 5,10,520 वर्मी पिट/नाडेप बनाये गये हैं। एक पिट से 2.5-2.7 टन जैविक खाद निकलती है, जो एक एकड़ खेती के लिए पर्याप्त होती है। इस खाद का उपयोग बढ़ने से रासायनिक खाद के उपयोग में कमी आई है। उन्नत बीज उत्पादन कार्यक्रम के अंतर्गत 37 बीज उत्पादन समितियां पंजीकृत करवाई गई हैं, जिनके माध्यम से उचित गुणवत्तायुक्त बीज उत्पादन कर स्व-सहायता समूह सदस्यों को उपलब्ध कराया जा रहा है। प्रदेश में एक लाख से अधिक कृषक प्रमाणित बीज का उपयोग कर रहे हैं।

महिला किसान सशक्तिकरण के लिए 35 हजार 116 महिला किसानों को लाभान्वित किया गया है। चौबीस उत्पादक कंपनियों का गठन किया गया है, जिनमें 20 कृषि आधारित, 02 दुग्ध तथा 02 मुर्गीपालन से संबंधित हैं। पोषण वाटिका में उगाई जाने वाली सब्जियों के बीज अब हॉर्टीकल्चर विभाग द्वारा बांटे जायेंगे। समूह सदस्यों द्वारा जैविक सब्जी का विपणन 297 'आजीविका फ्रेश' दुकानों के माध्यम से किया जा रहा है।

बड़वानी, शहडोल एवं सागर जिले में हल्दी, अलीराजपुर में सफेद मूसली, धार में आलू, बड़वानी में मिर्च, नरसिंहपुर में दलहन, मंडला में धान, गुना में धनिया और श्योपुर में कद्दू के उत्पादन को प्रोत्साहित किया गया है। विदिशा जिले में ड्रिप मल्चिंग को बढ़ाने में सहयोग किया गया है। व्यवसायिक सब्जी आदि सहित अन्य फसलों के उत्पादन में प्रोत्साहन एवं सहयोग के लिए सी.आर.पी. द्वारा प्रतिदिन मानदेय के आधार पर काम किया जा रहा है। मध्यप्रदेश की कृषि सी.आर.पी. द्वारा हरियाणा एवं उत्तर प्रदेश में भी काम किया जा चुका है।

खुले में शौच से मुक्ति

स्वच्छ भारत-स्वस्थ भारत और समृद्ध भारत के आह्वान के साथ प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की। इसका उद्देश्य है संपूर्ण भारत को खुले में शौच से मुक्त बनाना। अस्वच्छता की आदतों को दूर करना। इस अभियान के तहत मध्यप्रदेश में विभिन्न स्तर पर प्रभावी कार्य किये जा रहे हैं। स्वच्छ भारत अभियान के तहत खुले में शौच से मुक्त जिलों की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। प्रदेश में स्वच्छ शौचालय, सार्वजनिक, सामुदायिक शौचालयों का तीव्र गति से निर्माण किया गया है। इस अभियान की सफलता के लिए जरूरी है कि हर जन इसे आत्मसात् करे। अभियान के तहत सरकार द्वारा समाज की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए स्वयंसेवी संस्थाओं के साथ साझा प्रयास किया जा रहा है। स्वैच्छिक संगठनों के साथ किए जाने वाले विभिन्न प्रयासों में आवृत्ति संस्था की एक अनूठी पहल है 'स्वच्छता सांप सीढ़ी' यानि खेल-खेल में स्वच्छता संदेश और 'ओडीएफ प्लस चिल्ड्रन प्लस' अभियान। स्वच्छता व्यवहार की संवहनीयता के लिए चलाये जा रहे इन प्रयत्नों के लिए आवृत्ति संस्था को राष्ट्रीय स्तर का स्कॉच स्वच्छता अवार्ड प्रदान किया गया। इन स्वच्छता नवाचारों को सराहा गया और दिल्ली में आयोजित समारोह में दो मेरिट और एक सिल्वर सर्टिफिकेट अवार्ड दिया गया। उल्लेखनीय है कि इस सांप-सीढ़ी खेल को विगत दिनों प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने भी खेला।

स्वच्छता सांप-सीढ़ी गतिविधि- व्यवहार परिवर्तन स्वच्छ भारत मिशन की आत्मा है। सूचना, शिक्षा, संप्रेषण के माध्यम से व्यवहार परिवर्तन के लिए सतत् संवाद और प्रयास आवश्यक है। प्रचार-प्रसार के अनुसार संवाद स्थापित करने के लिए शिक्षण-प्रशिक्षण साधनों को विकसित किया जा रहा है। इसी क्रम में आवृत्ति संस्था ने स्वच्छता के मुद्दे पर एक 'स्वच्छता सांप-सीढ़ी खेल' बनाया। इसे लेकर आवृत्ति संस्था की अध्यक्ष समता पाठक से पूछे जाने पर उन्होंने बताया कि यह खेल-खेल में शिक्षा और जुड़ाव का रोचक और प्रभावी माध्यम है। इस खेल में स्वच्छता की आदतों को विकसित करने और अस्वच्छता के कारण होने वाली सभी समस्याओं पर विस्तार से चर्चा होती है। इस सांप-सीढ़ी खेल में गोटियों के स्थान पर व्यक्ति चलते हैं। यह खेल स्कूलों, समुदायों, भीड़-भाड़ वाले पार्क के आसपास आयोजित किया जाता है। समुदाय अथवा बस्ती में इस खेल में बुजुर्ग, महिला, पुरुष, बच्चे सभी भाग लेते हैं। स्कूल के बच्चे, कर्मचारी, शिक्षक सभी शामिल होते हैं। इस तरह यह गतिविधि न केवल शिक्षा और आदतों में परिवर्तन के लिए उपयोगी है, बल्कि जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं में क्षमता निर्माण के लिए भी प्रभावी है। उत्साह, जोश और रोचकता भरे सांप-सीढ़ी के खेल में व्यक्तिगत स्वच्छता, शौचालय के उपयोग, मोहल्ले की स्वच्छता, कचरा प्रबंधन, नगर निगम की सेवाओं की जानकारी जैसे मुद्दे रखे गये हैं। खेल में शामिल सभी प्रतिभागी इन

के के लिए अभिनव नवाचार

मुद्दों पर जागरूक होकर अपने आसपास भी स्वच्छता का वातावरण बनाने का संकल्प लेते हैं और स्वच्छता के महत्व को समझकर आदतों में परिवर्तन के लिए प्रेरित होते हैं।

स्वच्छता के प्रति प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी और भूमिका अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। इस तरह की गतिविधियां और नवाचार एक अभिनव पहल है। इस पहल को स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) मध्यप्रदेश के द्वारा समस्त निकायों से साझा किया गया है ताकि अधिक से अधिक बच्चों और आम लोगों तक इस गतिविधि के माध्यम से स्वच्छता संदेश प्रचारित किया जा सके। उल्लेखनीय है कि स्कूल शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश ने समस्त उत्कृष्ट विद्यालयों में और आदर्श विद्यालयों में स्वच्छता सांप-सीढ़ी गतिविधि को खेलने के निर्देश जारी कर दिए हैं।

ओ.डी.एफ. प्लस चिल्ड्रन प्लस अभिनव पहल- स्वच्छता व्यवहारों में सकारात्मक परिवर्तन लाने के उद्देश्य से प्रदेश की स्वयं सेवी संस्था आवृत्ति द्वारा एक अभिनव पहल की गई है। संस्था द्वारा स्वच्छता सर्वे के दौरान देखा गया कि शौचालय निर्माण के बाद भी लोग खुले में शौच की आदत नहीं छोड़ पा रहे हैं। लोग सार्वजनिक शौचालयों का भी नियमित उपयोग नहीं करते। बच्चों को खुले में शौच के लिए भेजने की आदत बदलने के लिए आवृत्ति संस्था द्वारा अनूठी प्रोत्साहन गतिविधियां चलाई जा रही हैं, जिसमें सार्वजनिक शौचालय में व्यापारी संघ के द्वारा शौचालय उपयोग और स्वच्छता के व्यवहार अपनाने पर हर बच्चे को हर बार टॉफी दी जाती है। सार्वजनिक शौचालय के केयरटेकर के पास एक उपस्थिति रजिस्टर भी रखा जाता है। प्रत्येक माह के अंत में जिन बच्चों की सबसे अधिक उपस्थिति रहती है, उन्हें 'स्वच्छ बाल कैप्टन' का अवॉर्ड दिया जाता है। जो बच्चे नियमित रूप से शौचालय का उपयोग नहीं करते या खुले में शौच जाते हैं उन्हें चिन्हांकित किया जाता है। प्रत्येक पंद्रह दिनों में संस्था द्वारा सामुदायिक बैठक आयोजित कर चिन्हांकित बच्चों के माता-पिता से चर्चा की जाती है। सामुदायिक बैठक में स्वच्छता व्यवहारों को लेकर भी चर्चा की जाती है। उसी दिन मासिक हेल्थ चेक-अप कैम्प आयोजित किया जाता है। ऐसे ओ.डी.एफ. प्लस चिल्ड्रन हेल्थ चेकअप कैम्प में शासकीय डाक्टर द्वारा समुदाय में हैल्थ चेक-अप चिकित्सकों के द्वारा किया जाता है। इसमें बच्चों के साथ-साथ उनके माता-पिता का सामान्य स्वास्थ्य परीक्षण किया जाता है। पेट से जुड़ी समस्याओं और खुले में शौच के कारण उपजी बीमारियों को लेकर जागरूक किया जाता है। इन गतिविधियों में टॉफी देकर प्रोत्साहन, व्यापारिक संघों और नगर निगम के अधिकारियों, सहायक स्वास्थ्य अधिकारी के माध्यम से निगरानी की जाती है। इस प्रयास से लोगों में स्वच्छता की आदत विकसित हो रही है और वे सार्वजनिक शौचालयों के रखरखाव एवं संरक्षण में सहयोग कर रहे हैं। खुले में शौचमुक्त मोहल्ला, वार्ड, शहर, गांव और प्रदेश बनाने के लिए शौचालय के नियमित उपयोग के लिए यह सहज और प्रभावी पहल है।

● **प्रस्तुति : रीमा राय**
(लेखिका स्तंभकार हैं)

पंचायत भवनों से मिलने लगीं लोक सुविधाएँ

पंचायतराज विभाग से प्रदाय की जा रही पंच परमेश्वर मद की राशि व मनरेगा के कन्वर्जेंस से पंचायत मुख्यालयों पर बनाये गये पंचायत भवनों से आमजन को लोक सुविधाएँ आसानी से मुहैया होने लगी हैं। अब ग्रामीणों को शासन की महती योजनाओं का त्वरित लाभ मिलने लगा है।

पंचायत भवन में उचित बैठक व्यवस्था और विभिन्न योजनाओं की कम्प्यूटरीकृत जानकारी प्राप्त होने लगी है। अब ग्राम पंचायत कार्यालय जाकर ग्रामीण द्वारा काम की मांग करना, योजनाओं के लाभ लेने हेतु आवेदन करना और ग्रामसभा की कार्यवाही में भाग लेना और अधिक सुविधाजनक हो गया है। भारत की दो तिहाई से अधिक आबादी आज भी ग्रामीण इलाकों में निवास करती है। शासन ने इन ग्रामीणों को आधारभूत सुविधाएँ मुहैया कराने और गांवों के सर्वांगीण विकास के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं बनायी है, जिनका क्रियान्वयन मूलरूप से ग्राम पंचायत स्तर से ही किया जाता है। मध्यप्रदेश में अब तक 1600 से अधिक ग्राम पंचायत भवन निर्मित किये जा चुके हैं। चार हजार पंचायत भवन निर्माणाधीन है, जिन्हें शीघ्र ही पूरा कर लिया जायेगा। पंचायत भवनों के निर्माण से ग्रामीणों को योजनाओं की जानकारी प्राप्त हो रही है और ग्रामीणजन को इसका लाभ मिल रहा है। पंचायत भवन निर्माण में अधिकतम दस लाख रुपये मनरेगा से तथा शेष राशि पंचायतराज की पंच परमेश्वर योजना, विधायक/सांसद निधि से जुटाई गई है। क्लस्टर मुख्यालय की ग्राम पंचायत भवन की लागत 14.15 लाख रुपये तथा अन्य ग्राम पंचायत भवन निर्माण की लागत 12.85 लाख रुपये रखी गई है।

पंचायत भवन में मीटिंग हॉल, सरपंच कक्ष, सचिव कक्ष, दस्तावेज संधारण हेतु कक्ष, शौचालय आदि का निर्माण किया गया है। इन भवनों में बिजली, बैठक व्यवस्था, दस्तावेज संधारण एवं इंटरनेट सहित कम्प्यूटर आदि की व्यवस्था भी की गई है। भवन के निर्माण में ग्रामीणों को रोजगार के अवसर भी प्राप्त हुए हैं।

● **प्रस्तुति : प्रीति नीखरा**
(लेखिका स्तंभकार हैं)

आँगनवाड़ी केन्द्र बच्चों को दे रहे हैं खुशियां

मध्यप्रदेश में पंचायतराज द्वारा जिलों को विकास के लिए प्रदाय की जा रही राशि, महिला एवं बाल विकास की राशि तथा मनरेगा के संयोजन से आंगनवाड़ी भवन बनाए जाते हैं। जिन गांवों में आंगनवाड़ी भवन का अभाव होता है, सामान्य तौर पर वहां बच्चों की शिक्षा का स्तर एवं स्कूलों में प्रवेश का प्रतिशत कम रहता है। इसी के मद्देनजर पंचायतराज महिला एवं बाल विकास विभाग एवं मनरेगा के संयोजन से प्रदेश में आँगनवाड़ी भवन बनवाए जा रहे हैं, जिससे नौनिहालों को पोषित आहार प्रदाय कर प्रारंभिक शिक्षा के लिए तैयार किया जा सके। इससे प्रदेश में अब तक लगभग ग्यारह सौ से अधिक आँगनवाड़ी भवन बन चुके हैं तथा पांच हजार से अधिक भवन पूरा होने की प्रक्रिया में हैं। आँगनवाड़ी भवन में बच्चों के लिए कक्ष, किचन, शौचालय, खेलने के लिए मैदान एवं अन्य पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं।

संयोजन से बन रहे इन आँगनवाड़ी केन्द्रों में गाँव के बच्चों को खुशियां मिल रही हैं। आँगनवाड़ी में छोटे-छोटे बच्चों को प्रारंभिक ज्ञान के साथ-साथ उनके स्वास्थ्य की भी देखभाल की जाती है। बच्चों को पोषण आहार के रूप में प्रतिदिन मीनू के आधार पर नाश्ता एवं खाना दिया जा रहा है। धात्री महिलाओं को पोषण आहार के पैकेट एवं गर्भवती महिलाओं को स्वास्थ्य कार्यकर्ता द्वारा टीके भी लगाये जा रहे हैं। आँगनवाड़ी में बच्चों को खुशियां देने के लिए जन्म-दिवस एवं गोदभराई के कार्यक्रम भी आयोजित किये जा रहे हैं।

आँगनवाड़ी केन्द्र बन जाने से बच्चों के साथ-साथ गाँव की महिलाओं को भी लाभ हो रहा है। आँगनवाड़ी भवन बनने से बच्चों को खेलने के लिए उपयुक्त जगह मिल गई है। सही मायने में कहा जाये तो आँगनवाड़ियां बनने से गांव में शिशु एवं मातृ मृत्यु दर में गिरावट आयी है।

समय पर इलाज की सलाह मिलने एवं प्राथमिक चिकित्सा सलाह मिलने से शिशु एवं मातृ स्वास्थ्य में सुधार आया है

● **प्रस्तुति : अर्चना शर्मा**
(लेखिका स्तंभकार हैं)

अपर मुख्य सचिव द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंस में दिए गए निर्देश

दिनांक 13.07.2017

प्रधानमंत्री आवास योजना

- समस्त जिलों में पदस्थ प्रधानमंत्री आवास योजना- ग्रामीण के आवास प्रभारी प्रत्येक सप्ताह 200 आवास का निरीक्षण करेंगे। हितग्राहियों को आवास निर्माण में आ रही समस्त समस्याएं जैसे सामग्री की उपलब्धता, मिस्त्री की उपलब्धता, समय पर geo-tagging होना आदि का निराकरण कर infra-mapping पर अपलोड करें।
- हर जिले में लक्ष्य के अनुपात में centering उपलब्धता का आकलन किया जावे तथा स्वरोजगार योजनाओं में centering के प्रकरण बनाकर बैंकों से स्वीकृत कराकर यथाशीघ्र ऋण वितरण कराया जावे।
- समस्त जिले अप्रारंभ आवास एवं ऐसे प्रत्येक प्रकरण जिनमें किश्त जारी हुए दो माह हो चुके हैं, की प्रगति की समीक्षा करें।
- प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण अन्तर्गत geo-tagging में होने वाले विलम्ब को रोकने के लिए geo-tagging का कार्य विभिन्न मैदानी अमले से कराया जाये। साथ ही, प्रत्येक ग्राम में दो geo-tagg मित्र बनाये जायें, जिन्हें आवास एप के बारे में प्रशिक्षित कर geo-tagging के लिए उपयोग में लाया जाये। geo-tagg मित्र उसी ग्राम के निवासी होने चाहिए। प्रति आवास geo-tagging करने के लिए राशि रु. 50/- आवास मित्र को दी जावे और यह राशि ग्राम रोजगार सहायक के मानदेय से काटी जावे।
- सभी जिले माह जुलाई एवं अगस्त 2017 का आवास पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित कर गूगल शीट में दर्ज करें।

पुरानी आवास योजनाएं

- वनाधिकार एवं मुख्यमंत्री अन्त्योदय आवास योजना में स्वीकृत जिन हितग्राहियों के आवास अप्रारंभ अथवा नींव स्तर पर हैं, यदि वे प्रधानमंत्री आवास योजना की पात्रता सूची में हों तो उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अन्तर्गत स्वीकृति दी जाए। ऐसे हितग्राहियों को पूर्व में प्रदत्त राशि की कटौती एक अथवा दो समान किश्तों में की जाए।
- माह जुलाई में द्वितीय किश्त प्रदाय करने तथा आवास पूर्ण करने का लक्ष्य कम रखा गया है। यथार्थ स्थिति का आकलन कर इसे पुनरीक्षित करें।

स्वच्छ भारत मिशन

- राज्य कार्यक्रम अधिकारी सिंगरौली जिले को जिला समन्वयक उपलब्ध कराएं।
- समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत 27 जुलाई 2017 से पूर्व ओडीएफ घोषित ग्रामों में शत-प्रतिशत शौचालय उपलब्धता की कार्रवाई सुनिश्चित कराएं।
- समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत डाटा क्लीनिंग का कार्य 19 जुलाई 2017 के पूर्व पूर्ण कराएं।
- अशोकनगर जिले में GoI Baseline में बढ़े हुए पात्र परिवारों के कारणों की जांच राज्य कार्यक्रम अधिकारी अपने दल के साथ एक सप्ताह के भीतर करके प्रतिवेदन दें।
- पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, भारत शासन द्वारा आउटडोर मीडिया प्रचार-प्रसार अंतर्गत 'दरवाजा बंद' शीर्षक से प्रदाय होर्डिंग मैटर को सार्वजनिक स्थानों पर 20'x10' आकार में प्रदर्शित किया जाना है। अतः जिला मुरैना, भिंड, ग्वालियर एवं शिवपुरी में जिला एवं जनपद मुख्यालय के प्रमुख स्थानों पर, राजधानी भोपाल में प्रमुख 8-10 स्थानों तथा शेष अन्य जिलों के जिला मुख्यालय के 2 प्रमुख स्थानों पर उपरोक्तानुसार होर्डिंग लगाये जाएं।

महात्मा गांधी नरेगा

समस्त जिलों को मनरेगा अंतर्गत मजदूरी भुगतान में हुए विलम्ब के लिए मुआवजा भुगतान करने के निर्देश दिये गये। भुगतान में हुए विलम्ब के लिए सम्बंधित जिम्मेदार अधिकारियों से इस राशि की वसूली की जावे। वसूली की प्रत्याशा में मुआवजा न रोका जावे।

ग्रामीण महिलायें हर माह बना रही हैं 3880 क्विंटल अगरबत्ती

आजीविका मिशन के स्व-सहायता समूहों से जुड़ी महिला सदस्यों द्वारा अगरबत्ती का उत्पादन किया जा रहा है। घर बैठे किये जाने वाला यह काम उनकी अतिरिक्त आय का जरिया बन गया है। आजीविका गतिविधियों से जुड़कर महिलायें आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रही हैं। राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा स्व-सहायता समूह सदस्यों को आजीविका के अवसर उपलब्ध कराने के लिए अन्य कार्यों के साथ-साथ अगरबत्ती बनाने का प्रशिक्षण दिया गया। प्रदेश में 1896 महिलाओं द्वारा अगरबत्ती बनाने का कार्य किया जा रहा है। पैडल एवं ऑटोमेटिक मशीनों से प्रदेश में लगभग 90 क्विंटल प्रतिदिन अगरबत्ती का उत्पादन किया जा रहा है। प्रदेश के 24 जिलों के 154 ब्लॉक में 255 अगरबत्ती यूनिट संचालित हैं। प्रतिमाह लगभग 3880 क्विंटल अगरबत्ती का निर्माण हो रहा है। ग्रामीण क्षेत्र के निर्धन परिवारों की महिलाओं द्वारा बनाई जा रही यह अगरबत्ती, पैकिंग और खुशबू के मामले में बहुराष्ट्रीय कंपनियों से पीछे नहीं है। आजीविका अगरबत्ती की बाजार में मांग बनी हुई है। बड़ी संख्या में महिलायें व्यक्तिगत एवं सामूहिक रूप से इस कार्य से जुड़ी हुई हैं। प्रमुख रूप से शिवपुरी, रीवा, सागर, धार आदि जिलों की अगरबत्ती प्रदेश के साथ अन्य प्रदेशों के बाजारों में भी अपनी पहचान बनाती जा रही है। 'व्ही टू सी बाजार डॉट कॉम' के माध्यम से आजीविका उत्पादों को डिजिटल प्लेटफॉर्म से वैश्विक बाजार से सीधा जोड़ा गया है।

शत-प्रतिशत टीकाकरण के लिये दिया जायेगा पुरस्कार

सघन मिशन इन्द्रधनुष में शत-प्रतिशत टीकाकरण सुनिश्चित करने वाले जिलों को पुरस्कृत करने के लिये लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण और पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने संयुक्त रूप से पुरस्कार योजना लागू की है। इसमें जिला एवं ग्राम पंचायत-स्तर पर 2-2 लाख रुपये और स्वास्थ्य विभाग सेक्टर (प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र) स्तर पर एक लाख रुपये का पुरस्कार दिया जायेगा। शत-प्रतिशत टीकाकरण का लक्ष्य प्राप्त करने वाले व्यक्तियों को भोपाल में मार्च माह में समारोह आयोजित कर पुरस्कृत किया जायेगा।

उल्लेखनीय है कि शत-प्रतिशत टीकाकरण सुनिश्चित करने के लिये सघन मिशन इन्द्रधनुष देश भर में लागू किया है। मिशन में प्रदेश के 13 जिले विदिशा, रायसेन, सागर, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, रीवा, सीधी, सिंगरौली, शहडोल, श्योपुर, झाबुआ और अलीराजपुर जिले के ग्रामीण क्षेत्र शामिल हैं। इनमें 31 जनवरी, 2018 तक शत-प्रतिशत टीकाकरण लक्ष्य प्राप्ति की जाना है। लक्ष्य में 2 वर्ष तक के बच्चों का सूचीकरण, आरसीएच पोर्टल में इंद्राज, बीसीजी, डीपीटी-3, पेंटा/डीपीटी और खसरा टीकाकरण शामिल हैं। पुरस्कार के लिये 18 फरवरी, 2018 से 28 फरवरी, 2018 के बीच प्रमुख सचिव स्वास्थ्य से 2 वर्ष उम्र तक के प्रत्येक शिशु के टीकाकरण का सत्यापन कराकर पुरस्कार के लिये पात्र जिला, सेक्टर, ग्राम पंचायत की जानकारी विकास आयुक्त को उपलब्ध करायेंगे।

जिला एवं सेक्टर-स्तर के पुरस्कार में से किसी भी व्यक्ति विशेष को अधिकतम 10 प्रतिशत राशि दी जा सकेगी। शेष राशि जिला/सेक्टर स्तर के उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों को वितरित करना होगी। पुरस्कार राशि स्वास्थ्य विभाग द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी।

ग्राम पंचायत की पुरस्कार राशि में से 20 हजार रुपये पुरस्कार स्वरूप होंगे। शेष एक लाख 80 हजार रुपये की राशि ग्राम पंचायत अधोसंरचना विकास कार्यों पर व्यय की जा सकेगी। नगद पुरस्कार 20 हजार में से सरपंच, उप सरपंच को अधिकतम 10 हजार रुपये और शेष 10 हजार रुपये टीकाकरण लक्ष्य प्राप्ति में उत्कृष्ट कार्य करने वाले मैदानी अमले को दिये जायेंगे। यह पुरस्कार राशि पंचायत संचालनालय द्वारा प्रदान की जायेगी।

कपिलधारा कुएं बने गरीब किसानों की ताकत

मध्यप्रदेश में साढ़े तीन लाख से अधिक कुएं निर्मित

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम, मनरेगा से बनाये गये कपिलधारा कुओं से गरीब किसानों की सामाजिक, आर्थिक स्थिति में सुधार आया है। अब कपिलधारा कुएं इन गरीब किसानों की ताकत बन गए हैं। सिंचाई के ठोस इंतजाम से साल में तीन फसल के उत्पादन ने इनकी आमदनी कई गुना बढ़ा दी है। प्रदेश के गरीब किसानों की निजी भूमि में सिंचाई सुविधा के लिए बनाये गये कपिलधारा कुओं से किसान अपने खेतों में साल में दो से तीन फसल, बागवानी तथा सब्जियों के उत्पादन का लाभ ले रहे हैं। भरपूर फसल उत्पादन से किसानों की सालाना आमदनी में कई गुना इजाफा हुआ है। अब तक तंगहाली में गुजर-बसर करने वाले बेहतर जीवन-यापन कर रहे हैं।

मध्यप्रदेश में मनरेगा योजना प्रारंभ से अब तक गरीब किसानों की असिंचित जमीन पर लगभग 3 लाख 57 हजार 522 से अधिक कपिलधारा कुओं का निर्माण किया जा चुका है, जिससे 4 लाख 74 हजार 425 हेक्टेयर असिंचित रकबा सिंचित रकबे में तब्दील हुआ है। कपिलधारा कुओं की बदौलत अभी तक बंजर रहने वाली जमीन हरी-भरी होकर विभिन्न किस्म के अनाज, फल, सब्जियों आदि का उत्पादन कर रही है।

मनरेगा की कपिलधारा योजना गरीब किसानों की गरीबी दूर करने और उनके जीवन में खुशहाली लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। प्रदेश के ऐसे गरीब किसान जिनके पास खुद की जमीन तो थी पर सिंचाई का साधन न होने की बजह से बरसाती फसल भर ले पाते थे। बरसाती फसल से साल भर खाने की जुगाड़ भी नहीं हो पाती। मजबूरन इन किसानों को मजदूरी कर घर का गुजारा करना पड़ता था पर मनरेगा ने ऐसे किसानों की समस्या को हमेशा के लिए खत्म कर दी। मनरेगा की कपिलधारा योजना से किसानों की जमीन पर सिंचाई की सुविधा के लिए कुओं का निर्माण कराया गया, जिससे उन्हें दोहरा फायदा हुआ, एक तो कूप निर्माण के दौरान काम करने की मजदूरी मिली और सिंचाई का पक्का इंतजाम भी हो गया। जिन हितग्राहियों को कपिलधारा कूप का लाभ मिला है, वे अब साल में दो से तीन फसलों के साथ-साथ सब्जियों तथा फलों का उत्पादन लेने लगे हैं। सिंचाई की सुविधा होने से साल भर खेती कर पा रहे हैं, दूसरों के खेतों में काम करने वाले अब दूसरों को काम देने लगे हैं। उनकी जमीन पर भरपूर फसल होने से साल भर खाने की जुगाड़ के साथ अतिरिक्त आमदनी बढ़ी है। अब उनके बच्चों की पढ़ाई अच्छी तरह से होने लगी है, जीवन स्तर और रहन-सहन पहले की तुलना में बेहतर हुआ है। ऐसे किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत होने से सामाजिक प्रतिष्ठा भी बढ़ी है। उल्लेखनीय है कि प्रदेश में जरूरतमंद गरीब किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिए आगामी पांच वर्षों में ढाई लाख कपिलधारा कुएं निर्मित किए जाने का लक्ष्य रखा गया है।

● **प्रस्तुति : अभिषेक सिंह**
(लेखक स्तंभकार हैं)

सरपंच ने दिखाई मज़बूत इच्छाशक्ति
ग्राम पंचायत ने लिख दी विकास की कहानी

सरपंच की मज़बूत इच्छाशक्ति, जनता का भरपूर सहयोग और उस पर क्षेत्रीय विधायक और जिला प्रशासन की कोशिशों ने एक ग्राम पंचायत को कम समय में विकास की दौड़ में खड़ा कर दिया है। हम बात कर रहे हैं प्रदेश के मंदसौर जिले की दलौदा चौपाटी ग्राम पंचायत की। ग्राम पंचायत दलौदा चौपाटी में हर उस विकास कार्य की अवधारणा है, जिसे एक आदर्श ग्राम पंचायत के रूप में देखा जा सकता है। आदर्श ग्राम के रूप में स्थापित हो रही 13 हजार आबादी वाली ग्राम पंचायत दलौदा में जनता की प्रत्येक मूलभूत आवश्यकता बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता सहित अन्य सुविधाओं पर विशेश ध्यान देकर पूरा किया गया है। इसके अतिरिक्त रेक पाइंट (रेलवे), कृषि उपज मण्डी, ट्रेक्टर ट्रॉली बनाने के 4 कारखाने दाल मिल सहित अन्य उद्योग, 5 राष्ट्रीयकृत बैंक, खेलने के लिए एक करोड़ की लागत से बना स्टेडियम, लगभग 70-75 ग्राम के 12 हजार से अधिक छात्रों के लिए शिक्षा के केन्द्र आदि दलौदा के उत्कृष्ट विकास की कहानी बयां कर रहे हैं। ढाई वर्षों में लगभग 7 करोड़ के विकास कार्य कर सशक्त पंचायत का निर्माण करने वाले सरपंच श्री विपिन जैन से म.प्र. पंचायिका के लिए सचिन गंगराड़े ने चर्चा की। प्रस्तुत हैं बातचीत के अंश -

- **पदभार ग्रहण के बाद विकास को लेकर क्या रूपरेखा मन में थी?**

●● मार्च 2015 में पदभार ग्रहण के समय सर्वप्रथम ग्राम की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के साथ-साथ ग्राम पंचायत के प्रति क्षेत्र की जनता के मन में विश्वास की भावना जाग्रत करने का विचार किया। क्षेत्र के विकास के लिए जरूरी राशि का ग्राम पंचायत में अभाव था। इसके लिए सामाजिक सहयोग के द्वारा स्व-विकास की ओर ध्यान दिया गया। अव्यवस्थित विकास तथा अतिक्रमण की समस्या को दूर किया गया। ग्राम विकास की यह योजना पूरे एक वर्ष के लक्ष्य को ध्यान में रखकर बनाई गई थी और इसका प्रतिफल कम समय में आज सबके सामने है।

- **बुनियादी जरूरतों को किस प्रकार पूरा किया गया?**

●● बुनियादी जरूरतों को पूरा किए बिना ग्राम विकास की अवधारणा को अधूरा ही माना जाएगा। इसलिए सर्वप्रथम इसके लिए ही प्रयास किए गए। पानी की आवश्यकता के लिए कुएं निर्मल नीर से बनवाए गए। 1500 नल कनेक्शन दिए गए। बाहर के मुख्य मार्ग पर स्वच्छ पेयजल के लिए वाटर कूलर लगवाए गए। प्रकाश की व्यवस्था के लिए 350 पोलों पर LED लाइट, 50 लोहे के LED लाइट के पोल, बस्तियों में 50 लाइट के सीमेंट पोल तथा केबल लगवाई गईं। आवागमन के लिए एक लाख 20 हजार फीट की सीसी रोड का निर्माण किया गया है। इसी तरह शिक्षा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी अनेक कार्य किए गए हैं।

- **आपकी ग्राम पंचायत पर 12 लाख का कर्ज था। उसके लिए क्या उपाए किए गए?**

●● जी हाँ? पंचायत पर 12 लाख का कर्ज था। इस कर्ज से मुक्ति के अतिरिक्त विकास के लिए अतिरिक्त धन की आवश्यकता थी। इसके लिए जनसमूह से सहयोग की अपील की गई। ग्रामवासियों को सभी बकाया कर जमा करने के लिए कहा गया। एक वर्ष के दौरान 32 लाख की राशि करों से तथा 25 लाख की राशि चंदे में प्राप्त हुई। वहीं 4 करोड़ से अधिक की राशि पंचायत की अतिरिक्त जमीन पर शॉपिंग कॉम्पलेक्स बनाकर प्राप्त की गई। समस्त स्रोतों से अब तक 7 करोड़ से ऊपर के काम किए जा चुके हैं।

- **स्थानीय जनप्रतिनिधि एवं प्रशासन का किस प्रकार सहयोग रहा?**

●● दलौदा में विकास करने का पूरा-पूरा श्रेय विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया एवं जिला प्रशासन को जाता है। विधायक द्वारा हमारे आग्रह पर विधायक निधि से विभिन्न विकास कार्यों के लिए राशि आवंटित की गई। हमारे गुणवत्तापूर्ण कार्य को देखकर उन्होंने क्षेत्र के विकास में भरपूर सहयोग किया।

- **प्रधानमंत्री जी के स्वच्छ भारत अभियान को बढ़ावा देने के लिए क्या प्रयास किए गए?**

●● स्वच्छ भारत अभियान को सफल

(शेष अगले पृष्ठ पर)

ग्राम पंचायत को आदर्श बनाने के लिए सराहनीय प्रयास

दलौदा ग्राम पंचायत को आदर्श बनाने में क्षेत्रीय विधायक श्री यशपाल सिंह सिसोदिया का प्रयास सराहनीय है। सरपंच विपिन जैन भी इसका श्रेय इन्हें ही देते हैं। श्री सिसोदिया ने सरपंच श्री जैन के द्वारा लाए गए विकास के प्रत्येक प्रस्ताव पर सहमति जताते हुए उसे पूरा किया। ग्राम पंचायत की मूलभूत आवश्यकताओं के लिए विधायक निधि से आवश्यकतानुसार राशि आवंटित की। सिसोदिया जी के सहयोग से दलौदा ग्राम पंचायत में बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी मूलभूत आवश्यकताएं अपना आकार ले चुकी हैं। सिसोदिया जी ने आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जिला प्रशासन के साथ मिलकर उसे समय सीमा में पूरा करवाया। दलौदा आसपास के क्षेत्र में शिक्षा का केन्द्र बनने जा रहा है इसका श्रेय भी सरपंच, विधायक को ही देते हैं। प्रस्तुत है सरपंच विपिन जैन के साथ दलौदा की विकास गाथा लिखने वाले क्षेत्रीय विधायक, मंदसौर से पंचायिका की विशेष बातचीत -

- **ग्राम पंचायत दलौदा के विकास का श्रेय आपको भी दिया जा रहा है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे?**

●● दलौदा ग्राम पंचायत ने निश्चित ही सराहनीय कार्य किया है। सरपंच विपिन जैन की इच्छाशक्ति और मजबूत इरादों से आज ग्राम में चारों ओर विकास दिखाई दे रहा है। वैसे भी ग्राम पंचायत के विकास को लेकर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। सरपंच अपनी ग्राम पंचायत और उस गाँव की जनता के लिए ही राशि की मांग करते हैं। इसलिए सरपंच के आग्रह पर मेरी ओर से हर संभव मदद की गई।

- **ग्राम पंचायत में आपके द्वारा कौन-कौन से विकास कार्य हुए हैं?**

●● ग्राम पंचायत के पास विकास के लिए ज्यादा पैसा तो था नहीं उस पर कर्ज अदायगी भी एक समस्या थी इसलिए सर्वप्रथम पंचायत की खाली पड़ी जमीन का आक्शन किया गया। इस राशि को विकास कार्य में लगाया गया। आसपास के गाँवों के 10 से 12 हजार बच्चों के लिए हायर सेकेण्डरी स्कूल खुलवाए गए। उपमण्डी को मण्डी का दर्जा दिलवाया गया। तहसील का बड़ा भवन बनवाया गया। बच्चों को खेलने के लिए एक करोड़ की लागत से स्टेडियम बनवाने सहित अन्य कार्य किये गये।

- **मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए क्या जरूरी प्रयास किए गए?**

●● ग्राम पंचायत दलौदा की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सरपंच की ओर से विशेष आग्रह था। ग्राम में 65 लाख की राशि से प्रकाश की व्यवस्था की गई। ग्राम में उपस्वास्थ्य केन्द्र स्थापित किया गया। स्वच्छता के लिए एक करोड़ की राशि से कचरा गाड़ी, डस्टबिन, ट्रॉली आदि की व्यवस्था की गई। ग्राम में सीसी डिवाइडर रोड हेतु राशि दी गई। दलौदा की सीमा में ही निवासरत लोगों को थाने में शिकायत को लेकर एक समस्या थी। ग्राम के कुछ इलाकों के लोगों को 15 किलोमीटर दूर अफजलपुर थाने में शिकायत के लिए जाना पड़ता था। महिलाओं के विशेष आग्रह पर अब यह व्यवस्था दलौदा थाने में ही कर दी गई है।

- **दलौदा में भविष्य को लेकर क्या योजना है?**

●● 2018 में पहले प्राथमिकता के आधार पर तय किये गए कामों को लेकर मेरे द्वारा मुख्यमंत्री जी से दलौदा में महाविद्यालय खोलने का आग्रह किया गया है। इससे आसपास के गाँवों के बच्चों को बड़ा फायदा मिलेगा। इसके अतिरिक्त यदि जमीन की समस्या हल हो जाती है तो ग्राम में आवास योजना के अंतर्गत मकान बनाए जाएंगे।

(पिछले पृष्ठ का शेष)

बनाने के लिए बेहतर प्रयास किए गए हैं। ग्रामवासियों के लिए कचरा डालने के लिए 5 हजार डस्टबिन की व्यवस्था की गई। इसे उठाने के लिए वाहन खरीदे गए, जिनसे दिन में दो बार घर-घर से कचरा उठाया जाता है। मुख्य जगह पर सामुदायिक कचरा पेटी रखवाई गई। 300 से अधिक शौचालयों के निर्माण के साथ एक सुलभ काम्पलेक्स का निर्माण किया गया है। ठोस अपशिष्ट के निपटान की विशेष व्यवस्था की गई है। स्वच्छता से आमजन को जोड़ने के लिए भी समय-समय पर कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। प्रदेश सरकार के ग्राम उदय से भारत उदय अभियान के तहत भी विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर स्वच्छता को बढ़ावा दिया गया है।

- **पौधरोपण के लिए पंचायत द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं?**

●● स्वच्छता एवं हरियाली के लिए पंचायत ने हमेशा बेहतर प्रयास किए हैं। पौध रोपण अभियान के दौरान पंचायत द्वारा दो वनों में जिसमें 700 फलदार एवं छायादार पौधे रोपित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त सभी सार्वजनिक स्थानों, मुक्तिधाम, स्कूलों एवं सड़क किनारे पौधे एवं छायादार पेड़ लगाए गए हैं।

संकल्प वर्ष के रूप में मनाया जायेगा स्वतंत्रता दिवस

पंचायत राज संचालनालय, मध्यप्रदेश
भविष्य निधि कार्यालय के समीप,
अरेरा हिल्स (हिन्दुस्तान पेट्रोल पंप के पास), भोपाल
Telephone No. 0755-2557727, Fax No.-0755-2552899, E-mail Address: dirpanchayat@mp.gov.in

क्रमांक/पं.रा./पंचा- /2017/9322 **भोपाल, दिनांक 10.08.2017**

प्रति,

1. कलेक्टर,
   जिला - समस्त,
   मध्यप्रदेश।
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
   जिला पंचायत- समस्त,
   मध्यप्रदेश।

विषयः- 15 अगस्त 2017 को "संकल्प पर्व" के रूप में आयोजित करने बाबत।

संदर्भः- भारत सरकार पंचायती राज मंत्रालय, तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय के संयुक्त अर्द्ध शासकीय पत्र क्रमांक जे. 11011/78/2017-मीडिया कृपया भारत सरकार पंचायती राज मंत्रालय तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय के संलग्न संयुक्त अर्द्ध शासकीय पत्र का अवलोकन करें।

उक्त अर्द्ध शासकीय पत्र द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन के 75 वर्ष पूर्ण होने पर 15 अगस्त 2017 को "संकल्प पर्व" के रूप में आयोजित करते हुए "संकल्प से सिद्धी - संकल्प के माध्यम से प्राप्ती" का एक जन आंदोलन शुरू किया जाना है।

2. 15 अगस्त के दिन समस्त ग्रामों में प्रभात फेरी निकाली जाकर, स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में समस्त शालाओं के छात्रों को, स्थानीय युवाओं, स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों, ग्रामीण विकास विभाग की योजनाओं के हितग्राहियों को छः शत्रुओं (गंदगी, गरीबी, भ्रष्टाचार, आतंकवाद, जातिवाद, समुदायवाद) से मुक्त करने तथा नव भारत के निर्माण की शपथ दिलवाई जानी है।
3. ग्राम सभाओं के आयोजन के दौरान "भारत छोड़ो आंदोलन" में शहीदों को श्रद्धांजलि दी जावे।
4. (i) समस्त ग्राम सभाओं को मुद्रित संकल्प पत्र वितरित कर भरवाये जाना हैं। संकल्प पत्र अनुसार सामूहिक रूप से शपथ दिलाई जाकर, पत्रक में व्यक्तिशः शपथ पत्र लेने के लिये भी स्थान रहे।
   (ii) समस्त ग्राम सभाओं को व्यक्तिशः शपथ पत्र तथा संकल्प पत्र भरवाया जाना है।
   (iii) जिला स्तर पर उक्त संकल्प पत्रों को एकत्रित कर परीक्षण उपरांत उनका विषयवार सार साफ्ट कापी में ई-मेल prpanchayat@gmail.com पर संचालक, पंचायत राज संचालनालय को भेजना सुनिश्चित करें।
5. ग्राम सभा में शपथ ग्रहण के पश्चात "नया भारत मंथन" 2022 तक नव भारत बनाने में ग्राम वासियों का क्या योगदान हो सकता है, पर चर्चा की जानी है।
6. ग्राम रोजगार सहायक, Community Resource Persons (CRPs), पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अन्य मैदानी कर्मचारी द्वारा मनरेगा कार्यकर्ता, स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के हितग्राही इत्यादि ग्राम सभा में भाग लेवें ।
7. संकल्प पर्व के दौरान चर्चा में आये सुझावों को विषयवार संकलित कर, संचालक पंचायत राज संचालनालय को अनिवार्यतः केवल साफ्ट कापी, वर्ड फाईल ई-मेल prpanchayat@gmail.com पर भेजना सुनिश्चित करें।
8. शपथ ग्रहण/चर्चा एवं अन्य कार्यक्रमों की वीडियोग्राफी/फोटोग्राफी की जावे। दूरदर्शन, ऑल इंडिया रेडियो, टी.वी. चैनल, रेडियो चैनल के

माध्यम से पर्याप्त प्रचार-प्रसार किया जावे। कार्यक्रम के फोटोग्राफ्स/वीडियो क्लिप भारत सरकार पंचायती राज मंत्रालय तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय www.newindia.in तथा पंचायती राज संचालनालय भोपाल के पंचायत दर्पण पोर्टल www.mppanchayatdarpan.gov.in पर अनिवार्यतः अपलोड करें।

कृपया संलग्न निर्देशों अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें।

संलग्न - उपरोक्तानुसार।

(शमीम उद्दीन)
संचालक
पंचायत राज संचालनालय म.प्र.

पृ.क्रमांक/पं.रा/पंचा- /2017/9323 **भोपाल, दिनांक 10.08.2017**

प्रतिलिपिः-

1. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. समस्त - संभागीय आयुक्त, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. निज सचिव, मान. मंत्री जी/मान. राज्य मंत्री जी, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

संचालक
पंचायत राज संचालनालय म.प्र.

नये भारत का संकल्प

हम सब मिलकर संकल्प लेते हैं, एक नये भारत का।
1942 में हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने एक संकल्प लिया था,
भारत छोड़ो का और 1947 में वह महान संकल्प सिद्ध हुआ,
भारत स्वतंत्र हुआ।
हम सब मिलकर संकल्प लेते हैं, 2022 तक नये भारत के निर्माण का।
हम सब मिलकर संकल्प लेते हैं, स्वच्छ भारत का।
हम सब मिलकर संकल्प लेते हैं, गरीबी मुक्त भारत का।
हम सब मिलकर संकल्प लेते हैं, भ्रष्टाचार मुक्त भारत का।
हम सब मिलकर संकल्प लेते हैं, आतंकवाद मुक्त भारत का।
हम सब मिलकर संकल्प लेते हैं, सम्प्रदायवाद मुक्त भारत का।
हम सब मिलकर संकल्प लेते हैं, जातिवाद मुक्त भारत का।
नये भारत के निर्माण के अपने इस संकल्प की सिद्धि के
लिये, हम सब मन और कर्म से जुट जायेंगे।

व्यक्तिगत/संस्थागत संकल्प -

.....
संकल्पकर्ता का नाम .....
हस्ताक्षर .....

त्रि-स्तरीय पंचायतों के लिए दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार

पंचायत राज संचालनालय, मध्यप्रदेश
भविष्य निधि कार्यालय के समीप, अरेरा हिल्स (हिन्दुस्तान पेट्रोल पंप के पास), भोपाल
Telephone No. 0755-2557727, Fax No.-0755-2552899, E-mail Address: dirpanchayat@mp.gov.in

क्रमांक/पं.रा./पंचा- /2017/8232 **भोपाल, दिनांक 27.07.2017**

प्रति,

1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
   जिला पंचायत- समस्त, मध्यप्रदेश।

विषयः- दीन दयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार योजना वर्ष 2017-18

संदर्भः- भारत सरकार पंचायती राज मंत्रालय का अर्द्ध शासकीय पत्र क्रमांक एन-11019/25/2017 - Governance, 30 जून 2017 तथा अर्द्ध शासकीय पत्र क्रमांक 11019/25/2017- Governance, 21 जुलाई 2017

उपरोक्त विषयांतर्गत भारत सरकार से प्राप्त संदर्भित अर्द्ध शासकीय पत्रों द्वारा वर्ष 2018 (Appraisal year 2016-17) उत्कृष्ट कार्य करने वाली पंचायतों को निम्नानुसार पुरस्कार हेतु नामांकन चाहे गये हैं-

(1) दीन दयाल उपाध्याय, पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार (DDUPSP)
(2) नानाजी देशमुख, राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार (NDRGGSP)
(3) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अंतर्गत उत्कृष्ट कार्य पुरस्कार

2. त्रि-स्तरीय पंचायतों के (जिला पंचायत, जनपद पंचायत, ग्राम पंचायत) वित्तीय वर्ष 2016-17 अंतर्गत उत्कृष्ट कार्यों के नामांकन 20 सितम्बर 2017 तक ऑनलाइन अपलोड किये जाने हैं।
3. ऑनलाइन नॉमिनेशन की प्रश्नावली, प्रक्रिया तथा अन्य जानकारी हेतु, पंचायती राज मंत्रालय की वेबसाइट लिंक http://panchayataward.gov.in पर लॉगिन करके पुरस्कार नॉमिनेशन प्रक्रिया संपन्न करें। User Name/ID और Password पूर्व वर्ष में NIC द्वारा उपलब्ध करवाये अनुसार ही होगा।
4. दीन दयाल उपाध्याय पुरस्कार अंतर्गत एक तिहाई पुरस्कार विशेष रूप से 9 विषयों पर होंगे, जो निम्नानुसार होंगे :-
   (1) स्वच्छता, (2) Civic Services (पेयजल, स्ट्रीट लाइट, आधारभूत संरचना), (3) प्राकृतिक संसाधनों का सदुपयोग, (4) Serving Marginalized Section (महिला, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, विकलांगता, वरिष्ठ नागरिक), (5) सामाजिक सेवाओं का प्रदाय की उपलब्धता, (6) विपदा प्रबंधन, (7) CBO's/Individuals taking Voluntary Actions to Support Gram Panchayats, (8) पंचायतों द्वारा स्वयं के आय स्रोतों में वृद्धि हेतु प्रयास, (9) ई-गवर्नेंस पर आधारित।
5. नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार ग्राम पंचायत क्षेत्र में सामाजिक आर्थिक विकास में ग्राम सभाओं के विशेष सहभागिता हेतु दिया जाएगा।
6. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में किये गये उत्कृष्ट कार्यों हेतु भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा पुरस्कार दिये जाएंगे।
7. उक्त पुरस्कारों हेतु अधिक से अधिक जिला पंचायत/जनपद पंचायत/ग्राम पंचायतें समय-सीमा में ऑनलाइन प्रविष्टियाँ अपलोड करें।
8. आपके जिले के National Informatics Centre से आवश्यकता अनुसार प्रविष्टियों के नामांकन के ऑनलाइन प्रोसेस हेतु सहयोग लिया जा सकता है।
9. पुरस्कार से संबंधित कठिनाइयाँ Awards mopr@nic.in and joshi.sk@nic.in पर प्रेषित की जा सकती हैं।
10. राज्य स्तर पर समन्वय हेतु नोडल अधिकारी श्रीमती शिवानी वर्मा संयुक्त संचालक (9424083938) एवं श्री दीपक गौतम, प्रोग्रामर (9424491909) से संपर्क किया जा सकता है।

कृपया अधिक से अधिक संख्या में समय-सीमा में नामांकन शीघ्र अपलोड करना सुनिश्चित करें।

(शमीम उद्दीन)
संचालक, पंचायत राज संचालनालय म.प्र.

ग्राम पंचायत सचिव भर्ती और सेवा शर्तों में संशोधन

मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 443, भोपाल, बुधवार, दिनांक 9 अगस्त 2017-श्रावण, 18, शक 1939
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 9 अगस्त 2017

क्र. एफ 5-1-2017-बाईस पं. 1.- मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 69 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 95 की उपधारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश पंचायत सेवा (ग्राम पंचायत सचिव भर्ती और सेवा शर्तें) नियम, 2011 में निम्नलिखित संशोधन करती है, जो उक्त अधिनियम की धारा 95 की उपधारा (3) द्वारा यथा अपेक्षित, मध्यप्रदेश राजपत्र में दिनांक 1 मई 2017 को पूर्व प्रकाशित किया जा चुका है, अर्थात्:-

संशोधन

उक्त नियम में, नियम 7 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम स्थापित किया जाए, अर्थात्:-

"7. **अनुशासन तथा नियंत्रण :-** ग्राम पंचायत सचिव के विरुद्ध निम्नलिखित दशाओं में अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी:-

(1) ग्राम पंचायत सचिव को सेवा से स्वतः ही पृथक् माना जाएगा यदि उसे किसी न्यायालय द्वारा नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया हो।

(2) ग्राम पंचायत सचिव को सात दिन की कारण बताओ सूचना तथा सुनवाई का अवसर दिये जाने के पश्चात् निम्नलिखित शर्तों के अधीन दंडित किया जाएगा:-

(क) वित्तीय अनियमितता करने, गबन करने या पंचायत राज संस्था या सरकार को वित्तीय हानि कारित करने पर,

(ख) मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) के उपबंधों के अधीन उसे दण्डित किया गया हो अथवा उसके विरुद्ध किसी राशि की वसूली का आदेश पारित किया गया हो।

(ग) कर्तव्य से लगातार अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने की दशा में,

(घ) अमर्यादित आचरण करने की दशा में,

(ङ) ग्राम सभा द्वारा इस आशय का प्रस्ताव पास होने की दशा में कि सचिव अपने कर्तव्यों के पालन में लापरवाही बरतता है या वह अपने कर्तव्यों का निर्वहन उचित रीति में नहीं करता,

(च) गंभीर अनुशासनहीनता के आचरण की दशा में।

(3) निम्नलिखित दण्डों में से लिखित आख्यापक आदेश पारित करके कोई उचित दण्ड अधिरोपित किया जा सकेगा:-

(क) सेवा समाप्त करना, अथवा

(ख) वेतनवृद्धि रोकना, अथवा

(ग) पंचायत/राज्य सरकार को हुई हानि की राशि की वसूली करना, अथवा

(घ) अनाधिकृत अनुपस्थिति की अवधि को अकार्य दिन (dies-non) अथवा अवैतनिक घोषित करना।

(4) जिला पंचायत का मुख्य कार्यपालन अधिकारी, अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के लिए सक्षम प्राधिकारी होगा। दण्ड अधिरोपित करने वाले आदेश की दिनांक से 15 दिवस के भीतर, आयुक्त, पंचायत राज संचालनालय के समक्ष, अपील प्रस्तुत की जा सकेगी।

(5) अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के प्रयोजन के लिए, सक्षम प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित शर्तों का पालन किया जाएगा-

(क) सुनवाई के लिए नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत लागू होंगे।

(ख) संबंधित ग्राम पंचायत सचिव को प्रमाणित साक्ष्यों का अवलोकन कराया जाएगा।

(ग) उपरोक्त उपनियम (2) के अधीन सूचना जारी करने के दिनांक से दो मास के भीतर समस्त कार्यवाही पूरी की जाएगी।"।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस.आर.चौधरी, उपसचिव

प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में होगा स्वच्छता परिसरों का निर्माण

विकास आयुक्त कार्यालय
मध्यप्रदेश शासन

क्रमांक 2822/एसव्हीएम/बी-7/2017 **दिनांक 30.08.2017**

//आदेश//

प्रदेश के सभी ग्रामीण क्षेत्रों में खुले में शौच की प्रवृत्ति बंद करने और स्वच्छता को ग्रामवासियों की आदत में लाने के उद्देश्य से प्रमुख सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की सहमति से निम्न तालिका में दर्शाए 385 प्राथमिक/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में 392 सामुदायिक स्वच्छता परिसर निर्माण की प्रशासकीय स्वीकृति राशि रु. 7.84 करोड़ (प्रति परिसर राशि रु. 2.00 लाख) की दी जाती है:-

क्र.	मुख्यालय	जनपद	जिला	क्र.	मुख्यालय	जनपद	जिला
1	अंबुआ	अलीराजपुर	अलीराजपुर	29	नयागांव	भिण्ड (फूफ)	भिण्ड
2	दबादी	जोबट	अलीराजपुर	30	रौन	मिहोना (रौन)	भिण्ड
3	चांदपुर	कट्ठीवाड़ा	अलीराजपुर	31	मछंद	मिहोना (रौन)	भिण्ड
4	उमराली	सोंडवा	अलीराजपुर	32	नजीराबाद	बैरसिया	भोपाल
5	छकतला	सोंडवा	अलीराजपुर	33	खकनार खुर्द	खकनार	बुरहानपुर
6	उदयगढ़	उदयगढ़	अलीराजपुर	34	गुलई	खकनार	बुरहानपुर
7	बोरी	उदयगढ़	अलीराजपुर	35	सिवाल	खकनार	बुरहानपुर
8	कोयलारी	पुष्पराजगढ़	अनूपपुर	36	भगवान	बड़ामलहरा	छतरपुर
9	शाढौरा	अशोकनगर	अशोकनगर	37	गौरिहार	बारीगढ़ (गौरिहार)	छतरपुर
10	बहादुरपुर	मुंगावली	अशोकनगर	38	सरवाई	बारीगढ़ (गौरिहार)	छतरपुर
11	दमोह	बिरसा	बालाघाट	39	अनगोर	बिजावर (सटई)	छतरपुर
12	कचनारी	बिरसा	बालाघाट	40	देवरा	बिजावर (सटई)	छतरपुर
13	मानेगांव	बिरसा	बालाघाट	41	गुलगंज	बीजावर (सटई)	छतरपुर
14	किरनापुर (सीटी)	किरनापुर	बालाघाट	42	बम्होरी	बक्सवाहा	छतरपुर
15	मानपुर	लालबर्रा	बालाघाट	43	ईसानगर	छतरपुर	छतरपुर
16	परसवाड़ा	परसवाड़ा	बालाघाट	44	जामतुली	राजनगर	छतरपुर
17	वारा	वारासिवनी	बालाघाट	45	बमीठा	राजनगर	छतरपुर
18	निवाली बुजुर्ग	निवाली	बड़वानी	46	सिंगोडी	अमरवाड़ा	छिंदवाड़ा
19	पाटी	पाटी	बड़वानी	47	अकलमा	अमरवाड़ा	छिंदवाड़ा
20	उपला	राजपुर	बड़वानी	48	बटकाखापा	हर्रई	छिंदवाड़ा
21	चकेरी	ठीकरी	बड़वानी	49	तामिया	तामिया	छिंदवाड़ा
22	बोरदेही	आमला	बैतूल	50	बटियागढ़	बतियागढ़	दमोह
23	भीमपुर	भीमपुर	बैतूल	51	रोण्ड	जबेरा	दमोह
24	दामजीपुरा	भीमपुर	बैतूल	52	नरसिंहगढ़ (सीटी)	पथरिया	दमोह
25	घोड़ाडोंगरी रैयत (सीटी)	घोड़ाडोंगरी	बैतूल	53	तारादेही माल	तेंदूखेड़ा	दमोह
26	पारमंडल	मुलताई	बैतूल	54	तेजगढ़	तेंदूखेड़ा	दमोह
27	शाहपुर	शाहपुर	बैतूल	55	भगुआपुरा	सेंवढ़ा	दतिया
28	अटेर	अटेर	भिण्ड	56	उदयनगर	बागली	देवास
				57	हरनगांव	खातेगांव	देवास
				58	टंडा	बाघ	धार

क्र.	मुख्यालय	जनपद	जिला
59	आगर	बाघ	धार
60	उमरबनकलां	बाकानेर (उमरबन)	धार
61	गंधवानी	गंधवानी	धार
62	बागड़ी	नालछा	धार
63	नालछा	नालछा	धार
64	निसरपुर	निसरपुर	धार
65	अमझेरा	सरदारपुर	धार
66	रिंगनौद	सरदारपुर	धार
67	जौलाना	सरदारपुर	धार
68	किसलपुरी माल	अमरपुर	डिंडोरी
69	बिछिया	शहपुरा	डिंडोरी
70	कोहनी देवरीकला	शहपुरा	डिंडोरी
71	बम्होरी	बम्होरी	गुना
72	फतेहगढ़	बम्होरी	गुना
73	झागर	बम्होरी	गुना
74	मृगवास	चाचौड़ा	गुना
75	सनई	चाचौड़ा	गुना
76	मैना	गुना	गुना
77	पगारा	गुना	गुना
78	उमरी	गुना	गुना
79	दुहावद	राघोगढ़	गुना
80	जामनेर	राघोगढ़	गुना
81	मकसूदनगढ़	राघोगढ़	गुना
82	उकावद	राघोगढ़	गुना
83	चिनौर	भितरवार	ग्वालियर
84	पिचोर	डबरा	ग्वालियर
85	मोहना	घाटीगांव (बरई)	ग्वालियर
86	वीरपुर	घाटीगांव (बरई)	ग्वालियर
87	बेहट	मुरार (हस्तिनापुर)	ग्वालियर
88	सिराली	खिरकिया	हरदा
89	हल्की	जबलपुर	जबलपुर
90	चौरईकला	कुंडम	जबलपुर
91	बेलखेड़ा	शहपुरा	जबलपुर
92	मदरानी	मेघनगर	झाबुआ
93	बामनिया	पेटलावद	झाबुआ
94	झाकनवाड़ा	पेटलावद	झाबुआ
95	करवाड	पेटलावद	झाबुआ
96	रायपुरिया	पेटलावद	झाबुआ
97	सारंगी	पेटलावद	झाबुआ
98	उनली	पेटलावद	झाबुआ
99	रामा	रामा	झाबुआ
100	समोई	रानापुर	झाबुआ
101	काकनवानी	थांदला	झाबुआ
102	बड़वारा कलां	बड़वारा	कटनी
103	खितौली	बड़वारा	कटनी
104	बाकल	बहोरीबंद	कटनी
105	उमरियापान	ढीमरखेड़ा	कटनी
106	खमतरा	ढीमरखेड़ा	कटनी
107	रीठी	रीठी	कटनी
108	झिरिया	विजयराघोगढ़	कटनी
109	बोरी सराय	हरसूद	खंडवा
110	खालवा (पुलिस आबादी)	खालवा	खंडवा
111	पिपलूदखास	पंधाना	खंडवा
112	बीड़	पुनासा	खंडवा
113	पुनासा	पुनासा	खंडवा
114	मोरटक्का	पुनासा	खंडवा
115	बेड़िया	बड़वाह	खरगौन
116	बड़वाह कस्बा	बड़वाह	खरगौन
117	भगवानपुरा	भगवानपुरा	खरगौन
118	सिरवेल	भगवानपुरा	खरगौन
119	न.पं. भीकनगांव	भीकनगांव	खरगौन
120	बमनाला	भीकनगांव	खरगौन
121	बिस्टन	गोगांव	खरगौन
122	झिरन्या	झिरनिया	खरगौन
123	कसरावदखुर्द	कसरावद	खरगौन
124	करही	महेश्वर	खरगौन
125	सेगांव	सेगांव	खरगौन
126	मोहगांव	मोहगांव	मंडला
127	भाऊगढ़	मंदसौर (धुंधड़का)	मंदसौर
128	धुंधड़का	मंदसौर (धुंधड़का)	मंदसौर
129	कायमपुर	सीतामऊ	मंदसौर
130	नाहरगढ़	सीतामऊ	मंदसौर
131	खड़ियाहार	अम्बाह (खड़ियाहार)	मुरैना
132	दिमानी	अम्बाह (खड़ियाहार)	मुरैना
133	बागचीनी	जौरा	मुरैना
134	सुमावली	जौरा	मुरैना
135	नूराबाद	मुरैना (नूराबाद)	मुरैना
136	बामनोर खुर्द	मुरैना (नूराबाद)	मुरैना
137	रिठौरा कलां	मुरैना (नूराबाद)	मुरैना
138	रामपुर कलां	सबलगढ़	मुरैना
139	तेंतारा	सबलगढ़	मुरैना
140	मुंगवानी	नरसिंहपुर	नरसिंहपुर
141	गुन्नौर	अमानगंज (गुन्नौर)	पन्ना

क्र.	मुख्यालय	जनपद	जिला	क्र.	मुख्यालय	जनपद	जिला
142	सलेहा	अमानगंज (गुन्नौर)	पन्ना	184	भिलाई	घंसौर	सिवनी
143	ब्रिजपुर	देवेन्द्रनगर (पन्ना)	पन्ना	185	भोमा	सिवनी	सिवनी
144	पहाड़ी खेड़ा	देवेन्द्रनगर (पन्ना)	पन्ना	186	कान्हीवाड़ा	सिवनी	सिवनी
145	शाहनगर	शाहनगर	पन्ना	187	सतखुरी	ब्यौहारी	शहडोल
146	रैपुरा	शाहनगर	पन्ना	188	निपानिया	ब्यौहारी	शहडोल
147	खरबई	रायसेन	रायसेन	189	केशवाही	बुढ़ार	शहडोल
148	नकतरा	रायसेन	रायसेन	190	गोहपारू	पाली 1	शहडोल
149	अमियाहाट	ब्यावरा	राजगढ़	191	खन्नौधी	पाली 1	शहडोल
150	कुरावर	नरसिंहगढ़	राजगढ़	192	अमराहा	सोहागपुर	शहडोल
151	कड़िया चन्द्रावत	नरसिंहगढ़	राजगढ़	193	मोमन बड़ौदिया	मोमन बड़ौदिया	शाजापुर
152	लिमाचौहान	सारंगपुर	राजगढ़	194	कराहल	कराहल	श्योपुर
153	खारवा कलां	आलोट	रतलाम	195	गोरस	कराहल	श्योपुर
154	पाटन	आलोट	रतलाम	196	धोदर	श्योपुर(बारोदा)	श्योपुर
155	रावती	बाजना	रतलाम	197	बीरपुर	विजयपुर	श्योपुर
156	केलकच	बाजना	रतलाम	198	बदरखा	बदरवास	शिवपुरी
157	राजापुरा	बाजना	रतलाम	199	रन्नौद	बदरवास	शिवपुरी
158	मावटा	पिपलौदा	रतलाम	200	खातौरा	बदरवास	शिवपुरी
159	बिलपांक	रतलाम	रतलाम	201	दिनारा	करैरा	शिवपुरी
160	शिवपुर	रतलाम	रतलाम	202	बमोरीकला	खनियाधाना	शिवपुरी
161	शिवगढ़	सैलाना	रतलाम	203	बुधोन राजापुर	खनियाधाना	शिवपुरी
162	गंगेव	गंगेव	रीवा	204	लुकवासा	कोलारस	शिवपुरी
163	पटेहरा	हनुमना	रीवा	205	मगरौनी	नरवर	शिवपुरी
164	दाभौरा	जावा	रीवा	206	करही	नरवर	शिवपुरी
165	ढेरा	मऊगंज	रीवा	207	पोहरी	पोहरी	शिवपुरी
166	भिर	मऊगंज	रीवा	208	छर्च	पोहरी	शिवपुरी
167	रायपुर (कर्चु.)	रायपुर-कर्चुलियान	रीवा	209	झिरी	पोहरी	शिवपुरी
168	अमिलिया	रायपुर-कर्चुलियान	रीवा	210	मुधेरी	शिवपुरी	शिवपुरी
169	टिकार	रीवा	रीवा	211	सुरवाया	शिवपुरी	शिवपुरी
170	जैसीनगर	जैसीनगर	सागर	212	गोतारा	कुसमी	सीधी
171	केसली	केसली	सागर	213	ताला	मझौली	सीधी
172	मालथौन	मालथौन	सागर	214	मडवास	मझौली	सीधी
173	बड़ौदिया कलां	मालथौन	सागर	215	बंजारी	सीधी (सेमरिया)	सीधी
174	बांद्री करोटी	मालथौन	सागर	216	बारीगवां	सीधी (सेमरिया)	सीधी
175	मुद्रा जरूआखेड़ा	राहतगढ़	सागर	217	सिंहावल	सिंहावल	सीधी
176	उमरा	रेहली	सागर	218	अमरपुर	सिंहावल	सीधी
177	बड़ेरा	मैहर	सतना	219	अमिलिया	सिंहावल	सीधी
178	न्यू रामनगर उत्तरी	रामनगर	सतना	220	बिठौली	सिंहावल	सीधी
179	दुदाहा	रामपुर-बघेलान	सतना	221	बाहरी	सिंहावल	सीधी
180	बिलकिसगंज	सीहोर (श्यामपुर)	सीहोर	222	खुटार	बैढ़न (सिंगरौली)	सिंगरौली
181	छपारा	छपारा	सिवनी	223	खनुआ टोला	बैढ़न (सिंगरौली)	सिंगरौली
182	धनोरा	धनौरा	सिवनी	224	करमी	बैढ़न (सिंगरौली)	सिंगरौली
183	घंसौर	घंसौर	सिवनी	225	चौरा	बैढ़न (सिंगरौली)	सिंगरौली

क्र.	मुख्यालय	जनपद	जिला
226	तियारा	बैढ़न (सिंगरौली)	सिंगरौली
227	करोंदिया	चितरंगी	सिंगरौली
228	कसर	चितरंगी	सिंगरौली
229	लामसराई	चितरंगी	सिंगरौली
230	इतार	देवसर	सिंगरौली
231	बरगवां	देवसर	सिंगरौली
232	खरगूपुरा	बल्देवगढ़	टीकमगढ़
233	सरकनपुर खास	बल्देवगढ़	टीकमगढ़
234	मोहनगढ़ खास	जतारा	टीकमगढ़
235	दिगोड़ा	जतारा	टीकमगढ़
236	टिला	निवाड़ी	टीकमगढ़
237	टेहरका	निवाड़ी	टीकमगढ़
238	बड़ागांव खुर्द	टीकमगढ़	टीकमगढ़
239	बुडेरा	टीकमगढ़	टीकमगढ़
240	इंगोरिया	बड़नगर	उज्जैन
241	रूनिजा	बड़नगर	उज्जैन
242	घट्टिया	घट्टिया	उज्जैन
243	पानबिहार	घट्टिया	उज्जैन
244	झारडा	महिदपुर	उज्जैन
245	निपानियाराजू	महिदपुर	उज्जैन
246	ढाबलाहरदू	तराना	उज्जैन
247	ताजपुर	उज्जैन	उज्जैन
248	मानपुर	मानपुर	उमरिया
249	अमरपुर	मानपुर	उमरिया
250	चंसुरा	मानपुर	उमरिया
251	घुलघुली	उमरिया(करकेली)	उमरिया
252	निघारी	उमरिया(करकेली)	उमरिया
253	त्यौंदा	बासौदा	विदिशा
254	ग्यारसपुर	ग्यारसपुर	विदिशा
255	न.प. कुरवाई	कुरवाई	विदिशा
256	नटेरन	नटेरन	विदिशा
257	बेलिया बाड़ी	कोतमा	अनूपपुर
258	चोंडी	कोतमा	अनूपपुर
259	कोठी	कोतमा	अनूपपुर
260	निगवानी	कोतमा	अनूपपुर
261	कचनार	अशोकनगर	अशोकनगर
262	भांडेरी	बैहर	बालाघाट
263	चांगोटोला	बालाघाट	बालाघाट
264	चारेगांव	बालाघाट	बालाघाट
265	लामटा	बालाघाट	बालाघाट
266	माटे	किरनापुर	बालाघाट
267	राजेगांव	किरनापुर	बालाघाट
268	कटंगझारी	लालबर्रा	बालाघाट
269	करंजा	लांजी	बालाघाट
270	झालीवाड़ा	वारासिवनी	बालाघाट
271	बुदबुदा	वारासिवनी	बालाघाट
272	डोंगरमाली	वारासिवनी	बालाघाट
273	तलवड़ा बुजुर्ग	बड़वानी(सिलावद)	बड़वानी
274	मेनीमाता	बड़वानी(सिलावद)	बड़वानी
275	बोकराता	पाटी	बड़वानी
276	इंदरपुर	राजपुर	बड़वानी
277	नागलवाड़ी बुजुर्ग	राजपुर	बड़वानी
278	हीरापुर	घोड़ा डोंगरी	बैतूल
279	बिसनूर	प्रभातपट्टन	बैतूल
280	मासोद	प्रभातपट्टन	बैतूल
281	गुनगा	बैरसिया	भोपाल
282	रूनाहा	बैरसिया	भोपाल
283	रातीबड़	फंदा (भोपाल)	भोपाल
284	बासद	बुरहानपुर	बुरहानपुर
285	फोपनार कलां	बुरहानपुर	बुरहानपुर
286	धूलकोट	बुरहानपुर	बुरहानपुर
287	लोनी	बुरहानपुर	बुरहानपुर
288	निम्बोला	बुरहानपुर	बुरहानपुर
289	लखनगुवां	बिजावर(सटई)	छतरपुर
290	बसारी	राजनगर	छतरपुर
291	सुरला	हर्रई	छिंदवाड़ा
292	भटोदिया खुर्द	जामई	छिंदवाड़ा
293	रामपुर	जामई	छिंदवाड़ा
294	एकलबिहारी	मोहखेड़ा	छिंदवाड़ा
295	सिवनी	पांढुरना	छिंदवाड़ा
296	मोरडोंगरी खुर्द	परासिया	छिंदवाड़ा
297	उमरेठ	परासिया	छिंदवाड़ा
298	न.पं. मोहगांव	सौंसर	छिंदवाड़ा
299	चावलपानी	तामिया	छिंदवाड़ा
300	छिंदी	तामिया	छिंदवाड़ा
301	देलाखारी	तामिया	छिंदवाड़ा
302	मढ़ियादोह	हटा	दमोह
303	रनाह	हटा	दमोह
304	कालीबावड़ी	बाकानेर (उमरबन)	धार
305	सिंघाना	मनावर	धार
306	बहादुर	करंजिया	डिंडोरी
307	मालपुर	शहपुरा	डिंडोरी
308	पालिया	सांवेर	इंदौर
309	इन्द्राना	मझौली	जबलपुर

क्र.	मुख्यालय	जनपद	जिला	क्र.	मुख्यालय	जनपद	जिला
310	बोरिया	पाटन	जबलपुर	348	बुधाबौर	रामनगर	सतना
311	पीथनपुर	रामा	झाबुआ	349	मर्यादपुर	रामनगर	सतना
312	कन्हवारा	कटनी	कटनी	350	सोहावल	सतना (सोहावल)	सतना
313	खार कलां	खालवा	खंडवा	351	मैना	आष्टा	सीहोर
314	सेंधवाल	खालवा	खंडवा	352	सिद्दीकगंज	आष्टा	सीहोर
315	रीछी	पुनासा	खंडवा	353	कुदारी	धनौरा	सिवनी
316	बलवाड़ा	बड़वाहा	खरगौन	354	पंडिया छपारा	केवलारी	सिवनी
317	कोठ बरडा	झिरन्या	खरगौन	355	रूमल	केवलारी	सिवनी
318	बालकवाड़ा	कसरावद	खरगौन	356	धुतेरा (उगली)	केवलारी	सिवनी
319	खामखेड़ा	कसरावद	खरगौन	357	उगली	केवलारी	सिवनी
320	मुल्थान	कसरावद	खरगौन	58	धोबी सर्रा	कुरई	सिवनी
321	ऊन बुजुर्ग	खरगौन	खरगौन	359	ग्वारी	कुरई	सिवनी
322	चोली	महेश्वर	खरगौन	360	पीपरवानी	कुरई	सिवनी
323	सुरेहली	घुघरी	मंडला	361	रसमोहानी	बुढ़ार	शहडोल
324	नाइझर	घुघरी	मंडला	362	अमोल पाठा	करैरा	शिवपुरी
325	रमहेपुर	घुघरी	मंडला	363	सिरसौद	करैरा	शिवपुरी
326	खलौंदी	मवई	मंडला	364	कोरसर	चितरंगी	सिंगरौली
327	अंजनी	मवई	मंडला	365	लामसरई	चितरंगी	सिंगरौली
328	पाठा सिहोरा	नैनपुर	मंडला	366	टिंगुडी	देवसर	सिंगरौली
329	तातरी	नैनपुर	मंडला	367	बैसा	बल्देवगढ़	टीकमगढ़
330	सबाखेड़ा	मंदसौर(धुंधड़का)	मंदसौर	368	बारना	पलेरा	टीकमगढ़
331	अमलावद	मंदसौर(धुंधड़का)	मंदसौर	369	लोहाना	बड़नगर	उज्जैन
332	दिगावमाली	मंदसौर(धुंधड़का)	मंदसौर	370	तला	मानपुर	उमरिया
333	निंबोड	मंदसौर	मंदसौर	371	गुलाबगंज	ग्यारसपुर	विदिशा
334	शाहपुर	बाबई(चिचली)	नरसिंहपुर	372	हैदरघर	ग्यारसपुर	विदिशा
335	खुलरी	चावरपाठा(तेंदूखेड़ा)	नरसिंहपुर	373	बड़बई	कुरवाई	विदिशा
336	चावरपाठा	चावरपाठा(तेंदूखेड़ा)	नरसिंहपुर	374	लयारा	कुरवाई	विदिशा
337	पलसोदा	नीमच	नीमच	375	पठारी	कुरवाई	विदिशा
338	समना	पवई	पन्ना	376	रूसल्ली साहू	लटेरी	विदिशा
339	सिमरिया	पवई	पन्ना	377	गरेंठा	सिरोंज	विदिशा
340	बम्होरी कस्बा	सिलवानी	रायसेन	378	कस्बा ताल	सिरोंज	विदिशा
341	करनवास	राजगढ़	राजगढ़	379	कल्याणपुरा	झाबुआ	झाबुआ
342	कालूखेड़ा	पिपलौदा	रतलाम	380	पिटोल कलां	झाबुआ	झाबुआ
343	पंचेवा	पिपलौदा	रतलाम	381	पारा	रामा	झाबुआ
344	लौवा लक्ष्मणपुर	रायपुर-कर्चुलियान	रीवा	382	बाजना	बाजना	रतलाम
345	आगासौद	बीना (आगासौद)	सागर	383	सरवन	सैलाना	रतलाम
346	छिरारी	रेहली	सागर	384	जावा	जावा	रीवा
347	जासो	नागोद	सतना	385	चितरंगी	चितरंगी	सिंगरौली

2. उक्त तालिका के सरल क्र. 379 से 385 तक की PHC/CHC के लिये सामुदायिक स्वच्छता परिसर की 2-2 इकाई एवं शेष के लिये 1-1 इकाई स्वीकृत की गई है।

3. **शर्तें:-**

3.1 इस आदेश के तहत धनराशि निम्न मद से दी जाएगी:-

अ- 90 प्रतिशत राशि अर्थात रु. 1.80 लाख प्रति परिसर के मान से कुल रु. 705.60 लाख स्वच्छ भारत मिशन के मद से।

ब- संस्था अंशदान 10 प्रतिशत अर्थात रु. 20,000/- प्रति परिसर के मान से कुल रु. 78.40 लाख स्वच्छ भारत मिशन के सूचना, शिक्षा एवं संचार मद से।

3.2 सामुदायिक स्वच्छता परिसर राज्य स्वच्छता मिशन द्वारा निर्धारित मानक तकनीकी अवयवों एवं मापदण्डों अनुसार निर्मित किया जाए। स्थानीय परिस्थितियों अनुसार निर्मित क्षेत्रफल व सुविधाएं यथावत रखते हुए रूपांकन में परिवर्तन किया जा सकता है।

3.3 निर्माण एजेन्सी संबंधित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र की रोगी कल्याण समिति होगी।

3.4 मिशन संचालक, स्वच्छ भारत मिशन, मध्यप्रदेश प्रथम किश्त (50 प्रतिशत राशि) संबंधित संस्था के बैंक खाते में राज्य स्तर से सीधे अंतरित करेंगे।

3.5 निर्माण एजेन्सी संस्था के पदाधिकारी द्वारा ई-निगरानी मोबाइल एप से सेल्फी के साथ परिसर का दरवाजा स्तर तक निर्माण पूर्ण होने का फोटो पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के पोर्टल (geoportal.mp.gov.in) पर अपलोड करने पर दूसरी एवं अन्तिम किश्त (50 प्रतिशत) जारी की जाएगी।

3.6 परिसर के लिए जल की व्यवस्था एवं निर्माण पश्चात संचालन एवं स्वच्छता की व्यवस्था संस्था प्रभारी द्वारा करना होगा।

3.7 जनपद पंचायत में पदस्थ विकासखण्ड स्वच्छता समन्वयक समय-समय पर निर्माण एजेन्सी को आवश्यकतानुसार सहयोग देंगे।

3.8 निर्माण पूर्ण होने एवं परिसर के संचालित होने के उपरांत ई-निगरानी मोबाइल एप से ब्लाक समन्वयक, स्वच्छ भारत मिशन द्वारा फोटो पोर्टल पर अपलोड करना कार्य की पूर्णता के प्रमाणीकरण के लिए मान्य किया जाएगा।

3.9 निर्माण कार्य इसी वित्तीय वर्ष में पूर्ण करना होगा।

3.10 परिसर संचालन एवं स्वच्छता के संबंध में विकासखण्ड स्वच्छता समन्वयक संस्था के कर्मियों का प्रशिक्षण आयोजित कराएंगे।

(राधेश्याम जुलानिया)
विकास आयुक्त
मध्यप्रदेश

पृ. क्रमांक 2823/एसव्हीएम/बी-7/2017 **भोपाल, दिनांक 30.08.2017**

प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, भोपाल।
2. समस्त संभागायुक्त, मध्यप्रदेश।
3. राज्य कार्यक्रम अधिकारी, स्वच्छ भारत मिशन।
4. मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वच्छता मिशन।
5. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
6. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत/जनपद पंचायत।
7. ओएसडी मान. मंत्रीजी/राज्यमंत्रीजी, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग।
8. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, को प्रमुख सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के माध्यम से।
9. संबंधित रोगी कल्याण समिति को पालनार्थ। प्रमुख सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के माध्यम से।
10. मैनेजर विभागीय वेबसाइट/पंचायिका।

विकास आयुक्त
मध्यप्रदेश

दो से आठ अक्टूबर तक आयोजित किया जायेगा मद्य निषेध सप्ताह

सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण संचालनालय, मध्यप्रदेश
1250 तुलसी नगर, भोपाल 462003
दूरभाष नं. 0755 2556916, फैक्स नं. 0755 2552665
Email - dpswbpl@nic.in

क्रमांक/एफ-1-31/नशाबंदी/2017-18/200 **भोपाल, दिनांक 30.08.2017**

प्रति,

1. समस्त कलेक्टर,
   मध्यप्रदेश।
2. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी
   जिला पंचायत,
   मध्यप्रदेश।
3. समस्त संयुक्त संचालक/उप संचालक
   सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण
   मध्यप्रदेश।

विषयः- गांधी जयंती पर "मद्य निषेध सप्ताह" (2 से 8 अक्टूबर 2017) का आयोजन करने बाबत्।

गांधी जयंती के अवसर पर प्रदेश में 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर 2017 तक "मद्य निषेध सप्ताह" का आयोजन किया जाना है। इस आयोजन का उद्देश्य समाज में बढ़ती हुई मद्यपान, तम्बाकू, गुटखा, सिगरेट की लत एवं नशीले मादक द्रव्यों/पदार्थों के दुष्परिणामों से छात्र/छात्राओं एवं समाज को अवगत कराना है, ताकि मादक द्रव्य एवं मादक पदार्थों के सेवन की रोकथाम हेतु वातावरण एवं चेतना निर्माण हो सके। इस अवसर पर वृहद जनजागृति कार्यक्रमों का निर्धारण किया जाकर, जिला से ग्राम पंचायत स्तर तक इस दिवस का आयोजन कर, शहरी/ग्रामीण जनता को मद्यपान एवं मादक पदार्थों के सेवन की बुराइयों से अवगत कराया जावे, ताकि वे नशा सेवन करना छोड़ सकें तथा अपने क्षेत्रों में नशाबंदी के पक्ष में वातावरण निर्मित कर सकें।

2- इस अवसर पर ऐसे कार्यक्रम निर्धारित करें, जिसमें विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, नगर पालिका, नगर निगम, जिला पंचायत, जनपद पंचायत, स्वैच्छिक संस्थाएं तथा स्थानीय जनप्रतिनिधि सम्मिलित हो सकें। इस अवसर पर सेमीनार, वर्कशाप, रैली, प्रदर्शनी, वाद-विवाद, निबंध, पोस्टर प्रतियोगिताएँ एवं नाटक, गीत, नृत्य आदि सांस्कृतिक कार्यक्रम व सभाएँ आयोजित कर जन-जन को नशामुक्ति हेतु प्रेरित किया जावे।

3- प्रतिबंधित मादक द्रव्यों के सेवन की रोकथाम के लिये कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय क्रियान्वयन समिति का गठन गृह विभाग के पत्र क्र./डी 4218/आर-4351/2011/दो/सी-1 दिनांक 20 सितम्बर 2011 से किया गया है। इस समिति की बैठक आयोजित कर कार्यक्रमों का निर्धारण कर आयोजन कराया जावे।

4- मद्य निषेध सप्ताह के आयोजन में निम्न कार्यक्रमों को किया जा सकता हैः-

(i) मद्य निषेध की प्रतिज्ञा एवं शपथ पत्र भरवाना।

(ii) मद्य निषेध/नशाबंदी से संबंधित प्रदर्शनी आयोजित करना।

(iii) मद्य निषेध सप्ताह के दौरान समस्त उच्चतर/माध्यमिक विद्यालयों, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों के सहयोग से कार्यक्रम जैसेः- प्रभात फेरी, शराब से होने वाली हानियों पर वाद विवाद, भाषण, चित्रकला, नारे एवं निबंध प्रतियोगिता, गोष्ठियाँ तथा सेमीनार का आयोजन करना।

(iv) जिले में शासकीय कलापथक दल एवं अशासकीय कलामंडलियों के माध्यम से मद्यनिषेध/नशाबंदी से संबंधित नाटकों का प्रदर्शन करना।

(v) विभागीय मान्यता प्राप्त/अनुदान प्राप्त संस्थाएँ नशामुक्ति के क्षेत्र में कार्य कर रही हैं, उनको भी भागीदारी करने हेतु उन्हें लिखें तथा जो संस्थाएँ भागीदारी करें उनकी जानकारी प्रपत्र में दी जावे।

(vi) जन अभियान परिषद, नेहरू युवा केन्द्र, पंचायतीराज संस्थाएं, समाजसेवी, जनप्रतिनिधियों को भी कार्यक्रम से जोड़ा जावे।

अतः आपके जिले में उक्त अनुसार मद्य निषेध सप्ताह का आयोजन कर, शराब एवं मादक द्रव्य/पदार्थों से होने वाली हानियों से जन सामान्य को अवगत कराकर नशाबंदी कार्यक्रम में सहयोग प्रदान करने का कष्ट करें। मद्य निषेध सप्ताह आयोजन उपरांत प्रतिवेदन निर्धारित प्रपत्र में इस कार्यालय को दिनांक 30.10.2017 तक भिजवाने की व्यवस्था करें।

संलग्नः- प्रपत्र

(अशोक शाह)
प्रमुख सचिव सह आयुक्त
सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण,
मध्यप्रदेश

पृ.क्र./एफ-1-31/नशाबंदी/2017-18/201 **भोपाल, दिनांक 30.8.2017**

प्रतिलिपिः-

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग की ओर सूचनार्थ।
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग की ओर सूचनार्थ।
3. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग की ओर सूचनार्थ।
4. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग की ओर सूचनार्थ।
5. आयुक्त, पंचायतराज म.प्र. की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास म.प्र. की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. आयुक्त, जनसम्पर्क मध्यप्रदेश, संचालनालय बाणगंगा रोड भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं प्रचार-प्रसार के लिये आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
8. आयुक्त उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं विश्व विद्यालय/महाविद्यालय को निर्देश देने हेतु।
9. आयुक्त, लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं समस्त जिला शिक्षा अधिकारी/प्राचार्यों को निर्देश देने हेतु अग्रेषित।
10. समस्त संभागीय आयुक्त, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ।
11. पुलिस महानिरीक्षक, (नारकोटिक्स विंग) पुलिस मुख्यालय जहांगीराबाद भोपाल।
12. समस्त पुलिस अधीक्षक मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
13. कुल सचिव, विश्वविद्यालय भोपाल/ग्वालियर/जबलपुर/सागर/रीवा/इन्दौर/उज्जैन (म.प्र.) की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
14. सम्पादक, पंचायिका/म.प्र. संदेश, मध्यप्रदेश माध्यम भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं प्रकाशनार्थ।

प्रमुख सचिव सह आयुक्त
सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण,
मध्यप्रदेश

मद्य निषेध सप्ताह दिनांक 2 से 8 अक्टूबर 2017 का आयोजन की जानकारी

प्रपत्र

जिले का नाम .....

क्रमांक	आयोजित कार्यक्रम	कार्यक्रम संख्या	भागीदार व्यक्तियों की संख्या	किन संस्थाओं ने भाग लिया नाम	रिमार्क
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	मद्यनिषेध प्रतिज्ञा एवं शपथ पत्र भरवाना				
2.	नशामुक्ति सेमीनार				
3.	रैली				
4.	नशाबंदी प्रदर्शनी				
5.	विभिन्न प्रतियोगिताएँ				
6.	कलापथक दलों के कार्यक्रम				
7.	नशामुक्ति केम्प				
8.	पम्पलेट/साहित्य विवरण				
9.	अन्य				

संक्षिप्त टीपः-

(अधिकारी का नाम)
संयुक्त/उप संचालक
सामाजिक न्याय .....

प्रदेश के तीन कुष्ठ आश्रमों को पाँच हजार रुपये प्रतिमाह प्रति परिवार मिलेंगे

मध्यप्रदेश शासन
सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग
मंत्रालय, भोपाल
//आदेश//

क्रमांक/एफ-3/2017/26-2/617 **भोपाल, दिनांक 26.4.2017**

मंत्रिपरिषद् निर्णय दिनांक 18 अप्रैल 2017 अनुसार सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग द्वारा अनुदानित 3 कुष्ठ आश्रमों यथा महात्मा गांधी कुष्ठ आश्रम भोपाल, कुष्ठ सेवा आश्रम नंदा नगर इंदौर, करूणा सदन कुष्ठ निवारण संस्था राणापुर, झाबुआ में निवासरत 108 परिवारों के लिये संस्था को राशि रुपये 5000/- प्रति परिवार प्रतिमाह स्वीकृत की जाती है। संस्थायें यह राशि कुष्ठमुक्त परिवारों के भरण-पोषण, रहवास, पुनर्वास एवं उनके बच्चों की शिक्षण एवं रोजगार पर व्यय करेंगे।

आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(पी.एल. सोलंकी)
अपर सचिव
म.प्र. शासन,
सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन
कल्याण विभाग

पृ.क्र./एफ-3/2017/26-2/617 **भोपाल, दिनांक 26.4.2017**

प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय मंत्रालय भोपाल।
2. विशेष सहायक, माननीय मंत्री मध्यप्रदेश शासन सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग।
3. स्टॉफ ऑफिसर, मुख्य सचिव कार्यालय, भोपाल।
4. आयुक्त, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण भोपाल।
5. संभागीय आयुक्त भोपाल, इंदौर संभाग।
6. कलेक्टर, भोपाल, इंदौर, झाबुआ।
7. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत भोपाल, इंदौर, झाबुआ।
8. संयुक्त संचालक/उप संचालक, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण जिला भोपाल, इंदौर, झाबुआ की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

मध्यप्रदेश शासन
सामाजजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग